विधि भारती परिषद्

स्मारिका

प्रधान संपादक

सन्तोष खन्ना

विधि भारती परिषद् (पंजीकृत)

बी.एच-49, (पूर्वी) शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088

मोबाइल : 09899651872, 09899651272

फ़ोन : 011-27491549, 011-45579335

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com

Website : www.vidhibharatiparishad.in

बोर्ड ऑफ रेफरीज एवं परामर्श मंडल

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर : पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली
6. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
7. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह : संस्थापक वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं न्यायिक अकादमी, असम
8. श्री हरनाम दास टक्कर : पूर्व निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

परिषद की कार्यकारिणी, संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष)
3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)
4. रेनू नूर (कोषाध्यक्ष)
5. श्री अनिल गोयल (सचिव, प्रचार)
6. डॉ. प्रवेश सक्सेना (सदस्य)
7. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)
8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)
9. श्री जी.आर. गुप्ता (सदस्य)
10. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)
11. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)
12. डॉ. के.एस. भाटी (सदस्य)
13. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)
14. डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम् (सदस्य)
15. डॉ. उमाकांत खुबालकर (सदस्य)
16. अनुरागेंद्र निगम (सदस्य)

बोर्ड ऑफ रेफरीज

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न.दि.
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रदेश प्रभारी

1. प्रो. देवदत्त शर्मा (उत्तर प्रदेश) 09236003140
2. प्रो. (डॉ.) सुरेंद्र यादव (राजस्थान) 09414442947

परामर्श मंडल

1. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर
2. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह
3. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह
4. श्री हरनाम दास टक्कर

विषय-क्रम

1.	सद्भावना संदेश	--	5-8
2.	संपादकीय / **सन्तोष खन्ना**		9
3.	राजभाषा हिंदी : एक नजर में	--	11
4.	विधि भारती परिषद की संस्थापना : क्यों और कैसे?	सन्तोष खन्ना	14
i.	'महिला विधि भारती' के प्रवेशांक का लोकार्पण	--	16
ii.	श्री नरेंद्र देव खन्ना को श्रद्धांजलि	देवलीना केजरीवाल	18
iii.	विधि भारती परिषद् की प्रथम राष्ट्रीय संगोष्ठी	--	19
iv.	'महिला विधि भारती' पत्रिका के विशेषांक	--	20
v.	विधि भारती सम्मान एवं पुरस्कार	--	21
vi.	विधि भारती परिषद् का सम्मान उत्सव, 2001	प्रतिभा श्रीवास्तव	22
vii.	विधि भारती परिषद् का सम्मान उत्सव, 2004	डॉ. प्रेमलता	27
viii.	विधि भारती परिषद का सम्मान उत्सव, 2008	डॉ. आशु खन्ना	30
ix.	राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार	सन्तोष खन्ना	33
x.	राष्ट्र विधि भारती सम्मान	सन्तोष खन्ना	33
xi.	विधि भारती परिषद् की संगोष्ठियाँ/सेमिनारों का आयोजन	सन्तोष खन्ना	34
xii.	पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी	रेनू नूर	35
xiii.	श्री ब्रजकिशोर शर्मा को विधि भारती सम्मान	डॉ. आशु खन्ना	36
xiv.	भारत में चुनाव संगोष्ठी, 2017	डॉ. आशु खन्ना	37
xv.	हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार और अधिकार संगोष्ठी, 2018	डॉ. सपना	41
xvi.	सन्तोष खन्ना का कहानी-संग्रह 'आज का दुर्वासा' का लोकार्पण	डॉ. आशु खन्ना	45
xvii.	विधि भारती परिषद् 'सूचना का अधिकार' पर व्याख्यान एवं काव्य संध्या	डॉ. शकुंतला कालरा	46
xviii.	डॉ. सरोजिनी महिषी का सम्मान	--	47
xix.	पर्यावरण विशेषांक और 'भावी कविता' काव्य-संग्रह का लोकार्पण	--	47

xx.	विधि भारती पत्रिका डी.ए.वी.पी. के पैनल पर	सन्तोष खन्ना	48
xxi.	दिल्ली की हिंदी अकादमी को 'महिला विधि भारती' पत्रिका को श्रेष्ठ संपादन पुरस्कार	सन्तोष खन्ना	49
xxii.	हिंदी के प्रचार-प्रसार का नूतन आयाम : राष्ट्र भाषा उत्सव	सन्तोष खन्ना	52
xxiii.	राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान, 2007	--	52
xxiv.	संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र भाषा उत्सव कार्यक्रम, 2015	डॉ. सुधेश	53
xxv.	राष्ट्र भाषा उत्सव कार्यक्रम, 2017	रेनू नूर	54
xxvi.	राष्ट्र भाषा उत्सव कार्यक्रम, 2018	डॉ. विदूषी शर्मा	56
xxvii.	डॉ. सरोजिनी महिषी एवं राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान का डेढ़ दशक	सन्तोष खन्ना एवं उर्मिल सत्यभूषण	58

आलेख

1.	विधि भारतीय परिषद् की कुछ उपलब्धियाँ	रेनू नूर	62
2.	सन्तोष खन्ना : एक बहुआयामी व्यक्तित्व	डॉ. प्रवेश सक्सेना	64
3.	मील का पत्थर	सन्तोष बंसल	66

आपके विचार

1.	प्रो. विभा त्रिपाठी	--	68
2.	डॉ. आलोक चांटिया	--	69
3.	डॉ. योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरुण'	--	69
4.	प्रो. (डॉ.) कृष्ण कुमार गोस्वामी	--	70
5.	डॉ. निलिमा सिंह	--	70
6.	डॉ. निशा केवलिया शर्मा	--	71
8.	डॉ. अनुपम यादव	--	72
9.	डॉ. शकुंतला कालरा	--	72
10.	महिला विधि भारती त्रैमासिक पत्रिका के सौ प्रमुख लेखक	--	73
11.	विधि भारती परिषद के 25 वर्ष की यात्रा में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रमुख सौ अतिथिगण	--	76
12.	विधि भारती परिषद् के प्रकाशन	--	79

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister
संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विधि भारती परिषद ने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर 'महिला विधि भारती' पत्रिका के 100वें अंक के लिए 'भारत का संविधान' विषय का चयन सराहनीय है।

संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह संविधान निर्माताओं के देश को लेकर संजोये गए सपनों को समाहित करता एक समृद्ध और व्यापक सामाजिक दस्तावेज है। भारत का संविधान 130 करोड़ देशवासियों का पवित्र ग्रंथ है जिसमें हमारी परंपराओं और मान्यताओं का समावेश है और नई चुनौतियों का समाधान भी है।

संविधान एक ओर जहां हमें कई अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए कर्तव्यों की भी बात करता है। जिस तरीके से हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, आज जरूरत है कि हम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों पर भी मंथन करें, क्योंकि दायित्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं।

आशा करता हूं कि हम अपने गणतंत्र को कर्तव्यों से ओत-प्रोत नई संस्कृति की तरफ ले जाने के संकल्प भाव के साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहेंगे।

विधि भारती को एक बार पुन: रजत जयंती की शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
अग्रहायण 13, शक संवत् 1941
04 दिसंबर, 2019

श्रीमती सन्तोष खन्ना
प्रधान संपादक, महिला विधि भारती
विधि भारती परिषद
बी एच /48, शालीमार बाग (पूर्वी)
दिल्ली- 110088

एच.एम.पी. – 1674394

अमित शाह
AMIT SH

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री
भारत
HOME MINISTER
INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि विधि भारती परिषद अपनी 25वीं वर्ष गाँठ के अवसर पर रजत जयंती वर्ष समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर भारत का संविधान विषय पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

यह हर्ष का विषय है कि विधि भारती परिषद द्वारा 'महिला विधि भारती' द्विभाषिक विधि त्रैमासिक को पिछले 25 वर्षों से नियिमत आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस वर्ष महिला विधि भारती पत्रिका का 100वाँ अंक **''भारत का संविधान''** प्रकाशित किया गया है।

विधि भारती परिषद द्वारा देश के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं कमजोर और शोषित वर्गों, में हिन्दी के माध्यम से उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागृति का उन्मेष करना एक सराहनीय कार्य है।

मैं, इस शुभ अवसर पर विधि भारती परिषद के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ और स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित !

(अमित शाह)

Office : Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001
Tel. : 23092462, 23094686, Fax : 23094221
E-mail : hm@nic.in

रमेश पोखरियाल 'निशंक'
Ramesh Pokhriyal 'Nishank'

सत्यमेव जयते

मंत्री
मानव संसाधन विकास
भारत सरकार
MINISTER
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि विधि भारती परिषद, दिल्ली विगत 25 वर्षों से स्त्री-अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जन-जागृति का उन्मेष करते हुए अपने रजत जयंती वर्ष पर त्रैमासिक पत्रिका 'महिला विधि भारती' का 100वाँ अंक "भारत का संविधान" विषय पर केंद्रित कर प्रकाशित करने जा रही है।

भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्त्री-सशक्तिकरण के संदर्भ में कहा था कि "मैं किसी भी समाज की उन्नति को उस समाज में रह रही महिलाओं की प्रगति के मापदंड के आधार पर मापता हूँ।" स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे बुनियादी मानवीय मूल्यों के आधार पर निर्मित एवं विकसित तथा संविधान द्वारा संचालित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर-बराबरी को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। हमारे संविधान का समतावाद का दर्शन ऐसी व्यवस्था का स्पष्ट निर्देशन करता है जिसमें सभी वर्गों के व्यक्तियों को आत्मविकास के लिए उपयुक्त अवसर और अनुकूल परिस्थितियाँ मिल सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम उनके अधिकारों और मूल्यों को कमज़ोर करने वाली घृणित सोच को समाप्त करना ज़रूरी है जो दहेज प्रथा, अशिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाओं को जन्म देती है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनता है।

समानता समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। विकास की मुख्यधारा में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धि' तथा 'मातृवंदन' जैसी योजनाओं को निरुपित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से महिला-सशक्तिकरण के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।

मैं विधि भारती परिषद, दिल्ली को उसके रजत जयंती वर्ष पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि स्त्री-सशक्तिकरण हेतु परिषद निरंतर सक्रियता से रचनात्मक कार्य करती रहेगी।

(रमेश पोखरियाल 'निशंक')

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा।

स्वच्छ भारत

Room No. 3, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115
Phone : 91-11-23782387, 23782698, Fax : 91-11-23382365
E-mail : minister.hrd@gov.in

प्रोफेसर अवनीश कुमार
निदेशक

Professor Avanish Kumar
Director

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
Government of India
Central Hindi Directorate
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

दिनांक :- 20-03-2020

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विधि भारती परिषद् अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रजत जयंती समारोह का आयोजन कर रही है। रजत जयंती वर्ष में विधि भारती परिषद् द्वारा प्रकाशित 'महिला विधि भारती सोसाइटी', द्विभाषिक विधि त्रैमासिक पत्रिका के 100 वें अंक का प्रकाशन भी किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर विधि भारती द्वारा स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है। विधि के क्षेत्र में द्विभाषिक पत्रिका के माध्यम से समाज के लिए जो योगदान विधि भारती परिषद् द्वारा किया जा रहा है, वह अतुलनीय एवं सराहनीय है।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग विधि भारती परिषद् के रजत जयंती वर्ष में प्रकाशित महिला विधि भारती परिषद् के 100 वें अंक तथा रजत जयंती स्मारिका के प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता है।

आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार विधि भारती परिषद् द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के साथ-साथ न्याय, सामाजिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाती रहेगी।

अवनीश कुमार 20/03/2020

पश्चिमी खण्ड-7, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066
West Block 7, R.K. Puram, New Delhi-110066 ☎ : 011-26100758, 26102882
E-mail : dirchd-mhrd@gov.in, dravanishkumar@gmail.com
www.chdpublication.mhrd.gov.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सूचना का अधिकार

संपादकीय...

समय की गतिशीलता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। समय की परिधि में ही कई विचारों का सृजन होता है, उन्हें क्रियाशील बनाया जाता है और वहीं उपलब्धि के दर्पण में प्रतिबिंबित हो कुछ गर्व की भावना से उद्‌भासित करता है। यही आभा प्रबल प्रकाश बन आपकी भावी दिशा को भी निर्धारित कर सकती है। इस संदर्भ में 25 वर्ष का काल खंड कोई छोटा नहीं होता। इतना काल खंड व्यक्ति को अपने जीवन में अगले एक नए आयाम की ओर ले जाता है। 25 वर्ष की अवधि परिपूर्ण होने पर उत्सव जैसा आह्‌लाद होना स्वाभाविक है। विधि भारती परिषद की स्थापना और उसकी 'महिला विधि भारती' पत्रिका के प्रकाशन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती पर्व का मनाया जाना तो बनता है औरउसी अवसर के उपलक्ष्य में यह स्मारिका निकालने का निर्णय किया गया ताकि इसके माध्यम से इन्हीं पच्चीस वर्षों का मूल्यांकन किया जाए। किंतु वर्ष 2020 के आरंभिक काल में कोविड-19 के विश्व और भारत पर प्रहार ने मनुष्य जीवन के हर पक्ष और आयाम पर अपना कहर बरपाया है, इस कारण हमारी रजत जयंती उत्सव की योजनाएँ धराशायी हुई। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।

विधि भारती परिषद की स्थापना और पंजीकरण दिसंबर, 1993 में हो गया था। 'महिला विधि भारती' पत्रिका के प्रवेशांक का प्रकाशन नवंबर, 1994 में हो गया था जिसका लोकार्पण नई दिल्ली में स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब के सभापति सभागार में गणमान्य विद्वानों द्वारा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। यह अंक अक्तूबर-दिसंबर, 1994 की तिमाही का था। पिछले वर्ष दिसंबर, 2019 तक 'महिला विधि भारती' पत्रिका का 100-101 विशेषांक देश के सर्वोच्च विधि भारत के संविधान पर प्रकाशित किया गया था, इस ऐतिहासिक विशेषांक के साथ ही परिषद और पत्रिका के पच्चीस वर्ष पूरे हो गए थे और पत्रिका 26वें वर्ष में प्रवेश कर गई थी किंतु कोविड-19 के कारण न तो हमें इस महत्त्वपूर्ण अंक के लोकार्पण का अवसर मिला और न ही हम कोई कार्यक्रम आयोजित कर सके। फिर भी हमारे लिए यह आह्‌लाद का विषय था कि 'महिला विधि भारती' पत्रिका का सीमित साधनों में निरंतर प्रकाशन किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमें यह स्वीकार करने में लेशमात्र भी संदेह नहीं, अपितु विश्वास है इस महाकार्य में अवश्य अदृश्य शक्ति अर्थात् उस ईश्वर का वरद् हस्त था अपितु उसके समक्ष इनसान की क्या हस्ती है। इसके लिए मैं उस परम पिता परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसके साथ ही मैं विधि भारती परिषद के साथ जुड़े सभी महानुभावों, उसके आजीवन, वार्षिक और संस्थागत सदस्यों, पत्रिका के विद्वान मनस्वी लेखकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनके अमूल्य योगदान के बिना यह महत कार्य संभव नहीं हो पाता। मैं समूचे देश में फैले उन प्रिय पाठकों, छात्रों, शोधार्थियों और प्राध्यापकों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिनका पत्रिका के प्रति सतल स्नेह और आस्था ने इसे चिरस्थायी बनाया है।

हम देश के उन संस्थानों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने समय-समय पर कई बार अपने संस्थानों के विज्ञापन दे कर पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग दिया है। हम भारत के केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने समय-समय पर पत्रिका की प्रतियाँ खरीद कर उन्हें देश के कई विश्वविद्यालयों,

कॉलेजों और अन्य संस्थानों के पुस्तकालयों में पहुँचाने में सहयोग दिया। हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पुनः धन्यवाद करना चाहते हैं कि पिछले चार वर्षों से वह पत्रिका प्रकाशन के लिए अनुदान भी देना आरंभ किया है। अंत में, सबसे अधिक हम अपने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिनकी शुभकामनाओं से पत्रिका प्रकाशन के रास्ते में आने वाली कठिनाईयाँ दूर होती चली गईं। वस्तुतः विधि भारती परिषद की स्थापना और पत्रिका का प्रकाशन तो देशवासियों को ही समर्पित है। क्योंकि इन सब का मुख्य उद्देश्य तो हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से उनमें उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागृति का उन्मेष करता है।

भविष्य में भी हम विधि भारती परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति और हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के उत्कर्ष के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहेंगे।

-- सन्तोष खन्ना

राजभाषा हिंदी : एक नजर में

1. स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया।
2. भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
3. संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में 'संघ की राजभाषा' संबंधी प्रावधान है।
   - 3.1 अनुच्छेद 343(1) के अधीन संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। प्रयोग किए जाने वाले अंकों के स्वरूप भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप हैं।
   - 3.2 अनुच्छेद 343(2) के अधीन 15 वर्षों (26 जनवरी, 1965) तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत प्रयोग होता रहेगा।
   - 3.3 अनुच्छेद 343(3) में संसद 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् भी अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने का विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी।
4. अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को संविधान के प्रथम पाँच वर्ष तथा दस वर्ष पश्चात् राजभाषा आयोग नियुक्त करने का आदेश देता है।
5. राज्यों की राजभाषा/राजभाषाओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 345 में किया गया है।
6. राजभाषा हिंदी के विकास की व्यवस्था का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है। इसके अनुसार ''संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए और जहाँ आवश्यक हो या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।''
7. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं। ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, बँगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। उनमें अंतिम सात (नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली) संविधान की आठवीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई भाषाएँ हैं।
8. राजभाषा आयोग का गठन 7 जून, 1955 को तत्कालीन बंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था।
9. राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1956 में प्रस्तुत की थी।
10. राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया, जिसकी धारा 3(3) बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके अनुसार कार्यालयों

से नोटिस, करार, संविदाएँ, टेंडर, संकल्प, परिपत्र एवं सामान्य आदेश आदि कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी होने चाहिए।

11. राजभाषा अधिनियम 1963 को वर्ष 1967 में संशोधित किया गया।

12. वर्ष 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित किया गया, जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है।

    12.1 राजभाषा संकल्प वर्ष 1968 में राजपत्रों में प्रकाशित हुआ और 'राजभाषा संकल्प 1968' कहलाया।

    12.2 राजभाषा संकल्प संख्या 4(क) : केंद्रीय अखिल भारतीय सेवाओं में भाषा के प्रश्न-पत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी का विकल्प।

    12.3 राजभाषा संकल्प संख्या 4(ख) : प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखने का विकल्प।

13. राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अधीन वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिसके अनुसार पूरे भारत को भाषायी दृष्टि से तीन क्षेत्रों 'क', 'ख', 'ग' में बाँटा गया है।

    13.1 'क' क्षेत्र : बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह।

    13.2 'ख' क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एवं संघ शासित राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।

    13.3 'ग' क्षेत्र : तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गोआ एवं अन्य शेष राज्य।

14. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 एवं 7 में प्रावधान किया गया है कि कार्यालयों द्वारा हिंदी में प्राप्त/हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही देना है।

15. राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी को हिंदी में कार्य करने हेतु आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

16. राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत जिन कार्यालयों के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है।

17. राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार
    - कार्यालय-प्रधान का दायित्व है कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा आदेशों का अनुपालन करे।
    - नियम 12 के अनुसार प्रशासनिक प्रधान राजभाषा आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जाँच पड़ताल के उपाय करें और जाँच बिंदु बनाएँ।
    - नियम 12 के अनुसार प्रशासनिक प्रधान राजभाषा आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कारवाई कर सकते हैं।

18. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संसदीय राजभाषा समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं। इस समिति की तीन उप-समितियाँ हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल तीस सदस्य होते हैं। इनमें से बीस सदस्य लोकसभा से और दस सदस्य राज्यसभा से होते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निरीक्षण का कार्य तीसरी उप-समिति कर रही है।

19. प्रधानमंत्री हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं।

20. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन :

20.1 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के लिए कम-से-कम 10 सरकारी कार्यालयों का होना आवश्यक है।

20.2 नगर के सरकारी कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

21. किसी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसकी बैठक एक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवश्य होनी चाहिए।

22. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान का अर्थ यह है कि किसी कर्मचारी/अधिकारी ने

22.1 मैट्रिक/एस.एस.सी. परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, अथवा

22.2 केंद्रीय सरकार के राजभाषा विभाग (गृह-मंत्रालय) की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; अथवा

22.3 केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; अथवा

22.4 कर्मचारी लिखित रूप से घोषणा करता है कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

ऐसे कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी कहा जाएगा।

23. हिंदी में प्रवीणता : ऐसे कर्मचारी/अधिकारी को हिंदी में प्रवीणता-प्राप्त माना जाएगा, यदि जिसने :

23.1 मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; अथवा

23.2 स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; अथवा

23.3 यदि वह लिखित रूप से घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

24. राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केंद्रीय सरकारी कार्यालयों का अर्थ है :

24.1 केंद्रीय सरकार का मंत्रालय/विभाग या कार्यालय।

24.2 केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई आयोग/समिति या अधिकरण।

24.3 केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में कोई निगम/कंपनी/कार्यालय।

25. कर्मचारी द्वारा अंग्रेजी अनुवाद की माँग : केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी में अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकार का हो, अन्यथा नहीं। यह प्रश्न उठने पर कि कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी है या नहीं तो उसका निर्णय विभाग/कार्यालय का प्रधान करेगा।

❑

सन्तोष खन्ना

विधि भारती परिषद की संस्थापना : क्यों और कैसे?

यह स्वाभाविक ही है कि देश का लगभग हर नागरिक अपने देश की उपलब्धियों पर प्रसन्न होता है और गर्व से उसका सीना फूला नहीं समाता। यह भी कटु सत्य है कि देश की समस्याएँ, अभाव-तनाव उसे परेशान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वह या तो व्यवस्था को कोसता है या आगे बढ़ कर उन समस्याओं के समाधान में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान देना चाहता है, चाहे वह योगदान समुद्र में बूँद के समान ही क्यों न हो।

लोक सभा में वर्षों से कार्यरत् होने के कारण मुझे देश की समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। लोक सभा में एक ज़िम्मेदार अधिकारी के रूप में मुझे उन दिनों लोक सभा की कार्यवाही को कवर कर उसका हिंदी-अंग्रेज़ी सारांश तैयार करना होता था जिसके कारण कार्य-दिवस का मुझे काफ़ी समय सदन में बैठ कर जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् संसद-सदस्यों के भाषण सुनने का अवसर मिलता था। संसद की कार्यवाही के दौरान जन-प्रतिनिधि सदन में देश के कोने-कोने में रहने वाली जनता की समस्याओं, कष्टों और मुसीबतों को उठाते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे।

वैसे तो मैं सातवें दशक से संसद में कार्यरत थी और अपने दिन-प्रति-दिन कार्य के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से देश के हालात के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी रखती थी। अब हर दिन का काफ़ी समय उन समस्याओं पर चिंतन-मनन होता। सुनते रहने से उसका मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था और मुझे इस बात का अहसास ही नहीं बल्कि महसूस भी होता था कि उन दिनों मैं इन सब स्थितियों की साक्षी ही नहीं बल्कि उसमें सहभागी भी हूँ और इस दिशा में किसी तरह आगे बढ़ कर मैं उसमें सक्रिय योगदान करना चाहती थी। यद्यपि देश की संसद के संचालन से संबद्ध होने के कारण इस विषय में काफ़ी प्रामाणिक ज्ञान था परंतु किसी तरह का मुगालता नहीं था कि संसद में जन-प्रतिनिधि के रूप में पहुँच योगदान किया जा सकता है।

देश समाजवादी नीतियों के माध्यम से देश की अधिकांश समस्याओं को सुलझाने में प्रयासरत् था। सूचना-क्राँति का आरंभ हो चुका था किंतु आर्थिक सुधारों की पदचाप भी अभी सुनाई नहीं दे रही थी, किसी न किसी कारण से राजनीतिक अस्थिरता भी थी। कुल मिला कर देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि देश से गरीबी, अशिक्षा, रोग आदि समस्याओं से पूरी तरह निपटा जा सके। संसद में आए दिन देश के लोगों द्वारा भोगे जा रहे दुःख-दर्द संबंधी समस्याओं को सुन मेरा लेखकीय संवेदनशील मन और संवेदनशील होता रहता। एक अजीब प्रकार का अनकहा एवं अनचाहा तनाव बना रहता। मन के किसी अनजाने कोने में एक अनजानी सोच निरंतर चलती रहती। स्पष्ट कुछ नहीं था। बस एक छटपटाहट थी।

मैं अपनी कविताओं में जिन विचारों और भावों को अभिव्यक्त करती, वह राष्ट्रीय एवं सामाजिक सरोकार ही हैं। किंतु कविताओं से भी आगे बढ़ कर कुछ और कर गुज़रने की छटपटाहट से धीरे-धीरे एक नन्हें अंकुर के रूप में पता नहीं कैसे एक नई सोच उभर रही थी।

यद्यपि मैं भारतीय अनुवाद परिषद् से काफ़ी वर्षों से जुड़ी थी और वर्ष 1982-83 के बाद से मेरा कई भूमिकाओं में परिषद् के कार्य-कलापों में कई प्रकार का निरंतर योगदान बढ़ गया था, अपनी पारिवारिक एवं कार्यालयी व्यस्तताओं के होते हुए भी मैंने अपनी समूची सामर्थ्य और क्षमता को भारतीय अनुवाद परिषद् की गतिविधियों में झोंक रखा था, परिषद् की संस्थापिका डॉ. गार्गी गुप्त, मेरे तथा अन्य सहकर्मियों के प्रयत्नों से परिषद् अब तक काफ़ी पुख़्ता धरातल अख़्तियार करती जा रही थी, मुझे लगा कि परिषद् में मैं रहूँ या न रहूँ, उसके विकास का मार्ग अब प्रशस्त हो कर ही रहेगा।

मैं उसके अतिरिक्त कुछ और भी करने की सोच रही थी। मन में चिंतन बराबर चल रहा था कि क्या किया जाए। जो सोच धीरे-धीरे आकार ले रही थी उसके विषय में कुछ साथियों और कुछ अन्य लोगों से चर्चा भी चलती रहती। संक्षेप में, यही कह सकती हूँ कि उस छटपटाहट का, उस खलबली का, उस चिंतन का यही सार्थक परिणाम सामने आया कि 'विधि भारती परिषद्' नाम की एक नई संस्था की नींव रखी गई।

उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की जनता विशेष रूप से महिलाओं और दलित वर्गों का इस मायने में सशक्तिकरण करना होगा कि वह स्वयं के भाग्य-विधाता बनें, क्योंकि देश के संविधान तथा उसके अंतर्गत देश की संसद द्वारा समय-समय पर बनाए गए विधानों के अंतर्गत जनता के अधिकारों का विपुल सृजन किया गया था परंतु अधिकांश जनता अपने अधिकारों के बारे में जानती कितना है, प्रश्न यह था। अपने अधिकारों के बारे में अज्ञानता भी उनके शोषण का कारण होता है। सब से पहले 'विधि भारती परिषद्' ने स्वयं को प्रतिबद्ध किया कि वह अपनी क्षमता के अनुसार देश में क़ानूनी जागृति लाने का प्रयास करेगी। इस दिशा में एक ओर भी पक्ष था जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। देश में प्रायः क़ानूनों की अवहेलना की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है, यहाँ तक कि लोग यातायात संबंधी नियमों का भी अनुपालन नहीं करते हैं। इसकी वजह क्या है? चिंतन-मनन से यह भी उभर कर सामने आया कि एक तो हमारे काफ़ी क़ानून देश की स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले ब्रिटिश शासकों ने बनाए थे जो न्यूनाधिक रूप में अभी भी वैसे ही चल रहे थे, देश की ज़रूरतों के मुताबिक, वह कितने संगत हैं या असंगत हैं, इस पर कम ही विचार हो पाया है। दूसरा, यह सभी क़ानून अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से निर्मित हुए हैं, और वह अनुवाद के माध्यम से ही हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में आ पाते हैं। देश में अंग्रेज़ी के वर्चस्व के कारण अब भी लोगों का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में उपलब्ध क़ानूनों की तरफ़ ध्यान नहीं जाने दिया जाता है जिसका परिणाम यह है कि अधिकांश लोग उनसे अनभिज्ञ ही हैं। अनभिज्ञता के कारण लोग काफ़ी हद तक अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। ऐसा विचार किया जा रहा था कि 'विधि भारती परिषद्' हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से देश में क़ानूनी साक्षरता का बीड़ा उठाए और इस प्रकार लोगों का सशक्तिकरण किया जाए।

इस प्रकार 'विधि भारती परिषद्' धीरे-धीरे आकार लेने लगी। काफ़ी शोधात्मक प्रयासों के साथ ही उसका संविधान और उद्देश्यों का निर्माण किया गया। अंतिम रूप देने से पहले तत्कालीन सत्र मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट श्री प्रेम कुमार भाटिया के साथ दो-तीन बैठकें की गईं और उनके अमूल्य सुझावों के संदर्भ में उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

एक दिन सौभाग्य से संसद भवन में ही मेरी मुलाकात डॉ. सरोजनी महिषी के साथ हो गईं। डॉ. महिषी केंद्र में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की केबिनेट में विधि मंत्री रही थीं। इसके अलावा, वह कर्नाटक के धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से चार बार संसद सदस्य चुनी गई थीं और अपनी राज्य सभा की सदस्यता के दौरान वह राज्य सभा की उप-सभापति (1982-84) भी रहीं। संसदीय हिंदी परिषद् की अध्यक्ष होने के साथ-साथ वह कई संस्थाओं से जुड़ी थीं। वह न केवल विधिज्ञ थीं बल्कि संस्कृत विद्वान और ज्योतिष शास्त्र की जानकार भी थीं। हिंदी सेवाओं के लिए बाद में उन्हें 'हिंदी रत्न' से भी सम्मानित किया गया था।

शायद उन दिनों वह कापार्ट की चेयरमैन थीं जब मेरी उन से मुलाकात हुई। मैंने उनसे 'विधि भारती परिषद्' संस्था के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि वह 'विधि भारती परिषद्' की अध्यक्ष बन जाएँ। उन्होंने मेरे उस अनुरोध को अपनी सहमति दे दी। बस फिर क्या था, मैंने अपने कुछ संसदीय सहयोगियों के साथ मिलकर ज्ञापन तैयार किया और उसमें उन्होंने अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उन्हीं के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विधि भारती परिषद् का एक बचत खाता खोल दिया गया, जिसे सचिव और कोषाध्यक्ष के साथ मिल कर चलाया जाना था। उन्हीं दिनों अर्थात् 1993 के दिसंबर माह में संस्था के पंजीकरण की कार्यवाही पूरी कर ली गई।

'महिला विधि भारती' पत्रिका के प्रवेशांक का लोकार्पण

विधि भारती परिषद् के उद्देश्यों के अनुसार एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया जाना था। एक तरफ़ पत्रिका के पंजीकरण की कार्यवाही शुरु की गई और दूसरी तरफ़ कई लेखकों से आलेख आदि के लिए पत्र द्वारा अथवा मौखिक अनुरोध किया गया। इसका नामकरण किया गया, 'विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका और इस नाम के पंजीकरण के लिए हमने भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के यहाँ आवेदन कर दिया। एक दिन पंजीयक कार्यालय ने सूचित किया कि 'विधि भारती' नाम उनके पास उपलब्ध नहीं है तो हमने उन्हें कहा कि आप पत्रिका का 'महिला विधि भारती' के नाम से पंजीकरण कर दें। पत्रिका का नाम यही हो गया क्योंकि हमारी एक यह भी सोच थी कि हम महिलाओं के विषयों पर अधिक बल देंगे क्योंकि यदि महिलाओं में क़ानूनी चेतना आ गई तो समझो, समूचे परिवार में यह चेतना आ जाएगी, इससे समूचे परिवार का सशक्तिकरण होगा। ख़ैर, कुछ वर्ष बाद पंजीयक कार्यालय ने हमें सूचित किया था कि अब 'विधि भारती' नाम उपलब्ध है वह चाहें तो विधि भारती परिषद् की पत्रिका को अब 'विधि भारती' के नाम से पंजीकृत किया जा सकता है। उन दिनों इस विषय पर विधि भारती परिषद् की कार्यकारिणी में विचार विमर्श किया गया, उसमें सभी की राय यह थी कि पत्रिका का नाम 'महिला विधि भारती' ही रहने देना चाहिए।

उन दिनों पारिवारिक रूप से घोर मुसीबतों का सामना करते हुए भी किसी अलौकिक शक्ति के सहारे पत्रिका का प्रकाशन किया गया। पत्रिका के प्रवेशांक (अक्तूबर-दिसंबर, 1994) का नई दिल्ली में विट्ठल भाई पटेल हाउस, कांस्टीट्यूशन क्लब में लोकार्पण किया गया। यह लोकार्पण 14 नवंबर, 1994 के दिन निर्धारित था। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने की अनुमति दे दी थी। उन्हीं दिनों न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर का देश की सर्वोच्च न्याय संस्था, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी।

अभी उन्हें सरकारी आवास भी आवंटित नहीं हुआ था। वे जनपथ पर किसी भवन में रह रहीं थीं। जब हम कुछ लोग उन से मिले और उनसे 'विधि भारती परिषद्' की त्रैमासिक पत्रिका के प्रवेशांक के लोकर्पण के लिए अनुरोध किया। हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। 'महिला विधि भारती' का प्रवेशांक भी अपने आप में बहुत सुंदर एवं नायाब बन पड़ा था। एक ओर उसकी साज-सज्जा बहुत उम्दा थी, दूसरी ओर इसमें प्रकाशित सामग्री भी बहुत अच्छी और ऊँचे स्तर की थी। इसमें संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप का भारत के संविधान पर एक महत्त्वपूर्ण आलेख प्रकाशित हुआ था, वहीं इस प्रवेशांक का आरंभ हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जैन के उद्‌बोधन आलेख से हुआ था। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र से श्रीराम शर्मा द्वारा लिया गया एक यादगार साक्षात्कार भी इसमें प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका का लोकार्पण करते हुए न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर ने कहा था -- ''इस पत्रिका के प्रवेशांक के लोकार्पण के एक भव्य समारोह में देश की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियाँ उपस्थित हैं।'' न्यायमूर्ति

श्रीमती सुजाता वी. मनोहर ने पत्रिका का लोकार्पण करते हुए उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा पत्रिका की प्रगति के लिए शुभकामना करते हुए शुभाशीष भी देते हुए कहा कि ''मैं पत्रिका की संपादक श्रीमती सन्तोष खन्ना को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने विधि और न्याय के क्षेत्र में पहल कर यह पत्रिका प्रारंभ की है जो वस्तुतः देश के जन-जन को अनुप्राणित करेगी।'' पत्रिका मुख्य रूप से हिंदी में होने के कारण विधि और न्याय के क्षेत्र में एक पुख्ता मुहावरा भी निर्मित होगा।

इस अवसर पर संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप, प्रतिष्ठित प्रख्यात साहित्यकार श्रीयशपाल जैन, परिषद् की अध्यक्षा डॉ. सरोजनी महिषी, भारतीय अनुवाद परिषद् की ओर से डॉ. गार्गी गुप्त तथा दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री प्रेम कुमार भाटिया ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन रीडर एवं साहित्यकार डॉ. विमेलश कांति वर्मा ने किया। 'विधि भारती परिषद्' की संस्थापिका सचिव एवं 'महिला विधि भारती' पत्रिका की संस्थापक-संपादक के रूप में उस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए मैंने अन्य बातों के साथ यह भी कहा था कि ''क़ानून केवल क़ानूनविदों के सरोकार का विषय नहीं, बल्कि उसे आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। जब तक आम आदमी विशेषतया महिलाओं को उनके हित संवर्द्धन के उपायों से परिचित नहीं कराया जाता, तब तक सभी अधिकार सार्थक नहीं हो पाएँगे। इस पत्रिका को इस उद्देश्य के लिए ही प्रारंभ किया गया है।''

संपादन के रूप में प्रवेशांक के लिए लिखे संपादकीय का अंतिम पैरा भी अवलोकनीय है -- ''हमने एक स्वप्न देखा है कि 'महिला विधि भारती' पत्रिका कम से कम देश की हर पंचायत तक पहुँचे। इसका प्रकाशन केवल हिंदी-अंग्रेज़ी तक सीमित न रहे, बल्कि भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसका पदार्पण हो। यह अत्यंत महत्त्वकांक्षी स्वप्न प्रतीत हो सकता है किंतु यह भी सही है कि स्वप्न ही साकार होते हैं और दीप से दीप प्रज्जवलित होता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि ऐसा दिन अवश्य आएगा क्योंकि यह पत्रिका समय का कोई प्रसाधन नहीं, समय की माँग है और इस स्वप्न को साकार करने के लिए आप सब का आह्वान है।''

इस पैरे के संदर्भ में 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका इसी वर्ष अर्थात् 2019 में ही अक्तूबर-दिसंबर, 2019 अंक 100-101 के प्रकाशन के साथ छब्बीसवें वर्ष में प्रवेश कर गई है, इस बीच इस पत्रिका के अनेक विशेषांक प्रकाशित हुए, परंतु हमारा यह स्वप्न कि यह पत्रिका देश की हर पंचायत तक पहुँचे, पूरा नहीं हो सका है। हर दिशा में अभी बहुत कार्य किया जाना है। हो सकता है यह कार्य मेरे जीवन काल में पूरा न हो सके, किंतु मैं इस संसार से जब भी विदा लूँ (ईश्वर से प्रार्थना है) तो इस आशा और विश्वास से कि यदि यह स्वप्न मेरे जीवन-काल में पूरा न हो तो बाद में कोई नौ-निहाल इसे अवश्य पूरा करने का प्रयास करे। कहा जाता है कि जब हम किसी कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं तो पूरी कायनात सक्रिय हो जाती है उसे संपन्न करने के लिए।

मुझे विश्वास है यह पत्रिका पूरे देश में अपना वाँछित स्थान अवश्य बना कर रहेगी। इस बीच एक तरीका निकाला है मैंने कि यथासंभव कुछ पंचायतों को पत्रिका भेजनी आरंभ कर दी जाए। इसमें पत्रिका के पुराने कुछ दुर्लभ अंकों की उपलब्ध प्रतियों से ही इस कार्य को शुरु कर दिया गया है।

'महिला विधि भारती' के प्रवेशांक के लोकार्पण का एक उल्लेखनीय प्रसंग मेरे निजी जीवन से भी जुड़ा है। वर्ष 1992 में अचानक मेरे जीवन में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जब पता चला कि मेरे पति श्री नरेंद्र देव खन्ना, जो बीच-बीच में बीमार चल रहे थे, को पेट में एक ख़तरनाक क़िस्म का कैंसर है जिसमें स्वस्थ लाभ करने संबंधी दर बहुत कम थी। हम लोगों पर वज्रपात हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। घोर निराशा के उस विकट समय में एक अच्छी बात यह थी कि सौभाग्य से मेरा बेटा डॉ. राजीव खन्ना उन दिनों

एम.बी.बी.एस. कर डॉ. राम मनोहर लोहिया से एम.एस. कर रहा था। वह अपने पिताश्री का हर तरह से ध्यान रखने में जुट गया। उनका एम्स में इलाज चल रहा था। हम उन्हें मुंबई के टाटा अस्पताल में भी दिखाने के लिए ले गए। बाद में उनका एक ऑपरेशन दिसंबर, 1992 में एम्स से कराया गया तथा साथ ही कीमोथैरेपी भी हुई परंतु वह थोड़ा समय ही ठीक रहे। 1994 आते-आते उनका एक ओर ऑपरेशन हुआ, किंतु कैंसर जैसे नामुराद रोग से छुटकारा कैसे मिलता, अक्तूबर-नवंबर, 1994 तक वह काफ़ी कमज़ोर हो गए थे किंतु वह चाहते थे कि 'विधि भारती पत्रिका के प्रवेशांक का खूब धूमधाम से लोकार्पण हो। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ था। नवंबर, 1994 में वह काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे अतः प्रवेशांक के समारोह लोकार्पण में वह चाह कर भी नहीं जा सके थे और समारोह के तीन दिन पहले अर्थात् 11 नवंबर, को जिस दिन उनका जन्मदिन भी था, घर पर ही एक सादे से कार्यक्रम में उन्हें 'विधि भारती पत्रिका' के प्रवेशांक की प्रथम प्रति भेंट की गई। यह प्रति उन्हें प्रतिष्ठित लेखक इतिहासकार एवं भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. ओमप्रकाश केजरीवाल एवं माननीया डॉ. गार्गी गुप्त के कर-कमलों से भेंट की गई। इस अवसर पर अन्य अनेक विद्वान एवं रिश्तेदार भी उपस्थित थे। प्रवेशांक की प्रथम प्रति भेंट में प्राप्त कर खन्ना जी को असीम प्रसन्नता हुई थी। वैसे भी उस गंभीर बीमारी की अवस्था में उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी बल्कि जैसे-जैसे बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा था वैसे-वैसे ही उनका व्यक्तित्व अत्यधिक निखरता जा रहा था, उनका शरीर शनैः-शनैः क्षय हो रहा है, परंतु वह बेहतर से एक बेहतरीन इनसान बनते जा रहे थे। वैसे भी वह एक निश्छल पर विशाल हृदय, पर हितकारी, साहसी व्यक्ति थे। 'विधि भारती परिषद्' के वे संरक्षक थे और उसके प्रत्येक कार्य के प्रेरणा स्रोत भी। मज़ाक में हमेशा कहते रहते, ''मुझे अपना पी.ए. बना लेना, मैं बहुत मदद करूँगा।'' किंतु क्रूर नियति ने उन्हें जल्दी ही हमसे छीन लिया। उसी वर्ष 26 दिसंबर, 1994 को वे हमें छोड़कर चले गए। मैं और विशेष रूप से मेरा बेटा यह जानता था कि अब वह अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। उनकी सद्गति प्राप्त करने का जब समय आया तो हम तब भी उस अपूरणीय क्षति को सहने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाए थे परंतु नियति ने उन्हें हम से हमेशा के लिए छीन लिया।

श्री नरेंद्र देव खन्ना को श्रद्धांजलि : देवलीना केजरीवाल

कहा जाता है कि जाने वाला चाहे आपका कितना ही प्रिय क्यों न हो, परंतु मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता, पल-पल उस दुःख को सहने के लिए ज़िंदा तो रहना ही पड़ता है। अस्तु, 'विधि भारती परिषद्' पत्रिका के दूसरे अंक (जनवरी-मार्च, 1993) में उनके प्रति एक सचित्र श्रद्धांजलि प्रकाशित की गई थी। देवलीना केजरीवाल ने उनकी इस श्रद्धांजलि में लिखा था, ''श्री नरेंद्र देव खन्ना मानवीय गुणों से ओत-प्रोत थे। उनका सहृदय, सौम्य, माता-पिता एवं जन सेवी, देश सेवी अतिथि-परायण व्यक्तित्व आज हम सब के लिए प्रेरक हैं। दूसरों के सुख-दुःख का पूरा ख़्याल रखने वाले श्री खन्ना जी के एक बार जो संपर्क में आ गया, उनके स्नेही एवं सरल व्यक्तित्व से प्रभवित हुए बिना नहीं रहा। वे एक सच्चे कर्म योगी थे। जिस कार्य को भी हाथ में लेते, उसे पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करते थे। सरकारी सेवा के अलावा वे होमगार्ड्स की स्वयंसेवी संस्था में वर्षों कार्यरत रहे और देश की हर एक नाज़ुक घड़ी में -- चाहे वह 1965 और 1971 का भारत-पाक युद्ध हो या 1975 की आपात स्थिति या फिर तत्पश्चात् आतंकवादी गतिविधियों के कारण उत्पन्न कोई जटिल स्थिति हो -- वे न केवल स्वयं तत्परता से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते अपितु अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करते। उनके साथी उन्हें हमेशा अपना आदर्श मानते थे।''

उनके दुःखद निधन से मैंने न केवल अपना जीवन-साथी खो दिया था अपितु 'विधि भारती परिषद्' के लिए भी यह एक अपूर्णीय क्षति थी। क्योंकि हर किसी

कार्य में उनकी अनुपस्थिति हमेशा सालती रहती। इस संबंध में मैं अपने एक अनोखे अनुभव का उल्लेख अवश्य करना चाहती हूँ। वर्ष 1996 में 19 जून, को 'विधि भारती परिषद्' की ओर से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी का विषय था 'महिलाएँ और पर्यावरण'। परिषद् के तत्त्वावधान में इस प्रकार की यह पहली संगोष्ठी थी। उसके आयोजन के संबंध में तैयारी करते हुए मुझे हर क़दम पर अपने पति खन्ना जी की कमी का अनुभव हो रहा था। मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है कि मैं उस जून के प्रथम सप्ताह में संगोष्ठी संबंधी निमंत्रण-पत्र भेजने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले लोगों के नामों की सूची पर कार्य कर रही थी। मैं उस समय घर के ड्राइंग रूम में बैठी कार्य कर रही थी। घर के सभी सदस्य सो चुके थे। कार्य करते-करते काफ़ी समय हो गया था, शायद रात के बारह बज चुके थे और मैं स्वयं को काफ़ी थका महसूस कर रही थी और शायद मन के भीतर यह अहसास चल रहा था कि यदि आज खन्ना जी होते तो कितना अच्छा होता।

उसी समय मुझे महसूस हुआ कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। मैं उस समय प्रस्तावित आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों के नामों की सूची पर आँखें गड़ाए थी, मैंने सिर उठा कर देखा। यह क्या? दरवाज़ा खोल कर अंदर आने वाला कोई और नहीं, खन्ना जी थे और उन्होंने अंदर आते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ''मैं हूँ न।'' आश्चर्य से मैंने अपनी आँखों को मला और पुनः देखा, वहाँ कोई नहीं था। परंतु उनका वहाँ सशरीर उपस्थित होना? इसे मैं आज तक नहीं समझ सकी। ऐसा कैसे संभव है? अपने को कई बार समझाने का प्रयास किया कि काम और थकान की वज़ह से मुझे क्षणिक झपकी आ गई हो और मैंने उन्हें स्वप्न में देखा होगा। लोग जागते हुए भी स्वप्न देखते ही हैं, मैंने भी खुली आँखों से यह स्वप्न देखा होगा। पर स्वप्नों में तो वह वर्षों लगभग हर रोज़ आते रहे, वही क्यों, वर्षों साथ रहे मेरे सास-ससुर भी प्रायः स्वप्नों में आते रहे हैं किंतु उस दिन का अनुभव उन सब स्वप्नों से एकदम अलग था। मैंने उन्हें सशरीर वहाँ देखा था और उन्हें कहते हुए सुना था कि ''मैं हूँ न।'' चाहे मेरा यह स्वप्न था या अन्यथा, इसके बाद उस संगोष्ठी आयोजन में मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि खन्ना जी इस संसार में न रहते हुए भी मेरे साथ थे। कई दफ़ा मैं कहा करती थी कि मैं यही मान रही हूँ कि जैसे वह अमेरिका चले गए हैं जहाँ वास्तव में लोगों की बरसों मुलाकातें नहीं होती।

विधि भारती परिषद की प्रथम राष्ट्रीय संगोष्ठी

19 जून, 1996 को 'विधि भारती परिषद्' की प्रथम संगोष्ठी थी जिसका आयोजन नई दिल्ली में विट्ठल भाई पटेल हाउस के कांस्टीट्यूशन क्लब में स्पीकर हॉल में किया गया था। इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया था 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती मोहिनी गिरि ने। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की थी दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा ने। इस अवसर पर पांडेचेरी के पूर्व उप-राज्यपाल एवं मालदीव के पूर्व राजदूत श्री हरस्वरूप सिंह ने 'महिलाएँ और पर्यावरण' विषय पर मुख्य भाषण दिया था। इस संगोष्ठी की एक और उल्लेखनीय बात यह थी कि संगोष्ठी के लिए मंगलाचरण प्रख्यात गीतकार श्री मधुर शास्त्री जी ने किया जिसमें उन्होंने अथर्ववेद के पर्यावरण मंत्र (19/10/8) का गायन किया था जो इस प्रकार था --

शं नः
सूर्यउरुचक्षा उदेतु
शं नो भवन्तु
प्रदिशश्चतस्रः।
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं
नः सिन्धवः शमु
सनवापः॥

(अथर्ववेद -- 10/10/8)

(विस्तृत-दृष्टि हमारे लिए कल्याणकारी हो। (प्राणप्रदवायु प्रदान करे), चारों दिशाएँ हमारे लिए मंगलकारी हो (प्रदूषणहीन वातावरण चारों ओर रहे), सुस्थिर गिरिमाला शांति प्रदान करे। नदियाँ हमारे लिए शांतिप्रद हों तथा जल भी शांतिदायक हो। (पर्यावरण की शुद्धता से ही यह सब संभव हो सकता है।)

इसके बाद उन्होंने सरस्वती वंदना की थी। आज मधुर शास्त्रीजी एवं माननीय साहिब सिंह वर्मा जी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी स्मृति हमेशा बनी रहती है बल्कि यह कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व कभी मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं। 'विधि भारती परिषद्' और हमारे अहोभाग्य थे कि हमें उस समय उनका सान्निध्य मिला। 'विधि भारती परिषद्' की 'महिलाएँ और पर्यावरण' विषय पर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं यादगार रही। इसमें सभी वक़्ताओं के भाषण अत्यंत ओजस्वी, प्रेरक एवं विद्वतापूर्ण थे। लगभग 17-18 वर्ष बाद जब मैंने उस 'राष्ट्रीय संगोष्ठी' की रिपोर्ट को पढ़ा 'जो विधि भारती पत्रिका के अंक 8 (जुलाई-सितंबर, 1996) में प्रकाशित हुई थी तो उसे पढ़ कर मुझे 'विधि भारती परिषद्' की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में हुई उपलब्धि पर वास्तव में बहुत गर्व और आह्लाद हुआ, जिसे मैं आज सब के साथ बाँटना चाहती हूँ। रिपोर्ट पढ़ कर यह भी लगता है कि मानो वह संगोष्ठी आज से कोई डेढ़ दशक पहले नहीं, अपितु हाल में हुई हो, क्योंकि उस संगोष्ठी में कही गई बातें भावी कथन-सी प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है तब से ले कर अब तक की स्थिति भी प्रायः लगभग वैसी ही है और पर्यावरण की समस्या टस से मस नहीं हुई बल्कि समस्या और विकराल हुई है। अतः इसलिए मैं उस संगोष्ठी की पूरी की पूरी रिपोर्ट को इस स्मारिका में पुनः प्रकाशित कर दी है। हमारे मान्यवर पाठक-गण उसे पढ़ेंगे तो उन्हें यह नहीं लगेगा कि उस समय कार्यक्रम में गणमान्यों द्वारा व्यक्त विचार ढाई दशक पहले के हैं। वे आज भी उतने ही संगत हैं जितने उस समय थे।

'महिला भारती भारती' पत्रिका के विशेषांक

विधि भारती परिषद् का वर्ष 1997 इस अर्थ में भी सार्थक रहा कि 'महिला विधि भारती' पत्रिका प्रकाशन का देश में नोटिस लिया जाने लगा और प्रथम बार 'विधि भारती परिषद्' को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित एवं मध्य प्रदेश के शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना में आयोजित एक राष्ट्रीय शोध सेमिनार में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह सेमिनार भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ विषय पर था। 12-13 अक्तूबर, 1997 के इस शोध सेमिनार में मैंने बतौर पत्रिका के संपादक के रूप में भाग लिया।

इस सेमिनार के एक सत्र की अध्यक्षता की तो 'भारत में संसदीय संस्कृति' विषय पर एक आलेख भी प्रस्तुत किया, जिसे बहुत पसंद किया गया। इस सेमिनार में देश के अनेक राज्यों के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा समाज के कई विद्वानों ने भाग लिया था तथा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी इसमें आए थे। इस सेमिनार के अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरोज मोदी ने 'विधि भारती परिषद्' की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए भविष्य में सहयोग की भी आकाँक्षा व्यक्त की। एक अच्छी बात यह भी हुई कि इस सेमिनार में शांति, विकास एवं सांस्कृतिक एकता परिषद्, मुरैना के संस्थापक डॉ. एम.पी. मोदी भी थे जिन्होंने बताया कि उनकी संस्था ने जिवाजी विश्वविद्यालय के सहयोग से उसी वर्ष मार्च में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास एवं स्थानीय स्वशासन विषय पर एक शोध सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें देश के अनेक राज्यों के विद्वान प्राध्यापकों ने भाग लिया था। उनका सुझाव था कि उस सेमिनार में प्रस्तुत शोध आलेखों का 'महिला विधि भारती' पत्रिका में प्रकाशन किया जाए। उन्होंने वे सभी आलेख हमें उपलब्ध करा दिए और उनमें से कुछ चुनिंदा आलेख 'महिला विधि भारती' पत्रिका के अंक 12 में प्रकाशित किए गए और उस अंक को एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया और यह विशेषांक था 'महिला

सशक्तिकरण विशेषांक'।

'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका के अब तक कई विशेषांक प्रकाशित किए जा चुके हैं। विशेषांकों की शृंखला में सबसे पहले जो विशेषांक प्रकाशित किया गया, वह था 'महिला सशक्तिकरण विशेषांक', अंक-12 (जुलाई-सितंबर, 1997)। इस विशेषांक की सार्थकता इस बात में थी कि यह भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का वर्ष (1997) था। इस उपलक्ष्य में संसद का दूसरा ऐतिहासिक अधिवेशन बुलाया गया था जो चार दिन तक चला और संपन्न हुआ 1 सितंबर, 1997 को।

इस सत्र की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि संसद के लगभग सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए अत्यंत आतुर थे और सभी ने निर्धारित समय से अधिक समय तक बोला। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने ही लगभग पचास मिनट तक भाषण दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद जन-प्रतिनिधियों में एक अनोखी छटपटाहट देखी गई जो एक शुभ संकेत थी कि हर कोई इन पचास वर्षों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अथवा चुनौतियों का विश्लेषण करना चाहता था। विचार मंथन से अमृत की आशा की जा सकती है।

वास्तव में, ''इस सत्र का उद्देश्य था कि हम इस पचास वर्षों की अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए आत्म मंथन करें कि क्या आज हम असंख्य स्वतंत्रता सेनानी शहीदों एवं अन्य लोगों के बलिदानों के बल पर प्राप्त स्वतंत्रता की सार्थक रूप से रक्षा कर पाए हैं?'' इसी संदर्भ में देश में महिलाओं की दशा और दिशा के संदर्भ में हमने भी इस अंक के माध्यम से मूल्यांकन करने का प्रयास किया। जैसा कि पहले बताया गया कि मध्य प्रदेश, मुरैना की संस्था शांति, विकास एवं सांस्कृतिक एकता परिषद् के जिवाजी विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास एवं स्थानीय स्वशासन पर एक शोध सेमिनार के चयनित शोध आलेख इस विशेषांक में प्रकाशित किए गए थे तथा साथ ही डॉ. गिरजा व्यास, प्रो. रीटा वर्मा, वीणा वर्मा जैसी कुछ महिला सांसदों से विशेष रूप से लिए गए इस विषय पर साक्षात्कार प्रकाशित किए गए। इस सबसे यह एक संग्रहणीय विशेषांक बन गया।

'महिला विधि भारती' पत्रिका के अब तक प्रकाशित विशेषांकों की सूची निम्न प्रकार है --

1. महिला सशक्तिकरण विशेषांक, अंक : 12 (जुलाई-सितंबर, 1997)
2. संविधान विशेषांक, अंक : 16-17 (जुलाई-दिसंबर, 1998)
3. मानव अधिकार विशेषांक, अंक : 25-26 (अक्तूबर-दिसंबर, 2000 एवं जनवरी-मार्च, 2001)
4. विधि भारती सम्मान उत्सव, अंक-28 (अप्रैल-जून, 2001)
5. उपभोक्ता अधिकार विशेषांक, अंक : 29 एवं 30 (अक्तूबर-दिसंबर 2001 एवं जनवरी-मार्च, 2002)
5. पर्यावरण विशेषांक, अंक 34-35 (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, 2013)
6. विधि भारती सम्मान उत्सव अंक : 41 (अक्तूबर-दिसंबर, 2004)
7. साइबर विधि विशेषांक, अंक : 45 (अक्तूबर-दिसंबर, 2005)
8. स्वर्ण जयंती नारी विशेषांक, अंक : 50-51 (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, 2007)
9. सम्मान/पुरस्कार उत्सव विशेषांक, अंक : 54 (जनवरी-मार्च, 2008)
10. सूचना का अधिकार विशेषांक, अंक : 58 (जनवरी-मार्च, 2009)
11. संदर्भ विशेषांक, अंक : 60 (जुलाई-सितंबर, 2010)
12. संसद विशेषांक, अंक : 66 (जनवरी-मार्च, 2011)
13. शिक्षा का अधिकार विशेषांक, अंक : 70 (जनवरी-मार्च, 2012)
14. हीरक जयंती विशेषांक, अंक : 75 (अप्रैल-जून, 2013)

15. हीरक जयंती विशेषांक, अंक : 76 (अप्रैल-जून, 2013)
16. डॉ. सरोजनी महिषी विशेषांक, अंक : 84 (जुलाई-सितंबर, 2015)
17. साहित्य में महिला सरोकार विशेषांक, अंक : 87 (अप्रैल-जून, 2016)
18. महिला अधिकार विशेषांक, अंक : 90 (जनवरी-मार्च, 2017)
19. चुनाव संयुक्तांक विशेषांक, अंक 92-93 (जुलाई-दिसंबर, 2017)
20. संविधान विशेषांक, अंक : 100-101 (जुलाई-सितंबर, 2019)

विधि भारती सम्मान एवं पुरस्कार

समाचार पत्रों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे सामाचारों को सुनने-देखने को मिलता रहता है कि साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमुक-अमुक को सम्मानित/पुरस्कृत किया गया। साहित्यिक सम्मान/पुरस्कार संबंधी आयोजनों में प्रायः जाने का अवसर मिलता रहता, यहाँ तक कि 'भारतीय अनुवाद परिषद्' के पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया से मैं आरंभ से अर्थात् वर्ष 1986 से ही अभिन्न रूप से जुड़ी रही हूँ। अतः ऐसी सोच भी स्वाभाविक ही थी कि विधि और न्याय के क्षेत्र में इस प्रकार के सम्मान/पुरस्कार लगभग नहीं के बराबर थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि इस क्षेत्र में किसी का कोई सर्वोत्कृष्ट योगदान न हो। इस संदर्भ में यह सोच आकार लेने लगी थी कि विधि और न्याय के क्षेत्र में 'विधि भारती परिषद्' के मंच से इस प्रकार की पहल की जाए। मैं इस बात की साक्षी थी कि 'भारतीय अनुवाद परिषद्' की संस्थापक डॉ. गार्गी गुप्त ने 'भारतीय अनुवाद परिषद्' की ओर से अनुवाद के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्यकारों/अनुवादकों के लिए भारत में सर्वप्रथम पुरस्कारों की नींव डाली थी। सर्वप्रथम 'नातालि पुरस्कार' 1986 में आरंभ किया गया था। डॉ. गार्गी गुप्त ने आरंभ से ही अर्थात् 1964 (भारतीय अनुवाद परिषद् के स्थापना वर्ष) से मुझे उस परिषद् में जोड़ लिया था और इन तमाम वर्षों में मुझे उनके साथ निरंतर कार्य करने का सुअवसर मिला था। हो सकता है इन सब का मेरे मानस पर प्रभाव के कारण ही 'विधि भारती परिषद्' से सम्मान/पुरस्कार प्रारंभ करने की सोच मेरे ज़ेहन में आई हो। विचार तो कई प्रकार के कार्य करने के लिए आते-जाते रहते हैं। किसी भी विचार की सार्थकता उसे साकार करने में होती है। जो सोचा, उसे करके दिखा दिया, यह प्रक्रिया स्वयं में कई चुनौतियाँ लेकर आती है। संक्षेप में, वर्ष 2000 में अर्थात् 21वीं शती के शुभारंभ में 'विधि भारती सम्मान' की स्थापना हो गई। इस सम्मान स्थापना में अंतर्निहित संकल्पना यह थी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से विधि और न्याय के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना हो। अतः 'विधि भारती सम्मान' प्रदान करने के लिए इस नियम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया कि यह सम्मान हर वर्ष भारत की उन प्रतिष्ठित विभूतियों को प्रदान किया जाए जिन्होंने जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना की हो और साथ ही विधि और न्याय के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान दे कर देशवासियों के समक्ष अपने आचरण से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया हो और साथ ही राष्ट्रीय छवि के ऐसे महानुभाव विवाद के घेरे में नहीं हो तथा वे स्वयं में संस्था हों और उनमें से अनिवार्यतः एक विभूति महिला हो।

इस विशिष्ट कसौटी को ध्यान में रख कर ऐसी राष्ट्रीय विभूतियों का चयन स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अतः इसके लिए स्वाभाविक ही था कि ऐसी चयन समिति या मंडल का गठन किया जाए जिसमें ऐसे महानुभाव हों जो स्वयं राष्ट्रीय छवि के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हों और जो निष्पक्ष हो कर 'विधि भारती सम्मान' के लिए व्यक्तियों का चयन करें। 'विधि भारती परिषद्' का यह परम सौभाग्य ही था कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तत्कालीन विदूषी माननीय सदस्या न्यायमूर्ति श्रीमती

सुजाता वी. मनोहर ने कृपापूर्वक चयन समिति की अध्यक्ष होने के महत् दायित्व को स्वीकार किया।

इस संदर्भ में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें अपना मंतव्य बताया। उस समय तक सम्मान को क्या नाम दिया जाए, इस बारे में सोच इतनी स्पष्ट नहीं हो पाई थी। मैंने उन्हें कई नाम सुझाए और उन्होंने 'विधि भारती सम्मान' नाम को पसंद किया और उस पर अपनी मुहर लगा दी। बस फिर क्या था, हमने 'विधि भारती सम्मान' समिति की न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर के अध्यक्ष होने का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एल. जैन तथा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद जी से इस सम्मान समिति का सदस्य होने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने भी इस महत् दायित्व को सहर्ष स्वीकार किया।

न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर की अध्यक्षता में 'विधि भारती सम्मान' समिति की एक बैठक माननीया सुजाता जी के कक्ष में आयोजित की गई। 'विधि भारती परिषद्' की ओर से परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना, श्रीमती मंजू चौधरी (कोषाध्यक्ष), श्री वी.पी. कालरा तथा डॉ. के.एस. भट्टी (सदस्य) ने भी इस बैठक में भागीदारी की। न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर जी की अध्यक्षता में 16 मार्च, 2001 को संपन्न बैठक में 'विधि भारती सम्मान' के लिए नामों का चयन किया गया। कुछ नाम हमने सुझाए और कुछ न्यायमूर्ति सुजाता जी ने। इन नामों में सर्व-सम्मति से निम्नलिखित तीन नामों का चयन किया गया --

(1) उच्चतम न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय लब्ध प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना।
(2) दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि संकाय की प्रसिद्ध पूर्व प्रोफेसर लोतिका सरकार।
(3) माननीय श्री के. परासारन।

विधि भारती सम्मान के लिए तीन महानुभावों के नाम तय हो जाने के बाद अगला क़दम था उनकी सहमति लेने का। सर्वप्रथम, जब हम माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना की सहमति के लिए उनके घर पहुँचे तो उन्होंने सहर्ष ही अपनी सहमति दे दी। उनके ड्राईंग रूम में उनको मिले पद्म विभूषण की प्रशस्ति सुशोभित हो रही थी, एक क्षण को हम सब सकते में थे कि जिस व्यक्ति को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका हो, क्या वह 'विधि भारती परिषद् से सम्मान स्वीकार करेंगे? पद्म विभूषण की उस प्रशस्ति के पास बैठे न्यायमूर्ति श्री खन्ना से पहली बार हमारी भेंट हुई थी। उनका सहज, सरल एवं गरिमायुक्त व्यवहार हम सब को प्रभावित कर गया था।

उन्होंने बड़े गरिमापूर्ण ढंग से हमारा स्वागत किया और 'विधि भारती सम्मान' के लिए स्वीकृति दी। तत्पश्चात् हम लोग माननीय श्री के. परासारन से मिलने गए। जब उनसे मुलाकात हुई और हमने उनके समक्ष अपने आने का मंतव्य रखा तो उन्होंने अपनी मेज की दराज से एक पत्र की प्रतिलिपि हमें देते हुए कहा कि ''कल ही मैंने किसी और संस्था से सम्मान न लेने की क्षमा-याचना करते हुए यह पत्र लिखा है। यदि मैंने उस संस्था को यह पत्र न लिखा होता तो आज मैं इस सम्मान के लिए अवश्य सहमति दे देता और आप लोगों के विशेष स्नेह और सादर अनुरोध को कभी न टालता। किंतु यह कदापि उचित नहीं होगा कि मैं एक दिन पहले एक को मना कर दूँ और आज आपको 'हाँ' कर दूँ। कृपया आप मेरा धर्म-संकट समझें।'' श्री के. परासारन की सज्जनता, सरलता ओर उनके पक्ष के सामने हम नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। प्रो. लोतिका सरकार की सहमति मिल गई थी और विचार-विमर्श कर यही फैसला हुआ कि इस बार 'विधि भारती सम्मान' इन दोनों विभूतियों अर्थात् न्यायमूर्ति श्री खन्ना को तथा प्रो. लोतिका सरकार को ही दिया जाए।

विधि भारती सम्मान उत्सव, 2001 -- प्रतिभा श्रीवास्तव

विधि भारती परिषद् ने 11 अप्रैल, 2001 को स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशनल क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें उच्चतम न्यायालय

के अंतर्राष्ट्रीय ख़्याति-लब्ध एवं प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना और दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी की पूर्व प्रो (डॉ.) लोतिका सरकार को जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानव-मूल्यों की स्थापना करने एवं विधि के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भारत के इंग्लैंड में पूर्व हाई कमिश्नर, राज्य सभा के तत्कालीन सदस्य, प्रसिद्ध विधि-वेत्ता, कवि एवं साहित्यकार डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी ने की। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं तत्कालीन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण वर्मा।

'विधि भारती सम्मान अर्पण-समारोह का शुभारंभ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में रीडर के पद पर कार्यरत डॉ. सविता शर्मा के मधुर स्वर में सरस्वती वंदन से हुआ। इसके पश्चात् मंच पर उपस्थित अतिथि विद्वत्जन माननीय श्री जे.एस. वर्मा जी, डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी, माननीय न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना, डॉ. लोतिका सरकार, श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद एवं न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जैन ने ज्ञानदीप प्रज्ज्वलत कर समारोह का विधिवत् शुभारंभ किया। तत्पश्चात्, सभी आमंत्रित अतिथि गणों का स्वागत किया गया। नीलकंठ सर्जीकल एंड मेडीकल सेंटर की प्रभारी डॉ. आशु खन्ना ने न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना को सादर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रो. लोतिका सरकार का स्वागत किया प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं 'विधि भारती परिषद्' की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती देवलीना केजरीवाल ने। सम्मान समारोह में सादर आमंत्रित मुख्य अतिथि का लोक सभा की वरिष्ठ संपादक एवं 'विधि भारती परिषद्' की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव ने स्वागत किया। सम्मान समारोह के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी का दिल्ली की अधिवक्ता सुश्री डिम्पल ने सादर बुके दे कर स्वागत किया। मंचासीन माननीय श्री लोकेश्वर प्रसाद का स्वागत किया श्रीमती पूनम कालरा ने जो शालीमार बाग, दिल्ली स्थित जसपाल कौर स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर का श्रीमती ऋतु टंडन ने और मंचासीन मानवीय न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जैन का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विधि अधिकारी डॉ. प्रेम लता ने सादर बुके भेंट कर स्वागत किया। परम हर्ष का विषय था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की ओर से आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती राजलक्ष्मी राव पधारी थीं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की विदूषी निदेशक डॉ. पुष्पलता तनेजा ने उनका स्वागत कर उनको बुके भेंट कर किया।

पूर्व दिल्ली जिला जज, उपभोक्ता फोरम के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्ममान में दिल्ली उपभोक्ता आयोग के माननीय सदस्य एवं 'विधि भारती परिषद्' के परामश-मंडल के माननीय सदस्य श्री एस.पी. सब्बरवाल जी ने सभी आमंत्रित अतिथियों का विधिवत् रूप से स्वागत के लिए भाषण दिया।

परिषद् की महासचिव एवं 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका की संस्थापक संपादक श्रीमती सन्तोष खन्ना ने समारोह की कार्यवाही का संचालन करते हुए परिषद् की गतिविधियों एवं 'विधि भारती सम्मान' के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर सम्मान चयन समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय सुजाता वी. मनोहर ने चयन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमने पहले यह निर्धारित किया कि यह सम्मान एक प्राध्यापक को भी अवश्य दिया जाना चाहिए और वह भी क़ानून के प्राध्यापक को क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने प्राध्यापकों को भूल रहे हैं। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के नाम का चयन इसलिए किया गया कि उन्होंने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले से एक नया इतिहास रच डाला था। वह एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे युग-पुरुष हैं जो शब्दों के माध्यम से वर्णनातीत हैं। प्रोफेसर लोतिका सरकार ने न केवल विधि प्रोफेसर के रूप में ख़्याति प्राप्त की अपितु महिलाओं के उत्थान के लिए उनका योगदान सर्वविदित है।

न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण वर्मा ने न्यायमूर्ति एच.

आर. खन्ना के विपरीत परिस्थितियों में लिए गए फैसलों का उल्लेख करते हुए उनके साहस, सूझ-बूझ और उनके त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए सम्मान चयन समिति की अध्यक्षा और अन्य सदस्यों को ऐसी विभूति की 'विधि भारती सम्मान' के लिए चयन पर बधाई दी। उन्होंने प्रो. लोतिका सरकार के समाज को अपूर्व योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि उनके छात्र बड़े-बड़े पदों पर यहाँ तक कि न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी ने 'विधि भारती सम्मान' से सम्मानित होने वाली विभूतियों को 'जीती-जागती उत्सव मूर्तियों' की संज्ञा देते हुए इस बात पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान के लिए चयन कर 'विधि भारती परिषद्' स्वयं गौरवान्वित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने न्याय की, शिक्षा की और संस्कार की रक्षा की है। डॉ. सिंघवी ने न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना पर अपनी एक बेहद ख़ूबसूरत कविता भी पढ़ी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर एवं 'विधि भारती परिषद्' की कायकारिणी के सदस्य डॉ. पूरनचंद टंडन ने 'विधि भारती सम्मान' प्राप्त करने वाली दोनों विभूतियों, माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना एवं डॉ. लोतिका सरकार का सम्मान अर्पण से पहले प्रशस्ति वाचन किया।

समारोह में सर्वप्रथम डॉ. लोतिका सरकार को जब न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण वर्मा ने शॉल ओढ़ा कर तथा प्रतीक चिह्न प्रदान कर सम्मान अर्पण किया तो वह एक अभूतपूर्व दृश्य था। वास्तव में यह सम्मान एक साधारण व्यक्ति का नहीं, अपितु ऐसे व्यक्ति का था जो स्वयं में एक संस्था बन गया था। डॉ. लोतिका सरकार ने अपने भाषण में कहा कि 'विधि भारती सम्मान' केवल उनका ही नहीं, उनके छात्रों का भी सम्मान है क्योंकि जो कुछ भी आज है अपने छात्रों के कारण है। उनके छात्र हमेशा उनसे भाँति-भाँति के प्रश्न पूछा करते थे और कई बार वह उनका संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाती थी। उन्होंने बताया कि उनके छात्र उससे पूछा करते थे कि स्वतंत्र भारत में भी हम इंग्लैंड के क़ानूनों का अनुपालन कर रहे हैं क्या वहाँ की दंड संहिता के साथ 'भारतीय' शब्द लग जाने से ही वह भारतीय दंड संहिता बन जाती है? डॉ. लोतिका सरकार ने यह भी बताया कि साहसी होने का पाठ उन्होंने न्यायमूर्ति श्री खन्ना जी से सीखा है क्योंकि जब मथुरा केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ''मथुरा 16 वर्ष से भी कम एक आदिवासी लड़की जो पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों के बलात्कार का शिकार हुई थी की सहमति थी क्योंकि उसके शरीर पर विरोध करने के निशान नहीं थे और पुलिस कर्मियों को बरी कर दिया गया था, इस फैसले के विरोध में डॉ. लोतिका सरकार ने अपने अन्य प्राध्यापक सहयोगियों के साथ मिल कर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर देश की महिला संस्थाओं को पत्र लिखा था और इन महिला संस्थाओं के देशभर में विरोध के कारण विधि आयोग ने बलात्कार संबंधी क़ानून में परिवर्तन किया था। उस समय सभी कह रहे थे कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध नहीं किया जा सकता है किंतु एक बार जब यह समझ लिया कि कहीं कुछ ग़लत हुआ है तो फिर परिणाम की परवाह किए बिना आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर होता है। डॉ. लोतिका सरकार ने अपने छात्रों, जहाँ भी हों, का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अब भी अनुपालन नहीं हो रहा है उन्हें आगे बढ़ कर इस दिशा में अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए।

माननीय श्री जगदीश शरण वर्मा जी ने न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना को शॉल ओढ़ा कर प्रतीक चिह्न प्रदान कर उनका सम्मान किया तो हाल में उपस्थित विद्वत्जनों ने दीर्घकाल तक करतल ध्वनि करते हुए उनका अभिनंदन किया। उससे पहले परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने कहा कि इन दोनों महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए हमें परम हर्ष हो रहा है। यह भी हर्ष का विषय है कि न्यायमूर्ति खन्ना जी को पदम विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हालाँकि इस सूचना की जानकारी हमें माननीय खन्ना जी के घर पहुँच कर ही मिली। जब हम

उनसे मिले तो उन्होंने हमें नहीं बताया, यह तो उनके यहाँ दीवार पर उनकी पद्म विभूषण प्रशस्ति सुशोभित हो रही थी जिससे हमें पता चला तो हमें और भी बहुत अच्छा लगा कि 'विधि भारती सम्मान' ऐसी विभूति को अर्पित किया जाएगा जिन्हें सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 'विधि भारती सम्मान' तो एक छोटा-सा सम्मान है किंतु हमारी श्रद्धा तो ऐसी है कि हमारे बस में हो तो हम उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित कर दें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधि भारती परिषद् की अध्यक्ष डॉ. सरोजनी महिषी ने इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए -- ''मंचासीन बड़े-बड़े विद्वत् रत्न और न्यायमूर्तियों ने आज हमें शब्दों के माध्यम से ज्ञानात्मृत का भोजन कराया। ज्ञान का आस्वाद शेष सभी आस्वादों से परम पवित्र और बहुत मूल्यवान होता है। श्रीमती सन्तोष खन्ना जब संसद में थीं तो वह कहा करती थीं कि वह महिलाओं के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका प्रारंभ करना चाहती हैं। किसी की इच्छा हो, उसे अभिव्यक्त करना अलग बात है और उसे कृति रूप में लाना, उस इच्छा को साकार करना अलग बात हे। इसलिए आज हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने उस पत्रिका की नींव रखी और आज आपके सामने उसके 25-26वें अंक के लोकार्पण का अवसर आया। यह भी खुशी की बात है कि उन्होंने इस प्रकार का सम्मान आयोजन कर आप सब लोगों को एकत्रित किया। पत्रिका के बारे में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा इस सम्मान समारोह के आयोजन के बारे में बताया। आज यहाँ बड़े-बड़े तपस्वी लोग बैठे हैं जो व्यक्ति के रूप में नहीं यहाँ बड़ी-बड़ी संस्थाओं के रूप में बैठे हैं यह तपस्वी लोग हैं जिनका धन तपोधन है, जिनका धन ज्ञान-धन है, जिनका धन अनुभव-धन है। ऐसे लोगों को सुनने का हमें अवसर मिला, हम उनके अत्यंत ऋणी हैं।

माननीय न्यायमूर्ति श्री खन्ना जी ने सम्मान अभिषेक के पश्चात् अपने आशीर्वचन में अन्य बातों के साथ-साथ देश के प्रति अपने सरोकार को मुखर करते हुए यह भी कहा कि यह बड़ा खेद का विषय है कि विश्व में भारत की सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में गणना की जा रही है और वैसे भी भारत सबसे अधिक गरीब दस देशों में से एक है। जब तक हम देश की इस छवि को नहीं सुधारेंगे सब व्यर्थ है। संसद को आजकल शोर आदि के कारण चलने नहीं दिया जाता जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें जागृति के प्रकाश से गुजरना होगा और हमें लोकतंत्र मूल्यों का अनुपालन करना होगा। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने अपने ओजस्वी अध्यक्षीय भाषण में कहा था और प्रेरक शब्द आज भी उन्हें याद हैं --

''Who lives if India dies and
who dies if India lives.''

इसलिए हमें उन महान व्यक्तियों के पदचिह्नों पर चल कर देश को आगे ले जाना होगा जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई और देश को महान बनाया।

समारोह के अंत में लोक सभा सचिवालय की वरिष्ठ संपादक एवं विधि भारती परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव ने सबका विधिवत् रूप से धन्यवाद किया। कार्यवाही का संचालन श्रीमती सन्तोष खन्ना ने किया। समारोह संपन्न होने पर उसमें सम्मिलित हुए गणमान्य विद्वत्जनों की एक स्वर से यही टिप्पणी थी कि ''कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है।'' कुछ शुभचिंतकों के उद्गार थे, ''हमने इससे अच्छा कार्यक्रम कभी नहीं देखा।'' स्वाभाविक था हम भी गद्गद् हुए बिना नहीं रह सके। हमें आरंभ से अंत तक बराबर यह अहसास होता रहा कि इस कार्य में कोई तीसरी अदृश्य शक्ति भी सक्रिय थी जिसे परिभाषित करना सुगम नहीं था। इस प्रकार प्रथम 'विधि भारती सम्मान' की बेजोड़ एवं शानदार शुरुआत हुई। इस शानदार और जानदार शुरुआत के लिए हम सभी के प्रति आभारी थे जिनके निष्काम एवं सहज सहयोग के बिना यह संभव न हो पाता।

इस संबंध में और एक उल्लेखनीय बात यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर 'महिला विधि भारती' का सचित्र अंक 'सम्मान उत्सव अंक' प्रकाशित किया गया जो एक संग्रहणीय अंक बन पड़ा था।

विधि भारती सम्मान अर्पण समारोह, 2004 -- डॉ. प्रेमलता

विधि भारती परिषद् ने इस वर्ष 2 सितंबर, 2004 को स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें वर्ष 2002 और 2003 के विधि भारती सम्मान इस समारोह के मुख्य अतिथि लोक सभा अध्यक्ष, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी के कर कमलों द्वारा अर्पित किए गए। वर्ष 2002 का विधि भारती सम्मान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं संविधान समीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय श्री एम.एन. वेंकटचलैया तथा भारत सरकार की पूर्व विधि सचिव, पूर्व चुनाव आयुक्त, राज्य सभा की पूर्व महासचिव एवं हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक की पूर्व राज्यपाल डॉ. वी.एस. रमा देवी तथा वर्ष 2003 का विधि भारती सम्मान भूतपूर्व नौकरशाह तथा प्रसिद्ध सामाजिक एवं उपभोक्ता कार्यकर्ता एवं कॉमल कॉज के संस्थापक-निदेशक श्री एच.डी. शौरी को प्रदान किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भारत के इंग्लैंड में पूर्व हाई कमिश्नर, लोक सभा एवं राज्य सभा के पूर्व सदस्य, प्रसिद्ध विधिवेत्ता, कवि एवं साहित्यकार डॉ. लक्ष्मीमल सिंधवी ने की।

विधि भारती सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि लोक सभा अध्यक्ष माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी ने चयनित विभूतियों को विधि भारती सम्मान अर्पित करने के पश्चात् भावपूर्ण उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि वह विधि भारती परिषद् को विधि के क्षेत्र में उसके सार्थक कार्य के लिए तथा 'महिला विधि भारती' जैसी उत्कृष्ट पत्रिका के प्रकाशन के लिए बधाई देते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि देश में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिए विधि भारती परिषद् द्वारा किये जा रहे अनुकरणीय प्रयासों के लिए उसकी सराहना करते हैं। न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया को विधि भारती सम्मान के लिए बधाई देते हुए माननीय श्री चटर्जी ने कहा कि श्री वेंकटचलैया ने भारत की विधि और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने डॉ. रमादेवी के कृतित्व और व्यक्तित्व की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए और उन्हें सामाजिक एवं मानव अधिकारों की महान संरक्षक बताते हुए कहा कि वह विधि भारती सम्मान चयन समिति को भी बधाई देते हैं जिसकी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर हैं। समिति ने निर्भय एवं निष्पक्ष होकर बिल्कुल सही विभूतियों का चयन किया है जो सचमुच विधि भारती सम्मान के पात्र हैं।

यह सर्वविदित ही है कि विधि भारती परिषद् ने नई सहस्राब्दी के शुभारंभ के समय 'विधि भारती सम्मान' की स्थापना की थी। विधि भारती सम्मान प्रदान करने के संबंध में परिषद् की **निश्चित अवधारणा थी कि यह सम्मान राष्ट्रीय छवि के ऐसे महानुभावों को प्रदान किये जाएँ जिन्होंने जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना की और जो विवाद से बिल्कुल परे हों तथा जिन्होंने विधि के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान दिया हो।** परिषद् का यह भी निश्चित मत रहा है कि विधि भारती सम्मान की गरिमा और महत्व को अक्षुण्य रखने के लिए चयन प्रक्रिया नितांत निष्पक्ष, पारदर्शी हो और सभी प्रकार की राजनीति से दूर हो। अतः वर्ष 2001 की चयन समिति की भाँति ही वर्ष 2002 और 2003 के विधि भारती सम्मान के लिए चयन समिति की अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की सुप्रतिष्ठित विदूषी न्यायमूर्ति एवं वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती सुजाता वी. मनोहर थीं। इस समिति के अन्य सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री एस. एन. कपूर तथा प्रख्यात विधि प्रोफेसर एवं महिला उत्थान की नायिका तथा वर्ष 2001 के विधि भारती पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर लोतिका सरकार थीं। विधि भारती परिषद् की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं दिल्ली के उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद, (विधि भारती परिषद् के उपाध्यक्ष), श्रीमती मंजू चौधरी (कोषाध्यक्ष) श्रीमती अनीता जैन (सदस्य) एवं श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव) सम्मान चयन समिति

की बैठक के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। इस बैठक में न्यायमूर्ति श्री एम.एन. वेंकटचलैया, डॉ. रमादेवी और श्री एच.डी. शौरी के नामों का चयन किया गया और इन विभूतियों ने सम्मान ग्रहण की स्वीकृति दे कर परिषद् को गौरवान्वित किया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध एवं प्रतिष्ठित पद्मविभूषण पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना और दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी की पूर्व प्रोफेसर डॉ. लोतिका सरकार को विधि भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उस समय भी 11 अप्रैल, 2001 में स्पीकर सभागार, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में ही एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया था।

विधि भारती सम्मान अर्पण समारोह का शुभारंभ लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ में रीडर के पद पर कार्यरत डॉ. सविता शर्मा के मधुर स्वर में सरस्वती वंदन से हुआ। तत्पश्चात्, समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी, समारोह के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीमल सिंधवी, न्यायमूर्ति श्री एम.एन. वैंकटचलैया, डॉ. रमादेवी, न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर, प्रो. लोतिका सरकार एवं डॉ. सरोजनी महिषी ने ज्ञानदीप प्रज्जवलित कर समारोह का विधिवत् शुभारम्भ किया। तत्पश्चात्, सभी आमंत्रित अतिथिगणों का स्वागत किया गया। नीलकंठ सर्जीकल एवं मेडीकल सेंटर की प्रभारी डॉ. आशु खन्ना ने समारोह के मुख्य अतिथि लोक सभा अध्यक्ष माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी को सादर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। मंचासीन न्यायमूर्ति श्री एम.एन. वेंकटचलैया का स्वागत किया राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की सदस्य श्रीमती राजलक्ष्मी राव ने और डॉ. रमा देवी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम की सदस्य श्रीमती नरगिस राज कुमार ने। माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर का दिल्ली में जनकपुरी उपभोक्ता फोरम की सदस्य डॉ. प्रेमलता ने स्वागत किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर का डॉ. राजीव खन्ना और प्रो. लोतिका सरकार का लोक सभा सचिवालय की उपसचिव श्रीमती सुदेश लूथरा ने स्वागत किया। मंचासीन डॉ. सरोजनी महिषी जो विधि भारती परिषद् की अध्यक्ष हैं, का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।

परम हर्ष का विषय था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की ओर से आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती राजलक्ष्मी राव समारोह में पधारी थीं। उनका भी स्वागत किया गया जिन्हें विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज की निदेशक डॉ. ऊषा टंडन ने बुके भेंट किया। उच्चतम न्यायालय के अग्रणी अधिवक्ता एवं विधि भारती परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. सूरत सिंह ने स्वागत भाषण दिया।

परिषद की महासचिव एवं 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका की संस्थापक संपादक श्रीमती सन्तोष खन्ना ने समारोह की कार्यवाही का संचालन करते हुए परिषद् की गतिविधियों एवं विधि भारती सम्मान के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर सम्मान चयन समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर ने चयन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विधि भारती सम्मान वर्ष 2001 में शुरू किए गए थे इसलिए इनके संबंध में निर्धारित प्रतिमानों को दृष्टिगत करते हुए उस वर्ष के लिए न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के नाम का चयन किया गया क्योंकि उन्होंने अपने विमत फैसले से एक नया इतिहास रच डाला था। वह एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे युग-पुरुष हैं जो शब्दों के माध्यम से वर्णनातीत हैं। दूसरा नाम प्रो. लोतिका सरकार का था जिन्होंने न केवल विधि प्रोफेसर के रूप में ख्याति प्राप्त की अपितु महिलाओं के उत्थान के लिए उनका योगदान सर्वविदित है और जिनके छात्र बड़े-बड़े पदों यहाँ तक कि न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2002 के लिए जिन विभूतियों का चयन किया गया, उनका अपने-अपने क्षेत्र में अप्रतिम योगदान सर्वविदित है।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉ. लक्ष्मीमल

सिंधवी ने विधि भारती सम्मान से सम्मानित होने वाली तीनों विभूतियों को 'जीती जागती उत्सव मूर्तियों की संज्ञा देते हुए इस बात पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान के लिए चयन कर विधि भारती परिषद् स्वयं गौरवान्वित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों ने न्याय की, शिक्षा और संस्कार की रक्षा की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर एवं विधि भारती परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. पूरनचंद टंडन ने विधि भारती सम्मान प्राप्त करने वाली तीनों विभूतियों माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एन. वेंकटचलैया, डॉ. रमा देवी एवं श्री एच.डी. शौरी को विधि भारती सम्मान अर्पण से पहले प्रशस्ति वाचन किया।

समारोह में सर्वप्रथम न्यायमूर्ति वेंकटचलैया को जब माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी ने शाल ओढ़ा कर तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मान अर्पण किया तो वह एक अभूतपूर्व दृश्य था। माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी ने डॉ. रमा देवी को शाल ओढ़ा कर प्रतीक चिन्ह् प्रदान कर उनका सम्मान किया तो हाल में उपस्थित विद्वतजनों ने दीर्घकाल तक करतल ध्वनि करते हुए उनका अभिनंदन किया। उससे पहले परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने बताया कि इन तीनों महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए हमें परम हर्ष हो रहा है। हर्ष का विषय था कि जब विधि भारती सम्मान की घोषणा की गई थी न्यायमूर्ति खन्ना जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। इस बार का संयोग देखिए कि जब वर्ष 2002 और 2003 के विधि भारती सम्मान की घोषणा की गई तो उसके बाद न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया को पद्मविभूषण देने की घोषणा हुई और उन्हें उससे सम्मानित किया गया।

पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री एवं विधि भारती परिषद् की अध्यक्ष डॉ. सरोजनी महिषी ने इस अवसर पर अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए : ''मंचासीन बड़े-बड़े विद्वत रत्न और न्यायमूर्तियों ने आज हमें शब्दों के माध्यम से ज्ञानात्मृत का भोजन कराया। ज्ञान का आस्वाद शेष सभी आस्वादों से परम पवित्र और बहुत मूल्यवान होता है। श्रीमती सन्तोष खन्ना जब संसद में थीं तो उन्होंने 'विधि भारती परिषद' एवं 'महिला विधि भारती' पत्रिका की नींव रखी और आज आपके सामने उसके 40वें अंक के लोकार्पण का अवसर आया। यह भी खुशी की बात है कि उन्होंने इस प्रकार के सम्मान का आयोजन कर आप सब लोगों को एकत्रित किया। आज यहाँ बड़े-बड़े तपस्वी लोग बैठे हैं जो व्यक्ति के रूप में नहीं यहाँ बड़ी-बड़ी संस्थाओं के रूप में बैठे हैं यह तपस्वी लोग हैं जिनका धन तपोधन है जिनका ज्ञान धन है जिनका धन अनुभव धन है। ऐसे लोगों को सुनने का हमें अवसर मिला, हम उनके अत्यंत ऋणी हैं।''

माननीय न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया जी ने सम्मान अभिषेक के पश्चात् अपने आशीर्वचन में अन्य बातों के साथ-साथ देश और विश्व के प्रति अपने सरोकार को मुखर करते हुए यह भी कहा कि विश्व में पिछले कुछ वर्षों से इतना बदलाव आया है जितना पिछले पाँच हजार वर्षों में भी नहीं आया था। औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस बदलाव के बावजूद विश्व अभी भी संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी भी युद्ध, रोग, गरीबी और सबसे अधिक क्रूर आतंकवादी हिंसा मानवता के लिए ख़तरे का कारण बन रही है। भारत का विश्व को कला, साहित्य, संस्कृति, सौंदर्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र तथा सर्वाधिक अध्यात्म के क्षेत्र में अपूर्व योगदान रहा है।

भारत विश्व में आए बदलाव को आत्मसात करते हुए स्वयं में शक्ति और ऊर्जा का संचार कर समूचे विश्व में मानव मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा कर सकता है। वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समन्वय, समरसता और सौहार्द की प्रेरणा दे विश्व को एक नूतन दिशा प्रदान कर सकता है और विश्व में सतत शांति का नूतन पथ प्रशस्त कर सकता है।

समारोह के अंत में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की निदेशक डॉ. उषा टंडन ने सब का

विधिवत् रूप से धन्यवाद ज्ञापन किया और सबको जलपान के लिए आमंत्रित किया। कार्यवाही का संचालन श्रीमती सन्तोष खन्ना ने किया।

विधि भारती सम्मान अर्पण समारोह, 2008 -- डॉ. आशु खन्ना

विधि भारती परिषद् ने 15 मई, 2008 को स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें वर्ष 2005, 2006 और 2007 के राष्ट्र विधि भारती सम्मान, समारोह के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रमेश चंद लाहोटी के कर कमलों द्वारा अर्पित किए गए। वर्ष 2005 का राष्ट्र विधि भारती सम्मान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय श्री पी.एन. भगवती एवं हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्य न्यायाशीध न्यायमूर्ति माननीया श्रीमती लीला सेठ को प्रदान किया गया। वर्ष 2006 का राष्ट्र विधि भारती सम्मान उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वी.बी. जीवन रेड्डी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय की प्रोफेसर डॉ. (श्रीमती) एस.के. वर्मा को प्रदान किया गया।

वर्ष 2007 का राष्ट्र विधि भारती सम्मान डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक तथा वर्तमान में संसद सदस्य तथा सुश्री अनुराधा मोहित, निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून को प्रदान किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता कर्नाटक राज्य के पूर्व राज्यपाल महामहिम श्री टी.एन. चतुर्वेदी ने की।

इस समारोह के दौरान माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी, पूर्व महामहिम राज्यपाल श्री टी.एन चतुर्वेदी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य एवं राष्ट्र विधि भारती सम्मान समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शिवराज पाटिल, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्र विधि भारती सम्मान समिति के सदस्य न्यायमूर्ति श्री अरविंद सावंत, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के सदस्य एवं राष्ट्र विधि भारती सम्मान समिति के सदस्य न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर तथा पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री एवं विधि भारती परिषद् की अध्यक्ष माननीय डॉ. सरोजनी महिषी मंचासीन थीं। इन सभी मंचासीन विभूतियों ने विधि भारती परिषद् के 54वें सम्मान/पुरस्कार विशेषांक का लोकार्पण किया। इस विशेषांक में राष्ट्र विधि भारती सम्मान, राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार एवं राष्ट्र भारती सम्मान की संकल्पना एवं उद्देश्यों का वर्णन करते हुए सम्मान/पुरस्कार प्राप्त करने वाले महानुभावों के जीवन वृत्त एवं उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रकाशित किया गया था। इसके साथ, इस विशेषांक में महत्त्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर रचनात्मक आलेख, सामाजिक सोद्देश्यपूर्ण कहानी, कविता आदि भी प्रकाशित किए गए। इसके साथ ही उसमें अन्य स्थायी स्तंभ भी प्रकाशित किए गए।

राष्ट्र विधि भारती सम्मान पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.सी लाहोटी ने चयनित विभूतियों को विधि भारती सम्मान अर्पित करने के पश्चात् भावपूर्ण उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि वह विधि भारती परिषद् को विधि के क्षेत्र में उसके सार्थक कार्य के लिए तथा 'महिला विधि भारती' जैसी उत्कृष्ट पत्रिका के प्रकाशन के लिए बधाई देते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वे देश में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिए विधि भारती परिषद् द्वारा किए जा रहे अनुकरणीय प्रयासों के लिए उसकी सराहना करते हैं। न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती को राष्ट्र विधि भारती सम्मान के लिए बधाई देते हुए माननीय श्री लाहोटी ने कहा कि श्री भगवती ने भारत की विधि और न्याय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी के कृतित्व और व्यक्तित्व की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए और उन्हें सामाजिक एवं मानव अधिकारों का महान संरक्षक बताते हुए कहा कि वह राष्ट्र विधि भारती सम्मान चयन समिति को भी बधाई देते हैं जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शिवराज

पाटिल हैं। समिति ने निर्भय एवं निष्पक्ष होकर बिल्कुल सही विभूतियों का चयन किया है जो सचमुच राष्ट्र विधि भारती सम्मान की पात्र हैं। उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती लीला सेठ के बारे में कहा कि वह महिला शक्ति की प्रतीक हैं जिन्होंने देश में न्याय के क्षेत्र में प्रथम महिला न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पदों को सुशोभित कर नारी को गौरव प्रदान किया। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की हरित क्रांति और आर्थिक पारिस्थितिक के जनक के रूप में भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक ऐसे इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से देश का सम्मान और गौरव बढ़ाया है। सुश्री अनुराधा मोहित को उन्होंने मानव अधिकारों का बहुत बड़ा प्रवक्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने देश और विदेश में अशक्य लोगों के लिए क़ानूनी और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत काम किया है। दृष्टि बाधित होने पर भी उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कभी हार नहीं मानी। ऐसी सभी विभूतियों को राष्ट्र विधि भारती सम्मान प्रदान कर विधि भारती परिषद् स्वयं गौरवान्वित हुई है।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री लाहोटी ने जब इन माननीय विभूतियों को शाल ओढ़ा कर प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें राष्ट्र विधि भारती सम्मान प्रदान कर उनका सम्मान किया तो हाल में उपस्थित विद्वत्जनों ने दीर्घकाल तक करतल ध्वनि करते हुए उनका अभिनंदन किया। उससे पहले परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने बताया कि इन छः महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए हमें परम हर्ष हो रहा है। हर्ष का विषय था कि जब वर्ष 2001 में विधि भारती सम्मान की घोषणा की गई थी न्यायमूर्ति खन्ना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। अगली बार का संयोग देखिए कि जब वर्ष 2002-03 के विधि भारती सम्मान की घोषणा की गई तो उसके बाद न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया को पद्मविभूषण देने की घोषणा हुई और उन्हें उससे सम्मानित किया गया। इस बार का भी संयोग देखिए कि आज जब यहाँ न्यायूमर्ति श्री पी.एन. भगवती जी का राष्ट्र विधि भारती सम्मान से अभिषेक किया जा रहा है तो उन्हें भी देश के उच्चतम सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवनरेड्डी जी ने सम्मान अभिषेक के पश्चात् आशीर्वचन में अन्य बातों के साथ-साथ देश और विश्व के प्रति अपने सरोकार को मुखर करते हुए कहा कि विश्व में पिछले कुछ वर्षों से इतना बदलाव आया है जितना पिछले पाँच हजार वर्षों में भी नहीं आया। औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस बदलाव के बावजूद विश्व अभी भी संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी भी युद्ध, रोग, गरीबी और सबसे अधिक क्रूर आतंकवादी हिंसा मानवता के लिए ख़तरे का कारण बन रही है। भारत का विश्व को कला, साहित्य, संस्कृति, सौंदर्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र तथा सर्वाधिक अध्यात्म के क्षेत्र में अपूर्व योगदान रहा है। भारत विश्व में आए बदलाव को आत्मसात करते हुए स्वयं में शक्ति और ऊर्जा का संचार कर समूचे विश्व में मानव मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा कर सकता है। वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समन्वय, समरसता और सौहार्द की प्रेरणा दे विश्व को एक नूतन दिशा प्रदान कर सकता है और विश्व में सतत शांति का नूतन पथ प्रशस्त कर सकता है।

यह सर्वविदित ही है कि विधि भारती परिषद् ने नई सहस्राब्दी के शुभारम्भ के समय ''विधि भारती सम्मान'' की स्थापना की थी। विधि भारती सम्मान प्रदान करने के संबंध में परिषद् की निश्चित अवधारणा थी कि यह राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय छवि के ऐसे महानुभावों को प्रदान किये जाएँ जिन्होंने जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना की और जो विवाद से बिल्कुल परे हों तथा जिन्होंने विधि के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान दिया हो। परिषद् का यह भी निश्चित मत रहा है कि राष्ट्र विधि भारती सम्मान की गरिमा और महत्त्व को अक्षुण्य रखने के लिए चयन प्रक्रिया नितांत निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो और सभी प्रकार की राजनीति से दूर हो। अतः वर्ष 2001 की चयन

समिति की भाँति ही वर्ष 2002 और 2003 के विधि भारती सम्मान के लिए चयन समिति की अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की सुप्रतिष्ठित विदूषी न्यायमूर्ति एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तत्कालीन सदस्य श्रीमती सुजाता वी. मनोहर थीं। इस समिति के अन्य सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर तथा प्रख्यात विधि प्रोफेसर एवं महिला उत्थान की नायिका तथा वर्ष 2001 के विधि भारती पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर लोतिका सरकार थीं। विधि भारती परिषद् की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं दिल्ली के उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद, (विधि भारती परिषद् के उपाध्यक्ष), श्रीमती मंजू चौधरी (कोषाध्यक्ष) श्रीमती अनीता जैन (सदस्य) एवं श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव) सम्मान चयन समिति की बैठक के दौरान समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। इस बैठक में न्यायमूर्ति श्री एम.एन. वेंकटचलैया, डॉ. रमादेवी और श्री एच.डी. शौरी के नामों का चयन किया गया था और इन विभूतियों ने सम्मान ग्रहण की स्वीकृति दे कर परिषद् को गौरवान्वित किया था। इन विभूतियों को विधि भारती समान लोक सभा के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री सोमनाथ चैटर्जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया था। वह 2004 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी ने राष्ट्र विधि भारती सम्मान से सम्मानित होने वाली छः विभूतियों को ''जीती जागती उत्सव मूर्तियों की संज्ञा देते हुए इस बात पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान के लिए चयन कर विधि भारती परिषद् स्वयं गौरवान्वित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों ने न्याय की, शिक्षा और संस्कार की रक्षा की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ रीडर एवं विधि भारती परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. पूरनचंद टंडन ने वर्ष 2005 के राष्ट्र विधि भारती सम्मान प्राप्त करने वाली दोनों विभूतियों माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति श्रीमती लीला सेठ को राष्ट्र विधि भारती सम्मान अर्पण से पहले प्रशस्ति वाचन किया। न्यायमूर्ति श्री जीवन रेड्डी एवं प्रो. एस.के. वर्मा के लिए प्रशिस्त वाचन किया आकाशवाणी के श्री जैमिनी कुमार श्रीवास्तव ने तथा डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन एवं सुश्री अनुराधा मोहित के लिए लाल बहादुर शास्त्रीय संस्कृत विद्यापीठ की रीडर डॉ. सविता शर्मा ने प्रशस्ति वाचन किया।

विधि भारती परिषद् द्वारा अब तक इन महानुभावों को राष्ट्रीय विधि भारती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है --

1. न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।
2. प्रो. लोतिका सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि संकाय की पूर्व प्रोफेसर।
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एन. वेंकटचलैया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष।
4. माननीय डॉ. वी.एस. रमादेवी, पूर्व राज्यपाल, कर्नाटक राज्य।
5. श्री एच.डी. शौरी, तत्कालीन अध्यक्ष, कामन कॉज संस्था।
6. न्यायमूर्ति माननीय श्री पी.एन. भगवती, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
7. न्यायमूर्ति श्रीमती लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश राज्य की पूर्व मुख्य न्यायाधीश।
8. न्यायमूर्ति माननीय श्री बी.पी. जीवन रेड्डी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
9. प्रो. एस.के. वर्मा, प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
10. प्रोफेसर (डॉ.) स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक

एवं तत्कालीन संसद सदस्य।

11. सुश्री अनुराधा मोहित, निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून।
12. श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रतिष्ठित विधिविद् एवं भारत सरकार, विधि मंत्रालय से सेवा-निवृत्त।
13. श्री अरविंद जैन, प्रतिष्ठित अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय एवं महिला सरोकारों के जानकार, वर्ष 2019

राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार

विधि भारती परिषद् ने यह पुरस्कार 2005 में प्रारंभ किया था बेशक पुरस्कार की राशि बहुत कम थी फिर भी अब तक कुछ लेखक विधि की हिंदी में रचित विधि पुस्तकों पर यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान पुरस्कार की राशि बढ़ाकर निम्नवत् कर दी गई है --

प्रथम पुरस्कार	7,100/--
द्वितीय पुरस्कार	5,100/--
तृतीय पुरस्कार	3,100/--

इस वर्ष 2020 में दो पुस्तकों पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाना है यथा --

1. डॉ. सुधा अवस्थी को उनकी पुस्तक 'जनहित याचिका' पर प्रथम पुरस्कार।
2. नम्रता शुक्ला 'नारी अधिकार' पर द्वितीय पुरस्कार।

विधि भारती परिषद् ने विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार और हिंदी के विधि लेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्र विधि भारती पुस्तक पुरस्कार प्रारंभ किए थे। यह पुरस्कार पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित विधि पुस्तकों पर प्रदान किए जाते हैं। इस समारोह में चार लेखकों को उनकी पुस्तक पर पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2006 का डॉ. प्रेमलता को उनकी पुस्तक 'उपभोक्ता अदालतें' पर प्रथम पुरस्कार (5100/-रुपए); श्री कृष्णगोपाल अग्रवाल को उनकी पुस्तक 'विधि अनुवाद : विविध आयाम' पर द्वितीय पुरस्कार (3100/- रुपए) तथा कला मुणेत को उनकी पुस्तक 'राजस्थान की भूमि विधियाँ' पर तृतीय पुरस्कार (2100/- रुपए) प्रदान किए गए। वर्ष 2005 का डॉ. ममता चतुर्वेदी को उनकी पुस्तक 'जीवन बीमा विधि' पर द्वितीय पुरस्कार (3100/- रुपए) प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इस समारोह की मंचासीन विभूतियों के कर कमलों से प्रदान किए गए। डॉ. प्रेमलता एवं श्री कृष्णगोपाल अग्रवाल के लिए प्रशस्ति वाचन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक एवं विधि भारती परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. एच. बाल सुब्रह्मण्यम ने किया था। डॉ. कला मुणेत एवं डॉ. ममता चतुर्वेदी के लिए प्रशस्ति वाचन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पूर्व निदेशक डॉ. पुष्पलता तनेजा ने किया।

उल्लेखनीय है कि इन पुरस्कारों का निर्णय पुरस्कार समिति की 16 जून, 2007 को हुई एक बैठक में किया गया था। इस पुरस्कार समिति की बैठक में निम्नलिखित विशेषज्ञ सदस्यों ने भाग लिया था

1. डॉ. उषा टंडन, वरिष्ठ रीडर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. श्री रमेश मनचंदा, सदस्य, नई दिल्ली उपभोक्ता फोरम, नई दिल्ली।
3. श्री चंद्रशेखर आश्री, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।
4. डॉ. शकुंतला कालरा, वरिष्ठ रीडर, हिंदी विभाग, मैत्रेयी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5. सन्तोष खन्ना, पूर्व सदस्य, उत्तरी दिल्ली उपभोक्ता फार्म एवं महासचिव, विधि भारती परिषद।

राष्ट्र विधि भारती सम्मान

वर्ष 2008 में विधि भारती परिषद् ने राष्ट्र भारती सम्मान की स्थापना की थी। देश के जो विद्वान्, मनीषी, साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी अपनी सतत् साधना और अटूट निष्ठा से देश और समाज को अपने प्रेरक अवदान की गंगा से आप्लावित करते हैं, उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने तथा मान्यता देने के लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सर्वप्रथम 2008 में मध्य प्रदेश की विदूषी डॉ. श्रीमती राजेश जैन को इस

पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

वर्ष 2016 का राष्ट्र भारती सम्मान हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार मेजर श्री रतन जांगिड़ लेफ़्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त को उनके समग्र साहित्यिक अवदान तथा उनकी सैनिक सेवाओं के लिए मिस्र में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में 30 जनवरी, 2016 को प्रदान किया गया।

वर्ष 2017 में श्री वीरभद्र कार्कीढोली को नेपाली भाषा में साहित्य रचना के लिए तथा श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण को हिंदी साहित्य के लिए 'राष्ट्र भारती सम्मान' प्रदान किया गया। रूस, मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के कार्यक्रम में हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, चिंतक, मुख्य सचिव स्तर से सेवानिवृत्त कर्त्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री विजय किशोर सुंदर राय को प्रदान किया गया। इस प्रकार, अब तक राष्ट्र भारती सम्मान निम्नलिखित विभूतियों को प्रदान किए जा चुके हैं।

1. डॉ. राजेश जैन, मध्य प्रदेश
2. मेजर श्री रतन जांगिड़, राजस्थान
3. डॉ. उषा देव, दिल्ली
4. श्री वीरभद्र कार्कीढोली, सिक्किम
5. श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण, दिल्ली
6. श्री विजय किशोर सुंदर राय, उड़ीसा
7. श्री जयप्रकाश मानस, छत्तीसगढ़
8. श्री लक्ष्मण राव, दिल्ली
9. अनिता कुंडू, हरियाणा
10. ममता अहार, छत्तीसगढ़
11. रासेश्वरी पाणिग्रही, उड़ीसा

संगोष्ठियों/सेमिनारों का आयोजन

विधि भारती परिषद् प्रारंभ से ही समय-समय पर संगोष्ठियों/सेमिनारों का आयोजन करती आ रही है। इसमें कवि गोष्ठियाँ, साहित्यिक गोष्ठियाँ भी सम्मिलित हैं। इसमें कुछ का उल्लेख किया जा रहा है :--

22 फरवरी, 2019 विधि भारती परिषद् की 'पारिवारिक कानून और पारिवारिक मूल्यों' विषय पर संगोष्ठी

22 फरवरी, 2019 को विधि भारती परिषद् ने मालवीय स्मृति भवन, नई दिल्ली में एक बेहद गंभीर और उपयोगी विषय 'पारिवारिक कानून और पारिवारिक मूल्यों' पर एक-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और श्रीराम लोचन द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ। इस सत्र में मुख्य अतिथि दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मंजू गोयल थीं। लोक सभा के पूर्व महासचिव एवं भारत के प्रतिष्ठित संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की। इस उद्घाटन सत्र के विशिष्ठ अतिथि थे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक प्रो. (डॉ.) अवनीश कुमार, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.एन. कपूर और पूर्व सांसद श्रीमती सत्या बहिन। सत्र का संचालन किया सुपरिचित कवयित्री श्रीमती पूनम माटिया ने। सभी अतिथियों का स्वागत किया विधि भारती परिषद् की महासचिव एवं महिला विधि भारती पत्रिका की प्रधान संपादक श्रीमती सन्तोष खन्ना ने।

इसी उद्घाटन सत्र में विधि भारती परिषद् के सम्मान भी प्रदान किए गए। विधि भारती परिषद् का राष्ट्रीय स्तर का 'विधि भारती' सम्मान उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता एवं महिला सरोकारों के प्रतिष्ठित लेखक श्री अरविंद जैन को प्रदान किया गया। 'राष्ट्र भारती' सम्मान देश की तीन हस्तियों को दिए गए जिनमें प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री

जयप्रकाश मानस, (रायपुर), श्री लक्ष्मण राय (दिल्ली) और हरियाणा की ऐवरेस्टर अनिता कुंडू थीं। सभी अतिथियों ने पारिवारिक कानून और पारिवारिक मूल्यों पर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस विषय पर संगोष्ठी वस्तुतः समय की माँग है और हमें परिवार की संस्था मज़बूत बनाने के लिए उन सभी कारणों पर विचार कर इस दिशा में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना चाहिए क्योंकि परिवार हमारे समाज का आधार है और इस आधार को बचाना ही होगा।

दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि थे डॉ. राजकुमार, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, बी.एम. विश्वविद्यालय, रोहतक तथा श्री अरविंद जैन, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता और महिला सरोकारों के जानकार। इस सत्र की अध्यक्षता की डॉ. शकुंतला कालरा ने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज की पूर्व एसोसिएट और प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार हैं। इस सत्र का संचालन डॉ. उमाकांत खुबालकर ने किया जो वैज्ञानिक और तकनीकी आयोग से उप-निदेशक पद से सेवा-निवृत्त हैं तथा एक अच्छे कहानीकार और नाटककार भी हैं। श्री अनुरागेंद्र निगम, निदेशक आई.ए.एस. मिशन, दिल्ली ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

संगोष्ठी के तीसरे सत्र की अध्यक्षता की दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर और प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. प्रवेश सक्सेना ने। इस सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. के.एस. मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग, वी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत से। डॉ. उषा देव, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, माता सुंदरी कॉलेज एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।

दूसरे और तीसरे सत्र में देश के विभिन्न राज्यों से संगोष्ठी में भाग लेने आए भिन्न-भिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्वान् प्राध्यापकों तथा कुछ अन्य प्रबुद्ध लेखकों ने संगोष्ठी के विषय पर भिन्न-भिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए अपने पेपर प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में पधारे कई श्रोताओं ने कई विषयों पर प्रश्न उठाए और मंचासीन अतिथियों ने उनका समाधान प्रस्तुत किया।

विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने समूचे सत्र की कार्यवाही का समाहार करते हुए कहा कि ''कुल मिलाकर पारिवारिक कानून और पारिवारिक मूल्यों पर यह संगोष्ठी बहुत लाभप्रद रही है। उन्होंने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि पारिवारिक मूल्यों पर चलते हुए ही हम पारिवारिक कानूनों का लाभ ले सकते हैं। कानून से परिवर्तन अवश्य आता है लेकिन यदि पारिवारिक मूल्य ही नहीं होंगे तो लोगों में पारिवारिक कानूनों को पालन की मानसिकता नहीं बनेगी।

7 जनवरी, 2018 पुस्तक लोकार्पण, विचार एवं काव्य गोष्ठी : रेनू नूर

विधि भारती परिषद् द्वारा 7 जनवरी, 2018 को अपने कार्यालय के संगोष्ठी कक्ष में सुबह 10.30 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना के सद्यः प्रकाशित काव्य संग्रह 'समय का सच' का लोकार्पण, उस पर परिचर्चा एवं एक काव्य संगोष्ठी का आयोजन रहा। 'समय का सच' काव्य संग्रह का लोकार्पण प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं समाजशास्त्री पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह शशि, डॉ. मंजुला दास (प्रिन्सिपल, सत्यवती कॉलेज), डॉ. रवि शर्मा, (प्राध्यापक, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स), डॉ. प्रवेश सक्सेना, (पूर्व प्राध्यापिका, ज़ाकिर हुसैन कॉलेज), डॉ. उषा देव, (प्रतिष्ठित कहानीकार एवं पूर्व एसो. प्रोफेसर, माता सुंदरी कॉलेज) तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता

डॉ. जगदीश सी. बत्रा के सान्निध्य में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सर्वप्रथम भारती अग्रवाल द्वारा 'समय का सच' काव्य-संग्रह में संकलित 'वंदना' का मधुर उच्चारण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि माँ सरस्वती को नमन किया गया। इसके उपरांत डॉ. प्रवेश सक्सेना ने श्रीमती सन्तोष खन्ना के काव्य-संग्रह 'समय का सच' पर अपने विचार अभिव्यक्त किए तथा इस काव्य-संग्रह में संकलित विभिन्न कविताओं को गोष्ठी में उपस्थित सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया कि किस प्रकार श्रीमती खन्ना जी ने अपनी कविताओं में सामाजिक पहलुओं को अपने चिंतन-मनन द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इस काव्य-संग्रह से ज्ञात होता है कि प्रत्येक कविता की प्रत्येक पंक्ति हमारे समाज में व्याप्त विसंगतियों, विद्रूपताओं आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों को रेखांकित करती हैं।

डॉ. उषा देव ने भी 'समय का सच' में संकलित कविताओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कवयित्री की लेखनी उन विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चली है जो कि हमारे समाज को विकसित होने से रोक रहे हैं। हमारे समाज की कुरीतियाँ हमारी भावी पीढ़ी को गर्त की ओर धकेल रही हैं। इन कुरीतियों को अब हमें स्वयं ही जड़ से ख़त्म करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी संस्कृति बच नहीं पाएगी।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. श्याम सिंह शशि ने श्रीमती सन्तोष खन्ना के नवीनतम काव्य-संग्रह के लिए उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे कवि-लेखक हैं जिनमें संपूर्ण विश्व की एकता तथा समाज के प्रति संवेदना है। कवयित्री का यह काव्य-संग्रह उनके विभिन्न भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता चलता है। इन्होंने समाज को कुछ नया रचने की प्रेरणा दी है। डॉ. मंजुला दास ने भी इस काव्य-संग्रह की प्रशंसा की तथा इसे साहित्य के क्षेत्र में एक नया आयाम बताया।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ. रवि शर्मा ने की। डॉ. रवि शर्मा ने श्रीमती सन्तोष खन्ना के काव्य-संग्रह की विभिन्न कविताओं पर अपनी भावाभिव्यक्ति की तथा इतनी सफल कविताओं के लिए कवयित्री को बधाई दी। उन्होंने 'समय का सच' काव्य-संग्रह की कविताओं की सहजता, संप्रेषणीयता और संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सन्तोष खन्ना जी की कविताएँ हाशिए पर आम आदमी के दर्द की एक सशक्त आवाज़ बनी हैं। उन्होंने काव्य-संग्रह से दो कविताओं का पाठ भी किया। इसी क्रम में भारत एशियाई साहित्य अकादमी से श्री अशोक खन्ना और अखंड भारत पत्रिका के संस्थापक संपादक श्री अरविंद भारत ने भी 'समय का सच' काव्य-संग्रह पर अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन में श्री अशोक खन्ना, डॉ. मंजुला दास, डॉ. उषा देव, डॉ. सुधा शर्मा 'पुष्प', डॉ. प्रवेश सक्सेना, सरिता गुप्ता, अनीता प्रभाकर, पूनम माटिया, ओम सपरा, सीमाब सुल्तानपुरी, रजनी छाबड़ा, रामलोचन, भारती अग्रवाल, अरविंद भारत, सुमन तनेजा, उमाकांत खुबालकर, निवेदिता झा, प्रदीप अग्रवाल, अर्चना अनुप्रिया, किरण कपूर एवं सन्तोष खन्ना ने अपनी-अपनी स्व-रचित कविताओं का पाठ किया। सभी कवियों की कविताएँ इतनी भावपूर्ण रहीं कि सभी श्रोतागण वाह-वाह कह उठे तथा सभी ने एक-दूसरे को उनकी कविताओं के लिए बधाईयाँ दीं।

श्री ब्रज किशोर शर्मा को राष्ट्र विधि भारती सम्मान : डॉ. आशु खन्ना

विधि भारती परिषद ने 30 मार्च, 2016 को 'हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार और अधिकार' विषय पर आयोजित एक-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर प्रतिष्ठित विधिविद् एवं भाषाविद् माननीय श्री ब्रज किशोर शर्मा को 'राष्ट्र विधि भारतीय सम्मान' से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद, दिल्ली उच्च न्ययालय के पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली राज्य के उपभोक्ता आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं दिल्ली न्यायिक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, पद्मभूषण डॉ. सुभाष

कश्यप, लोक सभा के पूर्व महासचिव एवं देश के प्रतिष्ठित संविधान विशेषज्ञ, तथा मंचासीन प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं महाऋषि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं डीन डॉ. रोहिणी अग्रवाल एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान की अध्यक्ष डॉ. मुक्ता के कर-कमलों से प्रदान किया गया। माननीय श्री ब्रज किशोर शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय से एल.एल.एम. करने के पश्चात् लखनऊ विश्वविद्यालय एवं तत्पश्चात् राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्राध्यापक (1959-1969) रहे हैं। 1969 में भारत सरकार के विधि मंत्रालय में कई पदों पर कार्य कर अपर सचिव के पद से सेवा-निवृत्त हुए।

श्री शर्मा जी कॉपीराइट बोर्ड के एवं नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। आप वर्तमान में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद पर कार्यरत् हैं। विधि शब्दावली के निर्माण, संकलन और प्रकाशन, भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ का हिंदी में निर्माण, भारतीय भाषाओं में संविधान के अनुवाद में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। सेवा-निवृत्ति के पश्चात् 'बैंकिंग शब्दावली का संकलन (Indian Banks Association द्वारा प्रकाशित), भारत के संविधान पर हिंदी में पाठ्य-पुस्तक (ग्यारह संस्करण प्रकाशित), 'विधि शब्दावली और विधि का अनुवाद' एवं 'हमारे रज्जू भैया' जैसी पुस्तकों के रचनाकार हैं।

विधि भारती परिषद् ने 'विधि भारती सम्मान' की स्थापना वर्ष 2001 में की थी। इस सम्मान की संकल्पना यह थी कि यह सम्मान उन विभूतियों को प्रदान किए जाएँ जिन्होंने विधि और न्याय के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान दिया हो और साथ ही जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना की हो और साथ ही यह भी राष्ट्रीय छवि के ऐसे व्यक्ति विवाद के घेरे में न हों। ऐसी विभूतियों का चयन भी एक चुनौतीपूर्ण दायित्व था। सौभाग्य से उस समय उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तत्कालीन माननीय सदस्या न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर ने विधि भारती सम्मान चयन समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था।

29 मार्च, 2017 : 'भारत में चुनाव : हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार' विषय पर संगोष्ठी -- डॉ. आशु खन्ना

विधि भारती परिषद् समय-समय पर देश के समक्ष समकालीनता के परिप्रेक्ष्य में उभरने वाले मुद्दों पर आरंभ से ही सेमीनार और विचार संगोष्ठियों का आयोजन करती आ रही है। उसी शृंखला को आगे बढ़ाते हुए विधि भारती परिषद् ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से इस वर्ष भी 29 मार्च, 2017 को एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय 'भारत में चुनाव : हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार' पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया। संगोष्ठी के लिए इस विषय के चयन का अपना एक सामयिक महत्त्व था। हमेशा की तरह 21वीं शती के दूसरे दशक में भी भारत में लोकतंत्र को पुख्ता बनाने के लिए कई राज्यों के साथ-साथ देश में आम चुनाव भी हुए। आम चुनावों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि जनता ने निर्णायक बहुमत देकर अपनी राजनीतिक परिपक्व समझ का परिचय दिया जिससे केंद्र में एक मजबूत सरकार का निर्माण हुआ। चूँकि चुनावों में हर प्रत्याशी मतदाताओं से प्रायः हिंदी में ही संवाद स्थापित करता है अतः इस विषय के बारे में विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने बताया कि ''इसलिए यह रोचक और महत्त्वपूर्ण माना गया कि क्यों न भारत में चुनावों में हिंदी की भूमिका का मूल्यांकन कर यह पता लगाया जाए कि चुनाव हिंदी की प्रगति में क्या भूमिका निभाते हैं और क्या हिंदी के विकास को एक मर्यादापूर्ण दिशा मिलती है और इस प्रकार हिंदी का अन्य क्षेत्रों में कितना स्वागत या विकास होता है।''

इसी विषय का दूसरा पक्ष था -- चुनाव सुधार। यद्यपि स्वतंत्रोत्तर भारत में समय-समय पर आयोजित होने वाले चुनावों से भारत के लोकतंत्र को हर बार एक नई दिशा मिली और यह भी सिद्ध हुआ कि सत्ता वस्तुतः देश की जनता के हाथों में निहित है, फिर भी भारत जैसे विशद और विशाल जनसंख्या वाले देश में चुनाव सुधार की सर्वदा संभावना रहती है। समय-समय पर चुनाव सुधार होते भी

रहे हैं और होते रहते हैं। परंतु चुनाव प्रक्रिया एक ऐसा लोकतांत्रिक साधन है जिसमें कुछ-न-कुछ कमियाँ रह जाती हैं। अतः चुनाव प्रक्रिया को और उत्कृष्ट आदर्श बनाने के लिए उसमें सुधार की हमेशा ही आवश्यकता रहती है।

इस संगोष्ठी का आयोजन मालवीय स्मृति भवन सभागार, 52-53, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 में किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय डॉ. महेश शर्मा जी ने और इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पूर्व सदस्य न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर जी ने। इस सत्र की विशिष्ट अतिथि थी प्रो. (डॉ.) उषा टंडन, प्रोफेसर प्रभारी, विधि केंद्र-1, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉ. रवि टेकचंदानी, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद् और डॉ. राजीव कुमार शुक्ला, उप-महानिदेशक (कार्यक्रम) आकाशवाणी। माननीय मंचासीन अतिथियों का स्वागत भाषण किया लोक सभा के पूर्व महासचिव एवं भारत के संविधान विशेषज्ञ तथा विधि भारती परिषद् के अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ. सुभाष कश्यप जी ने। उद्घाटन का सत्र संयोजन किया डॉ. के.एस. भाटी ने, जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रार रह चुके हैं और अब उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता हैं। धन्यवाद ज्ञापन किया टेक महिंद्रा स्मार्ट अकादमी की डीन डॉ. आशु खन्ना ने।

मंत्री महोदय डॉ. महेश शर्मा तथा मंचासीन सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन करने के पश्चात् पुस्तकों और पुष्पों से सभी का स्वागत किया गया। डॉ. सुभाष कश्यप का स्वागत किया डॉ. आशु खन्ना ने, न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर का स्वागत डॉ. शिखा कौशिक ने, और डॉ. राजीव कुमार शुक्ला का स्वागत किया भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत के प्रो. डॉ. प्रमोद मलिक ने। प्रसन्नता का विषय यह था कि इस संगोष्ठी में न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर की धर्मपत्नी श्रीमती कपूर भी पधारी थीं, उनका स्वागत किया श्रीमती सन्तोष खन्ना ने, उन्हें शॉल ओढ़ाकर तथा पुस्तकें और पुष्प-गुच्छ दे कर।

इस अवसर पर डॉ. महेश शर्मा तथा मंचासीन अतिथियों ने विधि भारती परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका 'महिला विधि भारती' के जनवरी-मार्च, 2017 के अंक-90 का लोकार्पण किया। 90 अंक के प्रकाशन के साथ ही इस पत्रिका के प्रकाशन के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह पत्रिका प्रकाशन के अपने 23वें वर्ष में चल रही है। डॉ. महेश शर्मा ने अपने उद्घाटन उद्बोधन में संगोष्ठी के विषय 'हिंदी भाषा तथा चुनाव सुधारों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विधि भारती परिषद् साधुवाद की पात्र है कि उसने देश के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार मंथन का अवसर उपलब्ध किया। उन्होंने कहा कि हिंदी देश की राजभाषा, संपर्क भाषा और जनभाषा है और आरंभ से ही चुनावों के दौरान मतदाताओं के साथ हिंदी के माध्यम से ही संवाद साधा जाता रहा है। वर्ष 2014 इस बात का साक्षी है कि प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान देश के अनेक भागों में आयोजित अपनी महारैलियों में देश के 120 करोड़ लोगों से हिंदी के माध्यम से अपनी बातें रखीं। यही नहीं, प्रधान मंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित समूचे विश्व में हिंदी को गुँजायमान किया। वास्तव में भारत में हिंदी और भारतीय भाषाएँ ही जन-जन की वाणी है और उसकी पहचान है। जहाँ तक चुनावों का संबंध है भारत के लोकतंत्र की धुरी ही चुनाव हैं और पिछले लगभग 70 वर्षों में भारत में चुनाव ही वह आधार रहा जिसके बल पर लोकतंत्र टिका हुआ है। वर्ष 2014 के चुनावों में 85 करोड़ मतदाता थे और जिस तरह से सुनियोजित ढंग से यह चुनाव कराए गए, समूचे विश्व की आँखें भारत पर लगी हैं। भारत में इतने विशाल पैमाने पर चुनाव होते हैं कि कहीं-न-कहीं उसमें खामियाँ आ जाती है। अतः उन की तरफ ध्यान दे कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आकाशवाणी के उप-महानिदेशक (कार्यक्रम) डॉ. राजीव शुक्ला ने कहा कि जहाँ तक चुनाव सुधारों का संबंध है, इसकी ओर ध्यान दिलाने में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बहुत सक्रिय

भूमिका रही है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मीडिया की पग-पग पर उस पर कड़ी नज़र रहती है और जहाँ कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या किसी चुनावी कायदे कानून का उल्लंघन हो रहा है, उसकी ओर मीडिया बराबर इंगित करता चलता है। इसलिए चुनावों में मीडिया की हमेशा रचनात्मक भूमिका रहती है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में न्यायमूर्ति ए.के. कपूर ने चुनावी प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका को महत्त्वूपर्ण बताया। यद्यपि चुनावी प्रक्रिया के बारे में सरकार को ही पहल करनी होती है परंतु सरकार कई बार इस दिशा में उदासीन-सी प्रतीत होती है और चूँकि न्यायपालिका के समक्ष चुनाव सुधारों को ले कर कई प्रकार के मामले आते रहते हैं तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ उच्चतम न्यायालय के कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है जो चुनाव सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं या हो सकते हैं। पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों से बिल्कुल पहले उच्चतम न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा था कि चुनावों की प्रक्रिया के दौरान धर्म, जाति आदि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस आधार पर चुनाव को अवैध ठहराया जा सकता है। इन पाँच राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान क्या उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का उल्लंघन हुआ, इसके बारे में आप सब जानते हैं। कई बार कानूनी प्रावधान होते हुए भी उनका अनुपालन नहीं होता। मैं समझता हूँ कि चुनाव सुधार होने से देश भी सुधरेगा और देश का सही मायनों में विकास होगा।

श्री बीरभद्र कार्कीढोली (सिक्किम) को उनके नेपाली भाषा में कविता, कहानी तथा अन्य विधाओं में रचनाओं के लिए 2017 का राष्ट्र भारती सम्मान इस संगोष्ठी के उद्‌घाटन सत्र में प्रदान किया गया। उन्हें मंच मनीषियों ने विधि भारती परिषद् का एक प्रतीक चिह्न और प्रमाण-पत्र भेंट किया तथा साथ ही शॉल ओढ़ा कर तथा पुस्तकें और पुष्प-गुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया। श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण ने भी हिंदी साहित्य के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए कविता, कहानी, नाटक तथा अन्य विधाओं में लेखन कार्य किया है तथा उन्होंने 30 वर्ष पहले स्थापित परिचय साहित्य परिषद् के माध्यम से देश के अनेक रचनाकारों को मंच प्रदान कर उनकी लेखन प्रतिभा को बनाया और सँवारा है। उनकी साहित्य के प्रति इन अनन्य सेवाओं के लिए वर्ष 2017 का राष्ट्र भारती सम्मान इस संगोष्ठी के उद्‌घाटन सत्र में प्रदान किया गया।

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में भारत में चुनाव हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार पर विचार-विमर्श किया गया और देश के कुछ राज्यों से आए तथा दिल्ली के कई प्रतिभागियों ने अपने शोध आलेख प्रस्तुत किए। इस सत्र के मुख्य अतिथि थे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. जगदीश सी. बत्रा तथा विशिष्ट अतिथि थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. पूरनचंद टंडन और बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत के डॉ. प्रमोद मलिक। इस सत्र की अध्यक्षता मैत्रेयी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार डॉ. शकुंतला कालरा ने की। इस सत्र का संयोजन किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्राचार्या डॉ. सपना ने और धन्यवाद किया विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने। इस सत्र के अतिथियों का विधिवत् रूप से स्वागत किया गया। सर्वप्रथम, इस सत्र के मुख्य अतिथि श्री जगदीश सी. बत्रा का स्वागत किया सुश्री रेनू ने उन्हें पुस्तकें और पुष्प-गुच्छ प्रदान कर। डॉ. शकुंतला कालरा का स्वागत किया डॉ. बबली वशिष्ठ ने, डॉ. प्रमोद मलिक का स्वागत डॉ. उर्मिल वत्स ने तथा सत्र संचालिका डॉ. सपना का स्वागत किया सिक्किम से पधारी श्रीमती चंद्रकला ने उन्हें पुस्तकें और पुष्प-गुच्छ प्रदान कर।

संगोष्ठी के तृतीय एवं अंतिम सत्र के मुख्य अतिथि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी थे किंतु भारत से बाहर होने के कारण वह इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। इस सत्र की अध्यक्षता की विधि केंद्र-2, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय की (प्रोफेसर प्रभारी) प्रो. (डॉ.) किरण गुप्ता ने और विशिष्ट अतिथि थे निर्वाचन आयोग के परामर्शी और विधि

सलाहकार, श्री एस.के. मेहंदीरत्ता तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पूर्व उप-निदेशक डॉ. दिनेश दीक्षित। सत्र संयोजन किया आकाशवाणी के पूर्व उप-महानिदेशक श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी ने। सत्र के अतिथियों के स्वागत क्रम में डॉ. किरण गुप्ता का स्वागत डॉ. पूनम माटिया, श्री एस. के. मेहंदी रत्ता का स्वागत श्रीमती सरोज शर्मा ने और प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी का स्वागत किया प्रो. सुरेश सिंगल ने पुस्तकें और पुष्प-गुच्छ प्रदान करके किया। इस सत्र में भी कुछ शोध आलेख पढ़े गए जिसमें एक शोध आलेख था निर्वाचन आयोग के हिंदी संभाग की उप-निदेशक डॉ. साधना गुप्ता का। उन्होंने निर्वाचन आयोग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर अपना पर्चा पढ़ा। इसी सत्र के दौरान मंच मनीषियों द्वारा दो पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। पुस्तकें थीं --

1. Birbhadra Karkidholi : The Flight of a Skylark, Edited by : Prof. Om Raz, Published by Vidhi Bharati Parishad.
2. 'यह तो मोहब्बत नहीं है', (काव्य-संग्रह), डॉ. शिखा कौशिक नूतन

भारत के निर्वाचन आयोग के विधि परामर्शी और सलाहकार श्री एस.के. मेहंदीरत्ता ने चुनाव नियमों और प्रक्रिया के संबंध में एक बृहद् ग्रंथ की रचना की है। निर्वाचन आयोग में अपने चार दशक से अधिक अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख दायित्व है देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए मतदान के लिए ई.वी.एम. मशीनों का प्रयोग शुरू किया। जब से ऐसा हुआ है तब से बूथ कैंपरिंग और बैलेट द्वारा जबरदस्ती वोट डालना जैसे कदाचारों पर अंकुश लग गया है। यद्यपि कुछ राजनीतिक दल ई.वी.एम. मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते रहते हैं परंतु ई.वी.एम. मशीनों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। चुनाव आयोग भी चुनाव सुधारों की दिशा में सतत सक्रिय है। वह सरकार को कई प्रकार के सुझाव देता रहता है। प्रो. किरण गुप्ता ने चुनाव सुधारों पर अपने सारगर्भित विचारों को रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए सरकार को बहुत पैसा खर्च करना ही पड़ता है किंतु प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रचार आदि पर भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इसलिए आम आदमी तो चुनाव लड़ने की बात सोच तक नहीं सकता शायद इसीलिए अब जो लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, वह करोड़पति होते हैं। क्या इन सभी करोड़पतियों के मन में जनता की सेवा का भाव होता है? नहीं, शायद वह भ्रष्टाचार के माध्यम से इन करोड़ों में और इजाफा करना चाहते हैं या फिर सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि चुनावों में इन करोड़पतियों की लंबी लाइन के समक्ष आम आदमी आगे आने की सोच भी नहीं सकता। इस तरह चुनावों में खड़े होने के संबंध में समानता के सिद्धांत पर यह सीधा आघात है जो लोकतंत्र का नाकार है। चुनावों में पैसे के इस प्रकार के प्रभाव के पक्ष पर भी चिंतन-मनन होना चाहिए।

महामना मदन मोहन मालवीय न्यास के श्री पी.एल. जयसवाल ने भी चुनाव सुधारों पर अपने सारगर्भित विचार रखते हुए कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्हें बड़े-बड़े उपहारों का वायदा करते हैं कोई लैपटॉप देता है, कोई रंगीन टेलीविजन, कोई एक रुपए किलो की दर से चावल, धोतियाँ, यहाँ तक कि मंगल सूत्र देने का वायदा करते हैं, जिससे सरकारी राजस्व प्रभावित होता है। निशुल्क बिजली आपूर्ति का या ऋण माफी का वायदा किया जाता है। वास्तव में ऐसे वायदों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह एक प्रकार की सरकारी खर्चे पर घूस देना हुआ। चुनावों में इन पर रोक लगनी चाहिए।

विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने संगोष्ठी के विषय का समाहार करते हुए कहा कि आज के मंथन से जो-जो अच्छे सुझाव उभर कर सामने आए हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। चुनावों में भ्रष्टाचार का कोई एक रूप नहीं है। प्रत्येक चुनाव में, चाहे वह आम चुनाव हों, या राज्यों के चुनाव हों, ऐसे समाचार

प्रकाशित होते रहते हैं कि मतदाताओं को पैसा दिया जाता है या शराब की बोतलें बाँटी जाती हैं।

2014 के आम चुनावों में बताया गया कि चुनाव आयोग ने 313 करोड़ से अधिक नकदी बरामद की जो कि मतदाताओं को देने के लिए थी। इसके लिए चुनाव आयोग, नकदी, शराब या दूसरी अवैध वस्तुओं को पकड़ने के लिए प्लाइंग दस्तों की ड्यूटी लगाता है।

इसके अलावा, चुनावों में बाहुबलियों की भूमिका भी सर्वविदित है। इनकी भूमिका भी कई प्रकार की होती है। यह लोग चुनाव लड़ते हैं तो गरीब मतदाताओं को डरा, धमका कर उनसे वोट हासिल करते हैं। अपराधी तत्त्व चुनावों में प्रत्याशी बनते हैं और जीतते भी हैं। राजनीतिक दल अपनी धनराशि का सही हिसाब-किताब नहीं रखते, उनको कितना पैसा कहाँ से मिलता है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। कई बार तो लगने लगता है कि अगर लोकतंत्र की नींव में ही भ्रष्टाचार रहेगा तो देश में सुशासन की आशा करना रेत से पानी निकालने जैसा है। समय-समय पर कई समितियों ने चुनाव सुधारों के सुझाव दिए हैं, किंतु उन पर अमल करने की दिशा में वाँछित कार्य नहीं हुआ है। अतः यह बहुत जरूरी है कि चुनावों की लोकतंत्र की गंगा के गोमुख का स्वच्छ रखा जाए। लोकतंत्र बचाने के लिए सतर्कता रखी जानी चाहिए।

जिन प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में भाग लिया और जिन्होंने अपने आलेख प्रस्तुत किए, उन सब को विधि भारती परिषद् की तरफ से प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए।

30 मार्च, 2016 : 'हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार और अधिकार' विषय पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी — डॉ. सपना

विधि भारती परिषद द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 30 मार्च, 2016 को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के मालवीय स्मृति सभागार में 'हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार और अधिकार' विषय पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उदघाटन न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पद्म भूषण डॉ. सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ, साहित्य आलोचक डॉ. रोहिणी अग्रवाल एवं हिंदी साहित्यकार डॉ. मुक्ता ने दीप प्रज्जवलित कर किया।

विधि भारती परिषद् की महासचिव, श्रीमती सन्तोष खन्ना ने संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पिछले कुछ दशकों और विशेष रूप से 21वीं शती के लगभग इन दो दशकों में महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में नए-नए क्षितिज विजित कर रही हैं। भारत के संविधान और कानून ने उन्हें कई किस्म के अधिकार दिए हैं और अधिकाधिक महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अनेकानेक महिला साहित्यकारों ने रचनात्मकता के क्षेत्र में परचम लहराये हैं, पर न तो अभी कन्या भ्रूण हत्या पर वांछित रुप से अंकुश लग पाया है और न महिला यौन शोषण रुका है बल्कि यौन शोषण की घटनाएँ कम होने के स्थान पर बढ़ ही रही है। कड़े कानून बन जाने के बावजूद महिला यौन शोषण का रूप और भी वीभत्स तथा क्रूर होता जा रहा है। पहले रेप की खबरें आती थी, अब गैंग रेप की आती हैं। ऐसे अनेक प्रश्नों पर विचार कर समाधान तलाशने होंगे और उस में आज रचे जा रहे साहित्य की भूमिका भी तलाशनी होगी। अतः कार्यक्रम का उद्देश्य स्त्री सशक्तिकरण संबंधित प्रश्नों से सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों धरातलों पर एक साथ टकराना था। इसी कारण, जहाँ एक तरफ महिला सरोकारों और समस्याओं को साहित्य के माध्यम से देखने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी तरफ वैधानिक प्रावधानों द्वारा उसके निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

समालोचक डॉ. रोहिणी अग्रवाल (डीन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक) ने संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि हमें साहित्यिक रचनाओं को पूर्णतः सत्य न मानकर संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब मात्र नहीं होता बल्कि वह लेखक की अपनी कल्पनाओं, मान्यताओं एवं मिथकों की सृष्टि भी

होता है। एक ही समय में पुरुष एवं स्त्री रचनाकारों के द्वारा लिखे गए साहित्य में स्त्री के लिए संवेदनात्मक के स्तर पर गहन अंतर को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक स्त्री सरोकारों को संवेदनात्मक स्तर पर नहीं उठाया जाता, तब तक स्त्री को मिलने वाले अधिकार वास्तविक नहीं होंगे। श्री ब्रज किशोर शर्मा (विधि विशेषज्ञ) ने संपत्ति में महिलाओं को मिले कानूनी अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि स्त्रियों को कई स्तरों पर पुरुषों से अधिक कानूनी अधिकार मिले हैं। अतः हमें साहित्य एवं समाज को स्त्री और पुरुष में न बाँटकर उसकी समरसता की रक्षा करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति लोकेश्वर प्रसाद ने परिवार एवं समाज में कई स्तरों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा की। उन्होंने अहमदनगर के शनि शिंगणापुर का जिक्र करते हुए मदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक की निंदा की तथा सभी क्षेत्रों मे महिलाओं को समान अधिकार देने का समर्थन किया। हिंदी साहित्यकार डॉ. मुक्ता ने साहित्य में वर्णित स्त्री महिला सरोकारों पर प्रकाश डालते हुए स्त्री सशक्तिकरण के लिए स्त्री व पुरुष के संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास का समर्थन किया। सुप्रसिद्ध संविधानविद् डॉ. सुभाष कश्यप ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य मे स्त्रियों के प्रति देश तथा समाज में सदियों से होते आ रहे अन्याय को स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं महिलाओं को इस अन्याय के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान करते हुए राजनीतिक संगठन एवं राजनैतिक दल बनाकर लामबंद होने का सुझाव दिया।

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में विषय से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत किए गए जिनमें महिला सरोकारों को विभिन्न कोणों से देखा गया। इस सत्र में देश के कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजस्थान, उदयपुर, के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से डॉ. रिंकू गंगवानी, डॉ. साधना गुप्ता, मध्य प्रदेश, इंदौर (इंडियन प्रशासनिक अकादमी) से डॉ. निशा केवलिया, डॉ. प्रतिभा चौधरी, महाऋषि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा की विधि संकाय से डॉ. अंजू खन्ना एवं डॉ. सोनू, उत्तर प्रदेश से डॉ. शिखा कौशिक, गाजियाबाद से डॉ. शुभ्रा शर्मा, डॉ. नेनी सिंह, डॉ. ऋचा वार्ष्णेय, दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामाप्रसाद मुखर्जी कॉलेज से डॉ. गीता शर्मा, डॉ. उर्मिल वत्स, डॉ. सपना, डॉ. शशि वशिष्ठ तथा सुपरिचित कवियित्री डॉ. पूनम भाटिया आदि ने शोध-आलेख प्रस्तुत किए।

मातृत्व अवकाश, बालिका यौन हिंसा, संयुक्त राष्ट्र में महिला मानव अधिकार आदि ऐसे कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर महिलाओं को प्राप्त वैधानिक अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी गई। परंतु इन कानूनी अधिकारों के वास्तविक जीवन में ठीक से क्रियान्वित न हो पाने पर चिंता भी देखने को मिली। महिला सरोकारों तथा अधिकारों के पक्ष में साहित्य की दीर्घकालिक भूमिका को रेखांकित करते हुए हिंदी कविता, कहानी, उपन्यासों और नाटकों मे स्त्री समस्याओं तथा संघर्ष पर बहुत से शोध प्रपत्र प्रस्तुत किए गए। डॉ. शकुंतला कालरा (बाल साहित्यकार) ने आज के समय में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला तो वहीं हिंदी सेवी पुरस्कार से सम्मानित डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम् ने दक्षिण भारतीय साहित्य (तमिल, तेलगु, कन्नड़ एवं मलयालम) में वर्णित महिला सरोकारों पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि दक्षिण भारतीय समाज तथा साहित्य अपनी परंपरा से ही स्त्री विषय पर उत्तर भारतीय समाज की तुलना में कई मायनों में अधिक समानतामूलक है। 'भाषा' पत्रिका के पूर्व संपादक डॉ. वीरेंद्र सक्सेना ने कहा कि महिलाओं को अधिकार स्वयं के प्रयास से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए परिवर्तन की अगुवाई उन्हें स्वयं खुद के परिवार तथा समाज में नए एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करके ही करनी होगी।

अंतिम एवं तृतीय सत्र में प्रो. अजमेर सिंह काजल (भारतीय भाषा केंद्र जे.एन.यू.) ने दलित तथा आदिवासी महिलाओं की समस्याओं तथा लेखन पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ. प्रवेश सक्सेना (प्रतिष्ठित साहित्यकार) ने वैदिक परंपरा तथा साहित्य में स्त्री को प्राप्त उच्च स्थान की चर्चा करते हुए संस्कृत साहित्य मे उल्लिखित महिला सरोकारों

पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रो. पूरनचंद टंडन (दिल्ली विश्वविद्यालय) ने साहित्य में वर्णित स्त्री समस्याओं के बरकस स्त्री संघर्ष तथा सफलताओं की अनेक गाथाओं की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए साहित्य को प्रेरक भूमिका में भी देखने की भी बात कही।

संगोष्ठी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सत्र का सफल तथा सुव्यवस्थित संचालन क्रमशः डॉ. उमाकांत खुबालकर (पूर्व सहायक निदेशक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार), डॉ. सपना (सहायक प्रवक्ता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली वि.वि.) एवं प्रो. डॉ. पूरनचंद टंडन (हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में विधि भारती परिषद की ओर से श्री ब्रजकिशोर शर्मा (प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ, भाषा एवं अनुवाद) को 'राष्ट्र विधि भारती सम्मान' तथा डॉ. उषा देव (पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय) को उनके संपूर्ण साहित्यिक अवदान के लिए 'राष्ट्र भारती सम्मान' से सम्मानित भी किया गया।

वैचारिक संगोष्ठी में महिलाओं के सरोकारों यथा उनकी समस्याओं, संघर्षों एवं अधिकारों की माँग को, उनकी संपूर्णता में देखने तथा समझने का प्रयास किया गया। इसी विशेषता ने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को अन्यों से पृथक् एवं विशिष्ट बना दिया, जहाँ एक ही मंच पर साहित्य के माध्यम से स्त्री अधिकारों की माँग उठाने वाले विद्वान तथा उन अधिकारों को कानून का अमलीजामा पहना कर सच कर दिखाने वाले विधि विशेषज्ञ दोनों एक साथ उपस्थित थे। संगोष्ठी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रही, क्योंकि जहाँ यह बात स्पष्ट हो सकी कि जब तक स्त्री सरोकारों को हिंदी एवं भारतीय साहित्य में संवेदनात्मक स्तर पर गंभीरता से नहीं उठाया जाता, तब तक महिलाओं को मिलने वाले अधिकार वास्तविक नहीं होंगे। साथ ही यह बात भी सिद्ध हुई कि स्त्री सशक्तिकरण की यह लड़ाई अधिकारों की पृष्ठभूमि पर खड़े होकर ही लड़ी जा सकती है क्योंकि बिना अधिकारों के सारे विचार, सारे विमर्श और सेमिनार हॉलों मे बैठकर होने वाली स्त्री सशक्तिकारण की सारी बातें बेमानी हैं, निरर्थक हैं।

संगोष्ठी में विस्तृत एवं व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी निकला कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों और अत्याचारों को देखते हुए महिलाओं को स्वयं जागरुक हो अपनी मुक्ति के रास्ते तलाशने होंगे। दूसरा, उसके लिए यह भी जरूरी है कि पुरुष की मानसिकता बदले। उसके लिए पुरुषों को उनके बचपन से ही ऐसे संस्कार देने होंगे कि उनमें महिलाओं के प्रति एक स्वस्थ मानसिकता बने। इसके लिए परिवार विशेष रूप से माँ की भूमिका उल्लेखनीय होनी चाहिए। आज तक अनेक पुरुषों ने नारी-मुक्ति और नारी-उद्धार में रचनात्मक भूमिका निभाई है आज प्रबुद्ध नारी समाज पुरुष की एक स्वस्थ मानसिकता बनाने में उसकी प्रेरणा बने।

'हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार और अधिकार' जैसे अति महत्त्वपूर्ण तथा सारगर्भित विषय पर अत्यधिक सुव्यवस्थित एवं सफल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए विधि भारती परिषद की महासचिव संतोष खन्ना, अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ. सुभाष कश्यप एवं श्रीमती मंजू चौधरी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। उम्मीद है ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे।

कन्या भ्रूण हत्या : पाप और अभिशाप -- डॉ. प्रेमलता

विधि भारती परिषद्, दिल्ली मैडिकल एसोसिएशन तथा नव उन्नयन के संयुक्त तत्त्वावधान में 5 मई, 2012 की संध्या को इस सदी का सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला विषय पर चर्चा का आयोजन किया जिसमें विधिवेत्ता, समाजशास्त्री तथा चिकितसव वर्ग सभी ने मुखर होकर अपने विचार रखे। 'कन्या भ्रूण हत्या' विषय नया नहीं था न ही यह पहली बार उठाया जाने वाला प्रश्न था; पर इस बार इस चर्चा में चिकित्सकों की उपस्थिति ने इसे नया दृष्टिकोण दिया। दिल्ली मैडिकल एसोसिएशन के प्रांगण में इस पर विशुद्ध चर्चा हुई। विधि भारती परिषद् की

महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने विषय प्रवर्तन करते हुए सबसे पहले आँकड़ों की गड़गड़ की ओर संकेत दिया कि वर्ष 2011 की जनगणना यह दर्शाती है कि पुरुष और महिलाओं की वर्तमान संख्या के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बढ़ने के बजाय और भी कम हो रही है जिससे संतुलन बिगड़ रहा है। लगातार कन्या भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं और हम न आत्मा से डरते हैं, न कानून से डरते हैं। भारत धर्म-प्रधान देश है जहाँ की संस्कृति कर्मफल पर आधारित है फिर वह किस दुर्वासा का अभिशाप है कि कन्या भ्रूण हत्याएँ और शिशु कन्या की हत्याएँ यहाँ बराबर बढ़ती जा रही हैं।

दिल्ली नगर निगम की काउंसलर श्रीमती सिम्मी जैन ने भ्रूण हत्या के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का हवाला दिया। यह कत्य पाप ही नहीं, एक पूरी पीढ़ी को समाप्त कर देने वाला है। प्रोफेसर रवींद्रनाथ श्रीवास्तव ने अपने बड़े ही भाव प्रबल वक्तव्य से हमें याद दिलाया कि एक कन्या के अन्य के साथ दो घर जन्म लेते हैं। एक कन्या उसी तरह सृजन करती है। जैसे पर्यावरण, फूल, धरती, हवा, पानी, सृजन करते हैं और यह सृजन संवेदना, संभावना और जिज्ञासा का सृजन होता है जिसे हम छोटा कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। जस्टिस एस.एन. कपूर ने कानून की विशद व्यापकता के साथ-साथ सामाजिक स्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि महिलाएँ आज भी अपना धर्म निभा रही हैं और कल्पना चावला बन रही हैं, पुरुष अपने दायित्व से भागते दिखाई दे रहे हैं। लड़की के होने के साथ जो दायित्व उनके बन जाते हैं उनसे भागना चाह रहे हैं जबकि स्थिति यह है कि महिला आज परिवार का संबलबनने में सक्षम है, उसे संबल की आवश्यकता ही नहीं रही। श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण ने तो करारा कटाक्ष किया -- कन्या भ्रूण की आवाज उसकी माता ही नहीं सुन पा रही, उसी ने उसकी हत्या का बीड़ा उठा लिया है तो किसको सुनाएँ? राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारु वली खन्ना ने महिलाओं से जुड़े सभी प्रश्नों -- हिंसा वृद्धि, प्रताड़ना, दहेज, उत्पीड़न, लिंग जाँच के लिए शिक्षित वर्ग को ही अधिक दोषी माना। कम शिक्षित वर्ग आज भी 'ईश्वर की मर्जी' के आगे झुक जाता है; पर शिक्षित वर्ग अपने निजी स्वार्थ व सुविधाओं के लिए ज्यादा लोभी हो रहा है, महत्त्वाकांक्षी हो रहा है। कन्या के प्रति अपना धर्म निभाना ही नहीं चाहता, जबकि अब महिलाएँ अपना धर्म समाज के प्रति, परिवार के प्रति व देश के प्रति बखूबी निभा रही हैं। विवाह के बाद अब बेटियाँ, माँ-बाप को अधिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है।

सबसे महत्त्वपूर्ण रही डॉ. हरीश गुप्ता व डॉ. गिरीश त्यागी की यह शिकायत कि भ्रूण हत्या के लिए डॉ. ही दोषी क्यों? लोग डॉक्टर के पास खुद आते हैं व हर प्रकार के बहानों से लिंग जाँचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने चिकित्सकों के दायित्व को नकारा नहीं और हर प्रकार से भ्रूण हत्या को बंद करने का प्रयास करने का आश्वास तो दिया; पर इस सारे प्रकटन में भ्रूण हत्या के लिए दोषी माँ को माना। डॉ. सुनील तिवारी ने भी समाज में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या की बुराईयों पर चिंता व्यक्त की।

दिल्ली मैडिकल काउंसिल के सचिव डॉ. गिरीश त्यागी ने आश्वासन दिया कि जो भी चिकित्सक इस घृणित कृत्य के दोषी पाए जाएँगे, दिल्ली मेडिकल काउंसिल उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी। डॉ. सरोजिनी महिषी का भी यह मानना रहा कि हम स्वयं नैसर्गिकता की लय बिगाड़ रहे हैं। शिक्षित वर्ग को ही प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का दोषी डॉ. महिषी ने माना। डॉ. सन्तोष खन्ना ने संगोष्ठी में पधारे अतिथियों के लिए स्वागत भाषण दिया और संगोष्ठी की कार्यवाही का समाहार किया। डॉ. प्रेमलता ने तथा धन्यवाद ज्ञापन किया -- डॉ. शकुंतला कालरा ने।

समग्रतः संगोष्ठी का सुर कानून, समाज, धर्म व मानवता सभी पक्षों पर चर्चा करने के बाद यही रहा कि हमें मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, और उसके साथ ही कानून को सही ढंग से लागू करना होगा क्योंकि हम कानून तोड़ने में तो खूब माहिर हैं, आवश्यकता हमें आत्मा की आवाज को सुनने की है, बिगड़ते हुए संतुलन को पहचानने की और उसमें पुनः सामंजस्य की

आवश्यकता है।

सन्तोष खन्ना का कहानी संग्रह 'आज का दुर्वासा' का लोकार्पण – डॉ. आशु खन्ना

नई दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीमती सन्तोष खन्ना के कहानी संग्रह 'आज का दुर्वासा' का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. हरीश रावत ने कहा कि इस कहानी संग्रह की कहानियाँ पढ़ते हुए उन्हें एक सुखद अनुभूति हुई। लेखिका की संवेदना से सम्पृक्त आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति देना वस्तुतः सत्य की प्रतीती कराता है। हम जैसे राजनीतिज्ञ जब साहित्यिक अनुभव से गुज रते हैं तो ऐसा लगता है मानो कड़ी धूप के बाद छाँव मिली हो अथवा वर्षा की बौछार हो गई हो। वैसे भी वही साहित्य अमर होता है जो जीवन से जुड़ा होता है। आज जब इंडिया भारत पर हावी हो रहा है तो आम आदमी की व्यथा को स्वर देना सामाजिक दायित्व को निभाना है। इस कहानी संग्रह की कहानियाँ समाज में व्याप्त विसंगतियों और विरोधाभासों को स्वर देती हैं।''

''आज का दुर्वासा'' पुस्तक पर परिचर्चा आरंभ करते हुए डॉ. शकुंतला कालरा ने कहा कि इस कहानी संग्रह में मध्य एवं निम्न मध्य वर्ग के सामाजिक जीवन की विभिन्न छवियों और आयामों को उद्घाटित किया गया है। इस पुस्तक के पुरोवाक् में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रो. गंगा प्रसाद विमल के मतानुसार इन कहानियों में ''सामाजिक जीवन की विसंगतियाँ, विद्रुपताएँ, विरोधाभास और बढ़ती मूल्यहीनता एवं अंतर्संबंधित अन्य कई चीज ें लेखिका की आँखों से ओझ नहीं हुई हैं। एक प्रबुद्ध सजग प्रतिबद्ध लेखक के रूप में उनकी दृष्टि समाज के असहाय, उत्पीड़ित एवं शोषित पात्रों पर निरंतर टिकी है।'' पुस्तक की भूमिका के दो शब्द में लेखिका ने स्वयं लिखा है, ''कहानी अपने तेवर और कलेवर में जिन तथ्यों और कथ्य को उघाड़ती-पछाड़ती और समेटती चलती है वह सत्य से भी अधिक सत्य होते हैं। इसलिए आज कहानी एक ऐसा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है जो समाज में बदलाव ला सकता हे। बेशक इस बदलाव की गति धीमी और अदृश्य क्यों न हो, बदलाव घटित अवश्य होता है क्योंकि शब्द की शक्ति अपने वैभव का अवश्य विस्तार करती है।''

डॉ. शकुंतला कालरा ने कहानी संग्रह की कहानियों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए आगे कहा कि इस कहानी संग्रह में कुल 17 कहानियाँ हैं जिनमें अधिकांश कहानियाँ नारी को केंद्र में रख कर लिखी गई हैं। कुछ कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थ प्रेमचंद की कहानियों की याद दिला जाता है। सहज, सरल, प्रवाहमयी, जीवंत भाषा में रचित यह कहानियाँ एक संतुलन को साथ ले कर चलती हैं। न तो यह सामाजिक जीवन को नकारती हैं न ही व्यक्तित्त्व अनुभूति को कम आँकती हैं। इनमें न विशिष्ट बनने का आग्रह है और न ही साँचे में ढले वर्ग चरित्र बनने का।

आकाशवाणी दिल्ली के प्रभारी निदेशक एवं स्थापित साहित्यकार श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने इन कहानियों में व्याप्त सामाजिक सरोकारों और मानवीय संवेदना को रेखांकित करते हुए कहा कि इस संग्रह की लगभग सभी कहानियाँ अत्यंत मार्मिक हैं और उनमें पाठक को बाँधकर रखने की अद्भुत क्षमता है। हर कहानी पाठक के गहरे में पैठ बनाती है, पाठक के अंतरमन को झंकझोर कर रख देती हैं। इन कहानियों के पात्र हमारे आसपास घूमते दिखाई देते हैं विशेष रूप से महिला पात्र जीवन के दंशों और संघर्ष के बावजूद जीवन मूल्यों का परित्याग नहीं करते तथा अंत तक उनमें मानवता बरकरार रहती है। सचमुच यह कहानी संग्रह लेखिका की संवेदना और सृजनात्मकता का साक्षी है।

इस अवसर पर प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. महीप सिंह, श्री विश्वनाथ, डॉ. सरोजिनी महिषी जैसे अनेक गणमान्य विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. (डॉ.) पूरनचंद टंडन ने किया तथा अतिथियों का स्वागत किया इग्नू के प्राध्यापक डॉ. हरीश सेठी ने। सभी का धन्यवाद किया श्रीमती मंजू

चौधरी ने।

इस अवसर पर विधि भारती परिषद द्वारा प्रकाशित 'विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका के 62वें अंक का तथा विधि भारती परिषद द्वारा प्रकाशित डॉ. उषा देव के कहानी संग्रह 'अब की लड़का नहीं' पुस्तक का भी डॉ. हरीश रावत द्वारा लोकार्पण किया गया।

'महिला विधि भारती' के 56वें अंक का लोकार्पण 'सूचना का अधिकार' पर व्याख्यान एवं काव्य संध्या – डॉ. शकुंतला कालरा

नई दिल्ली में 28 नवंबर, 2008 को साहित्य अकादमी के सभागार, रविन्द्र भवन, मंडी हाउस में विधि भारती परिषद एवं कवितायन (उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता मंच) के तत्त्वावधान में 'सूचना के अधिकार' विषय पर व्याख्यान एवं काव्य 'संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के सदस्य। कार्यक्रम के अध्यक्ष थे प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और मोती लाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. द्विविक रमेश। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय शैलेश गांधी थे और सान्निध्य था दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ रीडर डॉ. पूरनचंद टंडन का।

कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ डॉ. रेखा व्यास के सरस्वती वंदन तथा मंचासीन अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्जवलन से। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कवितायन के अध्यक्ष श्री वी. शेखर ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया तथा स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत के तत्काल बाद 'विधि भारती परिषद' की त्रैमासिक पत्रिका के 56वें अंक का लोकार्पण मंचासीन मनीषियों द्वारा किया गया। पत्रिका की सम्पादक श्रीमती सन्तोष खन्ना ने बताया कि इस पत्रिका के प्रकाशन के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन चौदह वर्षों में इस पत्रिका के कई विशेषांक निकाले गए। उन्होंने यह भी बताया कि इस पत्रिका के 57वें अंक को 'सूचना का अधिकार' विशेषांक के रूप में निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अगले चरण का संचालन करते हुए श्रीमती खन्ना ने बताया कि 'सूचना के अधिकार' विषय पर व्याख्यान देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय शैलेश गांधी हमारे बीच हैं। उनके केंद्रीय सूचना आयुक्त बनने से पहले वे वर्षों 'सूचना के अधिकार' के अंतर्गत लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रहे हैं। 'सूचना के अधिकार' के अंतर्गत देश में लोकतंत्र मज बूत होगा क्योंकि इससे शासन-प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अगर हम इस संबंध में कोई स्लोगन बनाना चाहें तो वह होगा 'लोकतंत्र का द्वार, सूचना का अधिकार'। वस्तुतः यह अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है।

केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय शैलेश गांधी ने 'सूचना के अधिकार' विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। देश छह दशक से स्वतंत्र है और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं परन्तु क्या हम कह सकते हैं कि देश में सच्चे मायनों में लोकतंत्र है? जिनको नागरिकों की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है वे खुद को मालिक समझने लगते हैं। सरकार आपकी है। आप कुछ भी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हर सरकारी कार्यालय के साथ-साथ स्वैच्छिक संस्थाओं से भी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं। इस कानून के अंतर्गत हर संस्थान में सूचना अधिकारी नियुक्त हैं और कोई भी नागरिक किसी भी बारे में निश्चित अवधि में सूचना प्राप्त कर सकता है। यदि संबद्ध अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है तो शिकायत करने पर उसे प्रतिदिन 250/-रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। हमें अपने इस अधिकार का प्रयोग सीखना चाहिए।

न्यायमूर्ति एस.एन. कपूर ने व्याख्यान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वास्तविकता यह है कि हम आलस्य की वजह से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं

करते। आज के इस आपाधापी युग में हम संवेदनाशून्य हो गए हैं और हर गलत चीज को बर्दाश्त करते हैं। हमें यह अहसास करना होगा कि हम सबकी मंगल कामना करें। एक गांधी की वजह से हमें आजादी मिल गई। लेकिन क्या गांधी अकेले थे? हमें सब को साथ लेकर सब के मंगल की विचारधारा की गंगा को प्रवाहित करना होगा और वातावरण को बुराइयों के प्रदूषण से मुक्त कर सकारात्मकता का पथ प्रशस्त करना होगा।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में काव्य संध्या का आयोजन था। वकीलों और कवियों के कविता पाठ से वक्त थम-सा गया। कविताओं की रसाधार में भी जीवन की कटु सच्चाइयाँ और तल्लिखयाँ मुखर हो उठीं। आतंकवाद और मुम्बई में आतंकी हमले की गूँज कविताओं में भी सुनाई दी। काव्य संध्या में चंद्रशेखर आश्री, अनीस अहमद खाँ 'अनीस', सुरेश गुप्त 'कातिब', अभिषेक अत्रेय, सुश्री गुलनार, श्रीमती सन्तोष खन्ना, श्री रघुनन्दन शर्मा, श्री जितेंद्र सिंह, श्री सुधाकर चौधरी जैसे अधिवक्ता तथा लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अशोक खन्ना, डॉ. शकुन्तला कालरा, डॉ. रेखा व्यास, ममता किरन, उर्मित सत्यभूषण आदि ने अपनी कविताओं से समाँ बाँध दिया।

काव्य संध्या का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय की वरिष्ठ रीडर, डॉ. शकुन्तला कालरा ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. दिविक रमेश ने सूचना के अधिकार पर अपने विचार रखे और अपनी दो कविताओं का पाठ भी किया। अन्त में उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता और कवितायन के सचिव चंद्रशेखर आश्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

पर्यावरण और महिलाएँ संगोष्ठी – प्रतिभा श्रीवास्तव

नई दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस के स्पीकर कक्ष में आयोजित इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. मोहिनी गिरि, दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, पांडिचेरी के तत्कालीन लेफ़्टिनेंट गवर्नर हर स्वरूप सिंह आदि मुख्य रूप से मंचासीन हुए थे।

डॉ. उषा देव के कहानी-संग्रह 'कजरी' का लोकार्पण और विचार गोष्ठी उसमें गुरूकुल कांगड़ी के उपकुलपति डॉ. धर्मपाल आर्य, डॉ. पूरनचंद टंडन, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज की प्रिंसीपल श्री सुभाष सेतिया प्रभृति विद्वान मंचासीन हुए थे।

विधि भारती परिषद् के 'साहित्य संवाद' मंच के अंतर्गत कुछ कवि-गोष्ठियों का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता है।

उषा देव की पुस्तक 'क्या मैं गलती थी?' का लोकार्पण, संगोष्ठी

इस संगोष्ठी के दौरान मंचासीन मनीषियों ने डॉ. उषा देव के कहानी संग्रह 'क्या मैं ग़लत थी?' का भी लोकार्पण किया। लेखिका और पुस्तक का परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज की विदूषी प्रिंसीपल डॉ. सतनाम कौर ने देते हुए कहा कि डॉ. उषा देव का लेखन सोद्देश्य है। उन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार, स्वार्थ, धन लिप्सा से ग्रस्त समाज के व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण करने के साथ ही साथ संतुलित और मानवीय जीवन जीने का मार्ग भी सुझाया है। अधिकांश कहानियाँ नारी की मनोव्यथाओं का मानवीय और मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत करती हैं। इनकी रचनाओं की भाषा सहज और सरल है, उनमें गति और प्रवाह है। बाँधे रखने की क्षमता है। सभी चरित्र जीवन्त और ममस्पर्शी हैं। सटीक शब्द चयन, भावनाओं को बखूबी अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता सर्वत्र परिलक्षित होती है।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी ने डॉ. उषा देव को शाल ओढ़ा कर उनको सम्मानित किया।

डॉ. सरोजनी महिषी का सम्मान

विधि भारती परिषद् की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और परिषद् का पंजीकरण वर्ष 1993 में हो गया था। डॉ. सरोजनी महिषी परिषद् की संस्थापना से ही इसके अध्यक्ष पद को सुशोभित करती आ रही हैं। लगभग दो

दशक से भी अधिक अवधि में परिषद् को उनका सतत स्नेह, सहयोग और मार्ग दर्शन मिलता आया है। परिषद् के सभी सदस्य उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। डॉ. सरोजनी महिषी जैसी विदूषी-विराट व्यक्तित्व के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए विधि भारती परिषद् की ओर से एक समारोह के दौरान उनका सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री लाहोटी ने उन्हें शाल ओढ़ा कर और अंग वस्त्रम् प्रदान कर उपस्थित विद्वत्जनों की ज़ोरदार करतल ध्वनि के बीच उनका सम्मान किया।

इस समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्ति आए थे। श्री राजकुमार सैनी, श्रीमती उर्मिला सत्यभूषण, श्रीमती एवं श्री कृष्ण कुमार भार्गव, श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, श्रीमती मंजू चौधरी, श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती सुदेश लूथरा, श्री बी. पी. कालरा, श्री राजेश कालरा, श्री एस.पी. सभरवाल, श्री चंद्रशेखर, श्री शक्ति त्रिवेदी, डॉ. रेखा व्यास, श्री सलेश तिवारी, श्री हरनाम दास टक्कर, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, श्री एस.राय, श्री प्रहलाद मुंशी, श्री अशोक खन्ना, श्री धनप्रकाश गुप्त, श्री राकेश कुमार, श्री अनुराग निगम, श्री जैन, श्रीमती आर.सी. लाहोटी जैसे गणमान्य लोगों ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई।

'महिला विधि भारती' पत्रिका डी.ए.वी.पी. के पैनल पर -- सन्तोष खन्ना

1995 में विधि भारती परिषद् की ओर से भारत सरकार के विज्ञापन एवं श्रव्य-दृश्य निदेशालय को 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका को विज्ञपनों के लिए पैनल पर लेने का अनुरोध किया गया और हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए निदेशालय ने इसे अपने पैनल पर ले लिया। डी.ए.वी.पी. का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ 'पत्रिका' के आठवें अंक (जुलाई-सितंबर, 1996) में और तत्पश्चात् हर वर्ष पत्रिका के लिए हर वर्ष एक या दो और कई बार तीन विज्ञापन मिलने लगे। उन दिनों विज्ञापनों की दरें कम होती थीं परंतु संसाधन न के बराबर हों तो बूँदों का भी बड़ा महत्त्व होता है। दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी भी विज्ञापन दे कर हमारा हौसला बढ़ा ही रही थी। भारत सरकार के विज्ञापनों का क्रम तीन-चार वर्ष अनवरत चलता रहा, किंतु वर्ष 2000 आते-आते इस क्रम पर पूर्ण विराम लग गया। जब डी.ए.वी.पी. से पता किया तो वहाँ हमें एक छोटी-सी पुस्तिका दी गई जिसके आधार पर बताया गया कि भारत सरकार ने अपनी विज्ञापन नीति में परिवर्तन कर अब केवल मासिक पत्रिकाओं तक को विज्ञापन देने का फैसला किया है। त्रैमासिक पत्रिकाओं को अब विज्ञापन नहीं दिए जाएँगे। हमने अधिकारियों से मौखिक रूप से बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार का यह फैसला गलत था परंतु वह इसमें कुछ करने में असमर्थ हैं। उनका कहना था कि सरकार अब विज्ञापन देने में पेशेवर स्तर पर काम करना चाहती है और त्रैमासिक पत्रिकाओं को समय आधारित विज्ञापन नहीं दिए जा सकते। हमने उनका ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास किया कि पहले भी जो विज्ञापन त्रैमासिक पत्रिकाओं को दिए जा रहे थे, उनमें अधिकांश तो सद्भावना संदेश अथवा रोग रोकथाम आदि विषयों वाले ही होते थे जो हमेशा संगत रहते थे। एक विज्ञापन का यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है :--

तिरंगे का चित्र आदि
तिरंगे को शत्-शत् नमन
26 जनवरी, 1998

किंतु उस समय के हमारे प्रयास असफल रहे और अब 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका को डी.ए.वी. पी. पैनल से हटा दिया गया था और उस समय हम मन मसोस कर रह गए।

इस प्रकार हमें दोनों तरफ से नुकसान था। डी.ए. वी.पी. ने विज्ञापन बंद कर दिए तो और संस्थाएँ भी विज्ञापन देने में अपनी असमर्थता जताने लगी। अब हम जब भी किसी और संस्था से पत्रिका के लिए विज्ञापन के लिए अनुरोध करते वे यही पूछते कि क्या पत्रिक डी. ए.वी.पी. के पेनल में है। जब हम उन्हें यह बताते कि पत्रिका पेनल पर नहीं है तो अपना विज्ञापन देने से मना

कर देते।

अतः समय मिलते ही हमने यह मुद्दा पुनः सरकार के साथ उठाया। वर्ष 2009 में जैसे ही सूचना और प्रसारण मंत्री का पद श्रीमती अंबिका सोनी ने संभाला, उन्हें इस विषय पर ब्यौरेवार 18 जून, 2009 को अभ्यावेदन भेजा गया कि वह निजी स्तर पर इस विषय में रुचि ले कर फैसला करें। खेद का विषय यह रहा कि उनकी ओर से उस पत्र का उत्तर तक नहीं दिया गया।

इस बीच हमने डी.ए.वी.पी. को सूचना के अधिकार के अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यह मुद्दा उठाते हुए सूचना माँगी कि किन परिस्थितियों में त्रैमासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देने बंद कि किए गए जबकि पहले सब पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए जा रहे थे। 23 अप्रैल, 2009 के हमारे पत्र का उत्तर 20 मई, 2009 को दिया गया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 'महिला विधि भारती' हिंदी त्रैमासिक 1996 से 1998 को डी.ए.वी.पी. पैनल पर थी। उन्होंने यह भी कहा कि डी.ए.वी.पी. विज्ञापन पत्रिका को वित्तीय सहायता के लिए नहीं दिए जाते। त्रैमासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन बंद करने का फैसला सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिया गया है।

पहली अपील : इस फैसले के विरुद्ध डी.ए.वी.पी. में वरिष्ठ केंद्रीय सूचना अधिकारी को अपील की गई जिसका उत्तर भी मिला। इसमें भी वही बातें दोहरा दी गईं। अतः इसी विषय पर 4 दिसंबर, 2009 को दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की गई। इसकी सुनवाई श्रीमती अन्नपूर्णा दीक्षित, केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष 5-4-2010 को हुई। परिषद की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने उनके समक्ष परिपद् का पक्ष रखा।

अपने 7 अप्रैल, 2010 के फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग ने डी.ए.वी.पी. को आदेश दिया कि वह मामले से जुड़ी सभी फाइलें याची को दिखाएँ और इसके लिए डी. ए.वी.पी. का पत्र आया फाइलें देखने का। मैंने वहाँ पूरा दिन बैठ कर फाइलें देखीं किंतु फाइलों के उस हजूम में मुझे वह सूचना नहीं मिल सकी कि आख़िर सक्षम प्राधिकारियों ने किन कारणों से त्रैमासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देने पर विराम लगाया। इसी बीच, पता चला कि निदेशालय के महानिदेशक के कक्ष में बड़े अधिकारियों की एक बैठक चल रही है। मुझे याद नहीं कि मुझे वहाँ कक्ष में बुलाया गया या मैंने स्वयं वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। ख़ैर, मैं महानिदेशक से मिली और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि मैंने केंद्रीय मंत्री महोदया को इस विषय पर अभ्यावेदन भेजा और उन्होंने बताया कि डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन नीति की शीघ्र ही समीक्षा की जानी है और वह उस अभ्यावेदन को ध्यान में रखेंगे। इस अवसर पर मैंने उन्हें मंत्री महोदया को भेजे अभ्यावेदन की एक प्रति दे दी और उनकी ओर से मुझे एक आश्वासन-सा मिला और हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ सकरात्मक फैसला होगा परंतु अब तक कुछ नहीं बदला है।

हाल ही में फ़ोन पर डी.ए.वी.पी. के एक अधिकारी से पुनः बात हुई है और उन्होंने बताया कि सरकार विज्ञापन नीति की जल्दी ही समीक्षा करेगी और इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव को मिल कर इस बारे में बात करें और उन्हें लिख कर दें। उनके लिए एक पत्र तैयार कर लिया गया है और उनसे शीघ्र मिलने का कार्यक्रम है।

हाँ, इस बीच कई लोगों के फ़ोन आदि भी आए। उनका कहना था कि पता चला है कि इस मुद्दे पर आप लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। अगर इसमें सफलता मिलती है तो देश से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिकाओं को बहुत लाभ होगा।'' हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस मुद्दे पर प्रयास जारी रहेगा।

दिल्ली की हिंदी अकादमी का 'महिला विधि भारती' पत्रिका को श्रेष्ठ संपादन पुरस्कार -- सन्तोष खन्ना

दिल्ली की हिंदी अकादमी की श्रेष्ठ संपादन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 'महिला विधि भारती' की त्रैमासिक पत्रिका को श्रेष्ठ संपादन के लिए दो बार पुरस्कार दिया गया। 24 सितंबर, 1996 को पत्रिका के जनवरी-मार्च,

1995 अंक को हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा 1995 का श्रेष्ठ संपादन पुरस्कार दिया गया। तत्पश्चात्, पत्रिका के वर्ष 1996 के लिए भी श्रेष्ठ संपादन पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी अकादमी से पत्रिका के लिए शुरू-शुरू में विज्ञापन भी मिलते रहे, यद्यपि विज्ञापन की राशि मात्र 500/-- रुपए ही थी परंतु इससे पत्रिका के महत्त्व को मान्यता मिलती थी। अतः विधि भारती परिषद् हिंदी अकादमी, दिल्ली की हमेशा आभारी रही है।

विधि भारती परिषद् का पुस्तक प्रकाशन -- सन्तोष खन्ना

वर्ष 2001 में 'महिला विधि भारती' के मानव अधिकार विषय पर प्रकाशित विशेषांक के आधार पर विधि भारती परिषद की ओर से दो पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। एक पुस्तक हिंदी में '21वीं शती में मानव अधिकार : दशा और दिशा' तथा दूसरी पुस्तक अंग्रेजी में 'Human Rights Today' शीर्षक से प्रकाशित की गई। वास्तव में विधि भारती परिषद की ओर से निर्णय किया गया था कि पुस्तक-प्रकाशन किया जाए ताकि उससे मिलने वाली धन राशि पत्रिका के प्रकाशन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेगी, क्योंकि पत्रिका प्रकाशन के लिए कहीं से अनुदान आदि नहीं मिल रहा था और उसके प्रकाशन पर काफी पैसे संपादक के निजी स्रोतों से लग रहे थे। इससे पहले भी चार पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं। हिंदी में पुस्तकों का शीर्षक था 'भारत का संविधान : अनुचिंतन के नए क्षितिज' तथा 'उपभोक्ता संरक्षण कानून और न्याय', अंग्रेजी में पुस्तक थी 'Reappraisal of the Constitution' व 'Rights of Consumers and the Consumer Protection Act.' यह पुस्तकें भी मूलतः इन्हीं विषयों पर प्रकाशित पत्रिका के विशेषांकों पर आधारित थीं। वर्ष 2002 में 'महिला विधि भारती' पत्रिका की संस्थापक-संपादक एवं विधि भारती परिषद की संस्थापक महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना का काव्य-संग्रह 'भावी कविता' का दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने प्रकाशन सहयोग के लिए चयन किया था। प्रकाशन सहयोग के लिए दी गई राशि थी 7,500/- रुपए। इस राशि में निजी स्रोतों से 10,000/- रुपए की और राशि मिला कर इस पुस्तक को विधि भारती परिषद से इसलिए प्रकाशित किया गया कि इस तरह परिषद् को कुछ आय हो सके और पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा जा सके। 'भावी कविता' काव्य-संग्रह का प्रकाशन वर्ष 2003 में किया गया।

पर्यावरण विशेषांक और 'भावी कविता' काव्य-संग्रह का लोकार्पण

उपभोक्ता विशेषांक के बाद विधि भारती परिषद ने 'पर्यावरण विशेषांक', (अंक 34-35, जनवरी-जून, 2004) प्रकाशित किया था। विधि भारती परिषद की संस्थापक-संपादक के निवास स्थान पर पर्यावरण विशेषांक और 'भावी कविता' काव्य-संग्रह के लिए एक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में प्रतिष्ठित साहित्यकार पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह शशि और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की 'भाषा' पत्रिका के पूर्व संपादक तथा वरिष्ठ कवि पद्मश्री श्री जगदीश चतुर्वेदी मुख्य अतिथि थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीडर डॉ. पूरनचंद टंडन ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा इन्हीं महानुभावों के कर-कमलों से 'भावी कविता' काव्य-संग्रह का लोकार्पण किया गया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर, डॉ. सुधेश तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की अधिकारी डॉ. अर्चना त्रिपाठी, भारत एशियाई साहित्य अकादमी के निदेशक-संपादक श्री अशोक खन्ना ने 'भावी कविता' काव्य-संग्रह पर अपने प्रबुद्ध विचार प्रस्तुत किए।

इस लोकार्पण समारोह में डॉ. अश्विनी पराशर, डॉ. शकुंतला कालरा, डॉ. चौहान, श्री कृष्ण कुमार भार्गव दंपति, माननीय पूर्व न्यायायधीश श्री वी.पी. कालरा आदि कई विद्वत्जन पधारे थे। श्रीमती सन्तोष खन्ना ने समारोह में पधारे सभी विद्वत्जनों का धन्यवाद किया।

विधि भारती सम्मान अब 'राष्ट्र विधि भारती सम्मान'

विधि भारती परिषद की ओर से हम माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर के प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने 'विधि भारती सम्मान' चयन समिति की अध्यक्षा के रूप में 'विधि भारती परिषद' की अथाह सहायता की और उनकी अध्यक्षता में चयन की गई सम्मानित विभूतियों से वस्तुतः विधि भारती सम्मानित एवं गौरवान्वित हुई है और उनके प्रयासों से 'विधि भारती सम्मान' को गौरव और गरिमा बढ़ी है। अतः 'विधि भारती सम्मान' की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को दृष्टिगत करते हुए इस सम्मान का नाम 'राष्ट्रीय विधि भारती सम्मान' करने का निर्णय किया गया।

न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सेवा-निवृत्त हो मुंबई चली गई। उन्हीं की प्रेरणा से अगली सम्मान समिति की अध्यक्षता के लिए हमने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तत्कालीन सदस्य न्यायमूर्ति माननीय श्री शिवराज पाटिल जी से अनुरोध किया जो उन्होंने कृपापूर्वक मान लिया। इस सम्मान समिति के दो अन्य सदस्य थे -- केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरविंद सावंत एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के माननीय सदस्य, माननीय न्यायमूर्ति एस.एन. कपूर। 'राष्ट्रीय विधि भारती सम्मान' की नव-गठित तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक 20 जनवरी, 2008 को संपन्न हुई जिसमें 'विधि भारती परिषद' की ओर से परिषद की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना और कोषाध्यक्ष श्रीमती मंजू चौधरी ने भी भागीदारी की। इस बैठक में 'राष्ट्र विधि भारती सम्मान' के लिए छः विभूतियों का चयन किया गया।

सन्तोष खन्ना

विधि भारती परिषद् का हिंदी के प्रचार-प्रसार का नूतन महत्त्वपूर्ण आयाम

वर्ष 2003 में विधि भारती परिषद के लगातार बढ़ते आयामों में एक और नया ऐतिहासिक आयाम जुड़ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संसदीय हिंदी परिषद एवं विधि भारती परिषद की अध्यक्ष डॉ. सरोजनी महिषी ने विधि भारती परिषद को भी राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान संगोष्ठी में सम्मिलित कर लिया और परिषद को उस कार्यक्रम में भागीदारी करने को कहा। वास्तव में डॉ. सरोजिनी महिषी संसदीय हिंदी परिषद की अध्यक्ष होने के नाते हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में वर्षों से एक संगोष्ठी करती आ रही थीं। 12 सितंबर, 2003 में जिस संगोष्ठी का आयोजन किया गया उसकी उल्लेखनीय बात यह थी कि विधि भारती परिषद और परिचय साहित्य परिषद की भी इस संगोष्ठी में भागीदारी थी और इसमें यह फैसला भी हुआ कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हो रहे आयोजन में हिंदी के प्रचार-प्रसार में सतत सक्रिय विद्वानों का सम्मान किया जाए और इस संगोष्ठी को 'राष्ट्र भाषा उत्सव' नाम दिया गया। अतः इस वर्ष से राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान का शुभारंभ किया गया। 12 सितंबर, 2003 की इस संगोष्ठी में चार साहित्यकारों को राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यह साहित्यकार थे श्री हिमांशु जोशी, श्री प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉ. दिनेश नंदनी डालमिया और श्री राजकुमार सैनी। इनका सम्मान किया भूतपूर्व राज्यपाल महामहिम श्री सत्यनारायण रेड्डी और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. गोपीचंद नारंग ने और इसके आयोजन और राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान के शुभारंभ का श्रेय विधि भारती परिषद को भी जाता है। इस संगोष्ठी की एक ओर उल्लेखनीय यह बात यह रही कि विधि भारती परिषद द्वारा प्रकाशित एवं सन्तोष खन्ना द्वारा संपादित पुस्तक 'पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून' का लोकार्पण भी किया गया। तब से निरंतर हर वर्ष संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसदीय हिंदी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधि भारती परिषद की भगीदारी निरंतर बढ़ती जा रही थी। राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है जिसमें विधि भारती परिषद की भागीदारी भी होती है।

राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान, 2007

वैसे तो हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है किंतु 29-9-2007 का राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान इस अर्थ में उल्लेखनीय रहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में पधारी थीं और उन्होंने इस कार्यक्रम को शोभान्वित किया था। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. गंगा प्रसाद विमल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मंचासीन थे श्रीमती शीला दीक्षित, डॉ. सरोजिनी महिषी, डॉ. गंगा प्रसाद विमल, श्रीमती सन्तोष खन्ना एवं श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण। इस संगोष्ठी में प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीमती राजी सेठ, डॉ. शकुंतला कालरा, डॉ. केवल गोस्वामी और डॉ. परमानंद पांचाल को राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस संगोष्ठी में कुछ अन्य पुस्तकों

के अलावा विधि भारती परिषद द्वारा प्रकाशित एवं श्रीमती सन्तोष खन्ना द्वारा संपादित पुस्तक '21वीं शती में नारी : कानून और सरोकार' का दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा लोकार्पण किया गया। इस संगोष्ठी से पहले तीनों संस्थाओं ने मिल कर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय यह लिया कि हर वर्ष हिंदी साहित्य के चारों विद्वानों को राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान दिया जाएगा जिसमें अनिवार्यतया दो महिला साहित्यकार होंगी।

संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र भाषा उत्सव कार्यक्रम -- डॉ. सुधेश

संसदीय हिंदी परिषद्, विधि भारती परिषद् एवं परिचय साहित्य परिषद् के संयुक्त तत्त्वावधान में 14 अक्तूबर, 2015 को शाम 4.30 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 'हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में संसद का योगदान' विषय पर विचार के लिए एक संगोष्ठी के साथ छः दिग्गज साहित्यकारों को 'राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक सभा के पूर्व महासचिव एवं देश के संविधान विशेषज्ञ पद्म भूषण डॉ. सुभाष कश्यप ने की। भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं कर्नाटक के पूर्व महामहिम पद्मविभूषण श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी एवं पूर्व संसद सदस्य एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पूर्व सदस्य श्रीमती सत्या बहिन भी मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन किया दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. (डॉ) पूरनचंद टंडन ने। विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना तथा परिचय साहित्य परिषद् की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण भी मंचासीन थीं।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन तथा श्रीमती करुणा अरविंद चौधरी द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ। डॉ. सुभाष कश्यप का डॉ. आशु खन्ना ने पुष्प-गुच्छ दे कर तथा शॉल ओढ़ा कर उनका स्वागत किया। महामहिम श्री चतुर्वेदी जी का स्वागत किया श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण ने और श्रीमती सत्या बहिन का स्वागत डॉ. उमाकांत खुबालकर ने किया। डॉ. पूरनचंद टंडन का स्वागत दिल्ली मेट्रो में विधि अधिकारी श्री अनिल गोयल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप-प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी जी किसी कारण नहीं आए।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. पूरनचंद टंडन ने विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना से उक्त परिषद् के कार्यकलापों का परिचय देने तथा चर्चा के विषय पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित किया। श्रीमती खन्ना ने बताया कि संसदीय हिंदी परिषद् विगत 40 वर्षों से सक्रिय है और विधि भारती परिषद् पिछले 21 वर्ष से कार्य कर रही है और इस संस्था की संस्थापना के साथ ही 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था और आज इस पत्रिका के 84वें अंक का लोकार्पण होगा जो डॉ. सरोजनी महिषी विशेषांक के रूप में निकाला गया है। श्रीमती सन्तोष खन्ना ने 'हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में संसद के योगदान' पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान में संसद के 70 से 80 प्रतिशत सदस्य संसद में हिंदी में अपनी बात कहते हैं और संसद के हर दस्तावेज हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। लोक सभा टी.वी. के अधिकांश कार्यक्रम हिंदी में ही प्रसारित होते हैं। इस सब के कारण हिंदी एक सक्षम एवं सशक्त भाषा बन चुकी है जिसमें देश की मिश्रित संस्कृति की प्रत्येक अभिव्यक्ति प्रकट की जा सकती है।'' श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण ने श्रीमती सरोजिनी महिषी को विशेष रूप से स्मरण किया करते हुए राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान की संकल्पना पर प्रकाश डाला।

साहित्योत्सव का उद्घाटन करते हुए श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने राष्ट्रभाषा हिंदी की महत्ता, उस की व्यापकता के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि हिंदी को अपने दैनिक व्यवहार की भाषा बनाया जाना चाहिए। श्रीमती सत्या बहन ने बताया कि उन्होंने और सरोजिनी महिषी आदि अनेक सांसदों ने संसद में और उस के बाहर हिंदी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने देखा है कि ग़ैर-हिंदी भाषी भी हिंदी में बोलना पसंद करते हैं। उन्होंने सांसद के रूप में अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए और

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा के साथ की गई विदेश यात्राओं का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने अनेक विदेशियों में भी हिंदी के प्रति प्रेम पाया।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान मुंशी प्रेमचंद साहित्य के विशेषज्ञ डॉ. कमलकिशोर गोयनका, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर तथा वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सुधेश, आयुर्विज्ञान की विशेषज्ञ एवं हिंदी सेवी डॉ. वसंती रामचंद्रन, व्यंग्य कवयित्री डॉ. सरोजिनी प्रीतम, दिल्ली दूरदर्शन में कार्यरत् श्रीमती नीलम शर्मा, पत्रकार और जनसंचार माध्यमों के विशेषज्ञ श्री प्रदीप जैन को डॉ. सुभाष कश्यप और श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी के हाथों से प्रदान किए गए। इन सब को अंग वस्त्र और प्रतीकचिह्न तथा पुष्प-मालाएँ अर्पित की गईं।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में पुस्तकों और पत्रिकाओं के विशेषांकों का विशिष्ट अतिथियों के हाथों लोकार्पण हुआ, जिन में डॉ. स्टैला कुजूर की उराँव जनजाति पर लिखित पुस्तक, विधि भारती के सरोजिनी महिषी विशेषांक, अरविंद भारद्वाज योगी की पत्रिका का डॉ. अब्दुल कलाम विशेषांक आदि सम्मिलित थे। डॉ. उषा देव का कहानी-संग्रह 'प्रतीक्षा' और प्रतिभा जौहरी के उपन्यास 'आड़ी-तिरछी रेखाओं' का लोकर्पण किया गया। कार्यक्रम का समापन डॉ. सुभाष कश्यप के संक्षिप्त, नपे तुले और विचारोत्तेजक व्याख्यान से हुआ। डॉ. कश्यप ने सूचना दी कि जिस कक्ष में हम बैठे हैं, इसी में संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थीं। उन्होंने इस भ्राँति का खंडन किया कि सिर्फ़ एक मत की अधिकता से हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि सर्वसम्मति से हिंदी राज भाषा बनी थी।

डॉ. प्रतिष्ठा श्रीवास्तव ने नारी शक्ति का आह्वान करती अपनी एक ओजपूर्ण कविता का पाठ बड़े ओजस्वी स्वर में किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

राष्ट्रभाषा उत्सव एवं राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान 2017 — रेनू नूर

संसदीय हिंदी परिषद्, विधि भारती परिषद् एवं परिचय साहित्य परिषद् के अथक प्रयास से इस वर्ष 10 नवंबर, 2017 को सायं 3.30 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा उत्सव का आयोजन बहुत ही सुचारु रूप से संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे जिन्होंने इस कार्यक्रम द्वारा अपनी ज्ञानवृद्धि की। इस राष्ट्रभाषा उत्सव में न केवल विभिन्न प्रसिद्ध साहित्यकार एवं मीडिया कर्मी तथा कर्मठ हिंदी सेवियों को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया अपितु 'संसद में हिंदी : कल, आज और कल'' विषय पर चिंतन-मनन भी किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री थावर चंद गहलोत, केंद्रीय कल्याण न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार के कर-कमलों द्वारा किया जाना था परंतु किन्हीं विशेष कारणों के चलते वे उपस्थित न हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वरूप डॉ. मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, लोक सभा, डॉ. सत्यनारायण जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री संसद सदस्य, राज्य सभा; पद्मभूषण डॉ. सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव, लोक सभा एवं भारत के प्रतिष्ठित संविधानविद्, प्रो. अवनीश कुमार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक तथा प्रो. पूरनचंद टंडन, दिल्ली विश्वविद्यालय आमंत्रित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप-प्रज्ज्वलन से किया गया। श्रीमती सुषमा भंडारी, विद्यालय निरीक्षक दिल्ली नगर-निगम ने अपनी अत्यंत सुरीली वाणी में सरस्वती वंदना की। विधि भारती परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने अतिथियों का परिचय देते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित किया तथा इस कार्यक्रम के लिए रखे गए विषय 'संसद में हिंदी : कल, आज और कल' पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संसद राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही है। यहाँ सारा कार्य हिंदी में किया जा रहा है और अंग्रेज़ी में भी। जनता के अधिकांश प्रतिनिधि संसद सदस्य जनता की समस्याओं को संसद में हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और कुछ संसद सदस्य अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं तो संसद की दीर्घा में उपस्थित भाषांतरकार

उनका हिंदी में तत्काल भाषांतरण करते चलते हैं।

श्रीमती सत्या बहिन, पूर्व सांसद, राज्य सभा और संसदीय हिंदी परिषद् की अध्यक्षा ने सभी मंचासीन अतिथियों का तथा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य श्रोताओं का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के केंद्रीय कक्ष में हिंदी उत्सव कार्यक्रम कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। हिंदी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रखने वाली डॉ. सरोज़नी महिषी ने कई वर्षों तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी स्मृति को नमन करते हैं और चाहते हैं कि उनकी प्रेरणा इस कार्यक्रम में हमेशा बनी रहे ताकि हम सब देश की इस एक अमूल्य धरोहर, जन-जन की वाणी हिंदी के प्रति समर्पित हो उसका उत्सव हमेशा मनाते रहें।

इस वर्ष का राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान सुविख्यात साहित्यकार डॉ. मुक्ता (वाराणसी), डॉ. गिरीश पंकज (छत्तीसगढ़), श्रीमती नमिता राकेश (हरियाणा) तथा त्रैमासिक पत्रिका 'हिम उत्तरायणी' के संपादक एवं मीडिया कर्मी सूर्य प्रकाश सेमवाल को दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। 'मेरे मन की बातें (आलेख-कविता) डॉ. उषा देव, 'भारत में चुनाव, हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार' सं. सन्तोष खन्ना, 'चाँदनी में हम तुम' (काव्य-संग्रह) किरण मिश्रा, 'साहित्य समाज और स्त्री', डॉ. भावना शुक्ला की पुस्तकों का लोकार्पण मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. अवनीश कुमार, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग एवं निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भी अपने विचार अभिव्यक्त किए कि किस प्रकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी की प्रोन्नति के लिए कटिबद्ध होकर कार्यशील है। उन्होंने कहा कि भाषा ही हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती है और भाषा के बिना हमारी संस्कृति अधूरी है। इसके द्वारा ही हम जीविकोपार्जन करते हैं तथा आज हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बना चुकी है। आज यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय का मुख्य साधन बन चुकी है। आज हमारी राजभाषा हिंदी ही हमारी शिक्षा और ज्ञान को पूर्णता प्रदान करने में सक्षम है।

अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. पूरनचंद टंडन, प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने केंद्रीय कक्ष में साल दर साल होने वाले इस कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा आशीर्वचन दिए। डॉ. सुभाष कश्यप ने भी आशीर्वचन दिए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने अपने उद्बोधन में संसद में हिंदी की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किस प्रकार हिंदी धीरे-धीरे संसदीय कार्यों में अपने पैर जमा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिंदी सदैव से संसद में मुख्य भाषा रही है परंतु अब इत्तर हिंदी भाषी सांसद भी हिंदी की महत्ता को स्थापित करने के लिए हिंदी का दामन थामना ज़रूरी समझ रहे हैं और वह इस तथ्य से परिचित हो रहे हैं अगर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक क्षितिज पर उभरना है तो हिंदी को अपना कर ही जन-जन से संवाद किया जा सकता है और साथ ही यह भी कि हिंदी न सिर्फ़ भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में नया आयाम स्थापित कर रही है।

परिचय साहित्य परिषद् की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया तथा इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया श्री अनिल वर्मा 'मीत' ने, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने राष्ट्रगान द्वारा देशभक्ति की लहर से केंद्रीय कक्ष को गुंजायमान किया। इस प्रकार संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हिंदी को समर्पित इस वर्ष का यह भव्य एवं अद्वितीय कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख करने के लिए इस तथ्य को उद्घाटित करना जरूरी है कि केंद्रीय कक्ष श्रोताओं से पूरी तरह भरा था और उनमें हिंदी के इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अतीव उत्साह देखते ही बनता था।

इस कार्यक्रम की सफलता की एक कसौटी यह रही कि लोक सभा टी.वी. ने इस पूरे कार्यक्रम को पूरे आधे घंटे तक अपने चैनल पर प्रसारित तथा बाद में पुनः

प्रसारित किया। इसके लिए हम सब लोक सभा टी.वी. के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

राष्ट्रभाषा उत्सव कार्यक्रम 2018 – डॉ. विदुषी शर्मा

संसदीय हिंदी परिषद्, विधि भारती परिषद् एवं परिचय साहित्य परिषद् के अथक प्रयास से इस वर्ष 16 नवंबर, 2018 को सायं 3.30 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा उत्सव, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान एवं 'हिंदी हमारा स्वाभिमान' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन सफल एवं सुचारु रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे।

भारत की पहचान हमारी संसद से आरंभ होती है और 'संसदीय हिंदी परिषद' भी हिंदी की पहचान है ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्रभाषा उत्सव और राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान एवं 'हिंदी हमारा स्वाभिमान' विषय पर संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉ. सत्यनारायण जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष थे और कार्यक्रम के अध्यक्ष थे पद्मभूषण डॉ. सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव, लोक सभा एवं भारत के प्रतिष्ठित संविधानविद्। विशिष्ट अतिथियों में थे डॉ. अवनीश कुमार (अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग एवं निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) श्री रामशरण गौड़, (अध्यक्ष, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड) प्रोफेसर, डॉ. पूरनचंद टंडन, (प्रोफेसर, हिंदी विभाग एवं दिल्ली विश्वविद्यालय), डॉ. रमा, प्राचार्य, (हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)। सत्या बहिन (अध्यक्ष, संसदीय हिंदी परिषद्), श्रीमती सन्तोष खन्ना जी (विधि भारती परिषद् की महासचिव एवं उर्मिल सत्य भूषण जी (अध्यक्ष, परिचय साहित्य परिषद) भी मंचासीन थीं। श्रीमती सन्तोष खन्ना ने सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित कर उनका सभागार में उपस्थित श्रोताओं से परिचय कराया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। माँ सरस्वती की आराधना की गई जिसके लिए श्री रामलोचन जी को आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपने मधुर कंठ से माँ शारदा की आराधना की। श्रीमती सत्या बहिन जी ने सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत किया। उनके वक़्तव्य बहुत ही ओजस्वी एवं प्रेरक थे। उन्होंने सभी भारतवासियों को चेताया कि यदि हिंदी हमारी माँ है और हमारी रगों में उसका खून दौड़ रहा है तो क्यों हमें हिंदी दिवस मनाने की और इस प्रकार की हिंदी की संगोष्ठियाँ करने की आवश्यकता पड़ रही है। यह सच ही है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हिंदी की संगोष्ठी या हिंदी दिवस और पखवाड़े मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। आज ज़रूरत है तो इस बात की कि हम हिंदी को अपने स्वाभिमान की भाषा बनाएँ।

इसके बाद, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान प्रदान किए जाने की बारी आई। प्रथम सम्मान प्रतिष्ठित साहित्यकार, डॉ. गुरुचरण सिंह जी को प्रदान किया गया जिसमें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, एक शॉल, पुस्तक पैकेट और प्रमाण-पत्र देकर उन्हें सभी मुख्य अतिथियों के द्वारा मंच पर सम्मानित किया गया। इसके बाद डॉ. प्रत्यूष वत्सला जी का सम्मान भी इसी प्रकार किया गया। राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान की इस शृंखला में तीसरा सम्मान श्री रमेशचंद्र सभरवाल जी को प्रदान किया गया जिन्होंने विपुल साहित्य की अनेक पुस्तकों की रचना कर हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है। इसके बाद, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार अमेरिका वासी डॉ. अनीता कपूर जी को प्रदान किया गया। इसी श्रेणी में अंतिम नाम डॉ. स्नेह ठाकुर जी का था। डॉ. स्नेह ठाकुर वर्षों से कनाडा में रहते हुए अनेक पुस्तकों की रचना कर तथा 'वसुधा' जैसी अच्छी पत्रिका का प्रकाशन कर विदेश में हिंदी को उसकी बुलंदियों पर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इसके बाद डॉ. अवनीश जी ने केंद्रीय हिंदी बृहद कोश, निदेशालय द्वारा प्रकाशित भाग-1 एवं भाग-2 जटिया जी को एवं डॉ. सुभाष कश्यप जी को भेंट किए।

संगोष्ठी का दूसरा पड़ाव आरंभ हुआ जहाँ सन्तोष खन्ना जी की पुस्तक 'सेतु के आर पार' नाटक का लोकार्पण किया गया। सन्तोष खन्ना जी का यह नाटक अनुवाद विधा पर आधारित है जो नाटकों की शृंखला में अपने क़िस्म का पहला नाटक है। डॉ. शिखा कौशिक की

पुस्तक 'नूतन रामायण' का भी लोकार्पण किया गया। इसी के साथ हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि 'औरत कट्टर नहीं होती' के लिए शिखा जी को यूपी सरकार ने सम्मानित किया गया है। यह हिंदी भाषा और भारत के लिए गौरव का विषय है।

इसके बाद 'हिंदी हमारा स्वाभिमान' विषय पर परिचर्चा आरंभ हुई। इस विषय पर विषय प्रवेश डॉ. पूरनचंद टंडन जी ने किया जिसमें सभी का अभिवादन करने के बाद उन्होंने युग पुरुष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ से अपनी बात कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा आधुनिक हिंदी भाषा आधुनिक काल की हिंदी है। छायावाद की संस्कृति की, सिनेमा की, संवाद की, बाज़ार की भाषा भी यही है। व्यवसायिक दृष्टि से बाज़ारीकरण की भाषा हिंदी है, उच्च शिक्षा की भाषा भी हिंदी है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हिंदी हमारे स्वाभिमान की भाषा भी है।

इसके बाद हिंदी हमारा स्वाभिमान कविता का पाठ किया गया जिसमें युवा कवि अनुरागेंद्र निगम ने हिंदी कविता में बताया कि हिंदी क्या है? हिंदी की विशेषताएँ 'भावों को शुद्ध करे, विश्व में जो गूँजे, हिंदी यह हमारी है' बहुत ही सुंदर कविता का पाठ उन्होंने किया। इसके बाद श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण जी की पुस्तक 'बाल साहित्य समग्र' तथा श्रीमती आर्यावर्ती सरोज 'आर्या' की पुस्तक 'छोटी मालकिन : स्त्री एक प्रतिक्षा' का लोकार्पण किया गया।

संगोष्ठी अपने समापन की ओर बढ़ रही थी। वक़्तव्य की शृंखला में अब डॉ. रमा ने अपना वक़्तव्य प्रारंभ किया। इनके वक़्तव्य इतना प्रभावशाली, ओजस्वी एवं युवाओं को के लिए जोश और आकांक्षा और प्रेरणा से भरे थे कि संसदीय हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी प्रशंसा बार-बार की जा रही थी। यह एक वक़्ता के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इसके बाद डॉ. अवनीश कुमार जी ने अपने बात प्रारंभ की और उन्होंने माना कि भाषा संस्कार एवं संस्कृति की पूरक है। राष्ट्रभाषा के सम्मान के लिए उन्होंने सभी को बधाई दी एवं उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ ज्ञान-विज्ञान के साथ हिंदी भाषा को जोड़ना होगा तभी यह व्यवसायिक भाषा बन पाएगी। 'चिंतन सदैव मातृभाषा में ही संभव' है। समस्त ज्ञान को हिंदी में उपलब्ध करने की आवश्यकता आज सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। उन्होंने सूचना दी कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने यू-ट्यूब चैनल तथा इसकी वेबसाइट भी आरंभ कर दी है। तत्पश्चात डॉ. देवराज वोहरा की पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस बीच डॉ. कीर्ति काले जी, जो कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही थीं, ने भी अपनी सुमधुर वाणी में अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। उन्होंने अपनी कविताओं का भी सस्वर-वाचन किया जिसे दर्शकों द्वारा पसंद किया गया।

डॉ. रामशरण शर्मा गौड़ जी ने अपनी बात करनी आरंभ की। यह सबसे अनुभवी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं जिन्होंने संसद के इसी कक्ष में हिंदी भाषा को राजभाषा बनने के तथ्य को रेखांकित करते हुए हिंदी के महत्त्व को उसके सही परिप्रेक्ष्य में आँकने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति अंग्रेज़ों द्वारा जो चलाई गई थी उस से मुक्त होने का समय आ गया है। अंग्रेज़ी पढ़ना और पढ़ाना बुरी बात नहीं है परंतु अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता इन सब में हिंदी को लाएँ एवं हिंदी के माध्यम से ही यह सभी चीज़ें हमारे जीवन में उतार पाएँ, ऐसा हम संकल्प लें। यह कहकर उन्होंने सभी को शुभकामनाएँ दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. जटिया जी ने अपनी बात का शुभारंभ संस्कृत के श्लोक के साथ किया और अपने लोक सभा और राज्य सभा के अनुभव को साझा करते हुए बातों-ही-बातों में कुछ ऐसी बात कही कि वह सब के दिलों में घर कर गई। जटिया जी का वक़्तव्य कई चीज़ों का सम्मिश्रण था उसमें कविताएँ थी, उसमें संस्कृत के श्लोक थे, उसमें उनके अनुभव थे, उसमें भाव थे, और साथ में ही एक आह्वन था, भारत के स्वाभिमान को जगाने की बात थी।

उन्होंने कहा जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत हमारी भारत की पहचान है और वह हिंदी में है तो हिंदी से हमारी पहचान जीवन के हर क्षेत्र में क्यों नहीं है? ये केवल साहित्य सृजन की भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी

राष्ट्र-भाषा गौरव-सम्मान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों एवं जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ था उन सभी को बधाई दी। डॉ. सुभाष कश्यप जी ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में डॉ. सरोजिनी महिषी जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात की और इसी के साथ उन्होंने सन्तोष खन्ना जी, उर्मिल सत्य भूषण जी और सत्या बहिन को इस परंपरा को निर्बाध रूप से निभाए जाने के लिए बधाई दी। श्रीमती सविता सिंह नेपाली के काव्य-संग्रह का तथा अरविंद भारत संपादित 'अखंड भारत' एवं सूर्य प्रकाश सेमवाल संपादित 'हिम उत्तरायणी' त्रैमासिक पत्रिकाओं का भी लोकार्पण किया गया। श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण ने विधिवत् रूप से सभी का धन्यवाद किया।

अंत में सन्तोष खन्ना जी के द्वारा सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि जो छात्र और अध्यापकगण राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए हैं और जो भारतीय अनुवाद परिषद् के छात्र आए हैं वह यहाँ सभी हिंदी प्रेम के कारण आए हैं। इसके पश्चात्, राष्ट्रीय गान के साथ इस अविस्मरणीय संगोष्ठी का एक सुखद समापन हुआ।

इस कार्यक्रम की सफलता की एक कसौटी यह रही कि लोक सभा टी.वी. ने इस पूरे कार्यक्रम को अपने चैनल पर प्रसारित और पुनः प्रसारित किया। राज्य सभा टी.वी ने इसे अपने चैनल पर प्रसारित किया। हम इसके लिए लोक सभा एवं राज्य सभा, दोनों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

डॉ. सरोजिनी महिषी एवं राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान का डेढ़ दशक -- सन्तोष खन्ना एवं उर्मिल सत्यभूषण

संसदीय हिंदी परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी कि सांसद जो विशेषतया अहिंदीभाषी प्राँतों से आए थे उनको हिंदी सिखाई जाए। बाद में इस परिषद का नेतृत्व डॉ. सरोजिनी महिषी, जो स्वयं अहिंदी भाषी क्षेत्र से चुनकर आई थीं, ने संभाला। वे स्वयं कई भाषाओं की जानकार थीं और हिंदी को एक सूत्र में बाँधने वाली भाषा समझती थीं, उन्होंने हिंदी की मशाल वर्षों से जलाई रखी। हर वर्ष हिंदी दिवस संसद के केंद्रीय कक्ष में मनाया जाता रहा और वह सर्वदा उसकी सूत्रधार रहीं।

डॉ. सरोजिनी महिषी से प्रेरणा पाकर ऐसी संस्थाओं ने भी अपनी लौ उनकी मशाल की लौ के साथ लगा दी। डॉ. सरोजिनी महिषी वर्षों से संसद के केंद्रीय कक्ष में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन करती आ रही थीं, इसी कड़ी को और अधिक सार्थक बनाने की दृष्टि से 2003 में संसद में होने वाले हिंदी समारोह को 'राष्ट्र-भाषा उत्सव' नाम दिया गया एवं साथ ही 'राष्ट्र-भाषा गौरव सम्मान' की परंपरा आरंभ की गई। हिंदी की सतत सेवा करने वाले साहित्यकारों को उनकी हिंदी सेवाओं के लिए संसद में ही सम्मानित करने का बीड़ा उठाया गया और 'राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान' शुरू किए गए। यह 2003 में आरंभ किए गए थे। इन 12 वर्षों में लगभग 70 के करीब हिंदी सेवियों को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इनमें से कुछ विशिष्ट विभूतियाँ इस प्रकार हैं -- सुश्री शांता बाई, श्रीमती रमणिका गुप्ता, डॉ. अरविंद कुमार, कुसुम कुमार, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री हिमांशु जोशी, डॉ. रवींद्र सेठ, श्रीमती राजी सेठ, डॉ. शकुंतला कालरा, डॉ. परमानंद पांचाल, डॉ. प्रेम सिंह, डॉ. धर्मवीर, डॉ. राज बुद्धि राजा, डॉ. पुष्पा राही, सन्तोष खन्ना, उर्मिल सत्यभूषण, डॉ. पी. सी. टंडन, सुश्री राजी रमन्नी, श्री केवल गोस्वामी, श्रीमती चंद्रकांता, डॉ. महीप सिंह, डॉ. बालसुब्रह्मण्यम, अशोक खन्ना, शांति अग्रवाल आदि। इन वरिष्ठ लेखकों के साथ उन युवाओं और मीडियाकर्मियों की ओर भी ध्यान गया जो हिंदी के परहेजगारों की परवाह न करते हुए अपने नए तरीकों और नए माध्यमों द्वारा हिंदी को प्रशस्त कर रहे हैं और लगातार हिंदी का प्रचार-प्रसार विश्व में कर रहे हैं उन्हें भी वार्षिक राष्ट्रभाषा उत्सव में सम्मानित करने की बात सोची गई। उनमें कुछ उल्लेखनीय नाम हैं -- लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, श्रीमती अलका सिन्हा, डॉ. रेखा व्यास, डॉ. अर्चना त्रिपाठी, डॉ. रमा पांडेय, सुश्री कनुप्रिया, डॉ. स्टेला, श्री अनिल वर्मा आदि। 'राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान' ने सचमुच बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया है और अधिकाधिक लोग जुड़ते गए और जुड़ते रहेंगे और हमारी भाषा अपना गौरवमयी स्थान प्राप्त करके रहेगी।

हम तीनों संस्थाएँ (संसदीय हिंदी परिषद, परिचय साहित्य परिषद और विधि भारती परिषद) अन्य हिंदी सेवी संस्थाओं और साहित्य-प्रेमियों का आह्वान करते हैं कि हम सब मिल कर हिंदी का गौरव बढ़ाएँ और हिंदी को उसका हक दिलवाएँ। हमारी सरकार हमारे संकल्पों को सुने-देखे और उन्हें पूर्ण करने की इच्छाशक्ति जगाए। हमें अपने प्रयासों के शुभ परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। जहाँ पहले कुछ वर्षों में राष्ट्रभाषा उत्सव वाले दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में 30 या 40 प्रतिशत सीटें भरी दिखाई देती थीं अब वहाँ हॉल खचाखच भरने लगा है। बहुत लोग इस उत्सव में शामिल होने को उत्सुक रहते हैं। केवल बुजुर्ग नहीं, बालक और युवा जन भी सक्रिय हो गए हैं। हिंदी भाषा को गंभीरता से लेने लगे हैं। जगह-जगह गोष्ठियाँ और कार्यक्रम होने लगे हैं। पब्लिक स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, न्यायालयों भी हिंदी आगे बढ़ी है। पूरे विश्व में अब हिंदी के नारे गूँज उठे हैं :

अपनी भाषा की सरलता, सहजता, घुलने मिलने की प्रवृत्ति और उसकी वैज्ञानिकता ने उसे सर्वप्रिय बनाया है। फेसबुक, टिवट्र और टी.वी. तथा प्रसार माध्यमों ने भी इस ओर प्रयास किए हैं। सरकार भी लोगों की इच्छाशक्ति और संकल्पों को मान ही लेगी --

जय हिंदी -- जय हिंदोस्तान

मेरी भाषा -- मेरी शान।

इस वर्ष डॉ. सरोजिनी महिषी ने 25 जनवरी को अपनी नश्वर देह को त्याग दिया किंतु ऊर्जा के रूप में चेतना के स्वरों में वह हमारे साथ हैं : हमें पुकार कर कहती हैं :

इस राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान की संकल्पना को सतत बनाए रखना; यह उत्सव करते रहना। उनकी पुकार पर ही हम उठ खड़े हुए हैं और आश्वस्त करते हैं। डॉ. सरोजिनी महिषी ने हिंदी का जो पौधा लगाया था, वर्षों की अपनी साधना और तप से उसे सींच- सींच कर वट वृक्ष बना दिया था, उसे हम यथासंभव कभी कटने नहीं देंगे, उसकी छत्र-छाया पूरे देश में फैले और हिंदी के परिवेश और वातावरण को पुष्ट और पुख्ता बनाए, हम इसी के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे।

'राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान' आरंभ करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि हिंदी सेवी महिला साहित्यकारों का भी ध्यान रखा जाए। वास्तव में होता क्या है कि सामान्यतया महिला साहित्यकार चुपचाप साहित्य लेखन में स्वयं को खपा देती हैं, कई बार उनका अवदान दृष्टि से ओझल ही रह जाता है। अतः यह फैसला भी किया गया कि 'राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान' प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उसमें महिला साहित्यकारों के अवदान को भी सही मान्यता और पहचान मिले। संसद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है चूँकि राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान संसद के प्रांगण से प्रदान किया जाता है अतः इस सम्मान की यह परंपरा स्थापित की गई कि इसमें आधी संख्या महिलाओं की हो। इसलिए वर्ष 2003 से हर वर्ष 2 पुरुष हिंदी साहित्यकारों के साथ-साथ 2 महिला साहित्यकारों को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है और महिला सशक्तिकरण के महान उद्देश्य में इस तरह इस मंच से भी योगदान दिया जाता रहा है। इस परंपरा को यदि हम बनाए रखेंगे तो मनस्वी डॉ. सरोजिनी महिषी के प्रति यह हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी।

इस आलेख के माध्यम से संसद के केंद्रीय कक्ष में वर्ष 2003 से होने वाले कार्यक्रमों का यथासंभव ब्यौरा दिया जा रहा है :--

12 सितंबर, 2003

मुख्य अतिथि : महामहिम श्री सत्यनारायण रेड्डी; उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल।

अध्यक्ष : डॉ. गोपीचंद नारंग; केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष

विशिष्ट अतिथि : डॉ. सत्यनारायण जटिया; केंद्रीय मंत्री।

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. श्री हिमांशु जोशी; वरिष्ठ साहित्यकार, 2. श्री प्रभाकर श्रोत्रिय; वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार, 3. श्री राजकुमार सैनी; कवि, कथाकार, समीक्षक, 4. श्रीमती दिनेश नंदिनी डालमिया; साहित्यकार

संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा समारोहों के इतिहास में एक नया पृष्ठ जुड़ गया है और साक्षी है इस कक्ष में विराजमान सुधीजन विद्वतजन जो राष्ट्रीय एकता के लिए 'राष्ट्रभाषा' के संवर्धन हेतु संकल्पित चेतना लिए हुए है। मुख्य अतिथियों के रूप में एक ओर हमारे साथ है परम आदरणीय श्री सत्यनारायण रेड्डी जी जो लंबी अवधि से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतुबंध की तरह राष्ट्रभाषा को समर्पित हैं तो दूसरी ओर हिंदी व उर्दू के गंगाजमुनी संस्कारों को विश्व में उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध सृजनात्मक स्तंभ डॉ. गोपीचंद नारंग जो वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं।

सिंतबर, 2004

मुख्य अतिथि : श्रीमती चित्रा मुद्गल; प्रतिष्ठित साहित्यकार।

अध्यक्ष : डॉ. रामदरश मिश्र; वरिष्ठ साहित्यकार।

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. श्रीमती रमणिका गुप्ता; रमणिका फाउंडेशन की संस्थापक, साहित्यकार, पत्रकार, एकटीविष्ट। 2. श्रीमती शांता बाई; कर्नाटक हिंदी संघ की संस्थापक, संचालक, प्रचार वाणी की संपादक। 3. डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी; विख्यात साहित्कार, कवि, समीक्षक 4. डॉ. दिनेश; लेखक कवि, आलोचक।

सिंतबर, 2005

मुख्य अतिथि : श्री के. रहमान; राज्य सभा के उप-सभापति।

अध्यक्ष : श्रीमती पद्मा सचदेव; सुप्रसिद्ध डोगरी कवियित्री

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. श्रीमती प्रेम सिंह; मैत्रेयी कॉलेज की रीडर एवं लेखिका। 2. डॉ. रवींद्र सेठ, तमिल ग्रंथों के प्रतिष्ठित अनुवादक। 3. डॉ. जीवन प्रकाश जोशी; प्रतिष्ठित लेखक एवं पत्रकार। 4. श्रीमती राजी रमन्ना; साहित्यकार।

सिंतबर, 2006

मुख्य अतिथि : श्रीमती कृष्णा तीरथ; अध्यक्ष, संसदीय महिला सशक्तिकरण समिति।

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. श्रीमती चंद्रकांता; वरिष्ठ उपन्यासकार। 2. डॉ. महीप सिंह, वरिष्ठ उपन्यासकार, समीक्षक एवं पत्रकार। 3. डॉ. अरविंद कुमार एवं श्रीमती कुसुम कुमार; हिंदी के महाकोशकार। 4. डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम; साहित्यकार एवं अनुवादक।

20 सिंतबर, 2007

मुख्य अतिथि : श्रीमती शीला दीक्षित; दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री।

अध्यक्ष : डॉ. गंगा प्रसाद विमल; प्रख्यात साहित्यकार

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. डॉ. शकुंतला कालरा; मैत्रेयी कॉलेज की रीडर, प्रसिद्ध बाल साहित्यकार। 2. केवल गोस्वामी; साहित्यकार एवं आलोचक। 3. डॉ. परमानंद पांचाल; नागरी लिपि संस्था संचालक 4. श्रीमती राजी सेठ; वरिष्ठ साहित्यकार

15 सिंतबर, 2008

मुख्य अतिथि : श्री टी.एन. चतुर्वेदी; कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल

अध्यक्ष : डॉ. एस.एस. नूर; केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. डॉ. राजबुद्धि राजा; प्रतिष्ठित साहित्यकार। 2. डॉ. पूरनचंद टंडन; रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं लेखक, 3. डॉ. पुष्पा राही; प्राध्यापक एवं कवियित्री। 4. श्रीमती सन्तोष खन्ना; विधि भारती परिषद की संस्थापक सचिव, संपादक एवं लेखक। 5. श्रीमती उर्मिल सत्यभूषण; परिचय साहित्य परिषद की अध्यक्ष, साहित्यकार।

12 सिंतबर, 2009

मुख्य अतिथि : डॉ. हरीश रावत; केंद्रीय मंत्री

अध्यक्ष : डॉ. राज बुद्धिराजा; वरिष्ठ साहित्कार

विशिष्ट अतिथि : श्री सीमाब सुल्तानपुरी; प्रसिद्ध उर्दू शायर, श्री दिनेश मिश्रा; आईएनएसए के संस्थापक अध्यक्ष

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी; लोकप्रिय गीतकार, कवि एवं आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र निदेशक। 2. श्रीमती अलका सिन्हा; सुप्रसिद्ध कवयित्री। 3. डॉ. अर्चना त्रिपाठी; सुप्रसिद्ध कवयित्री। 4. श्री नंदल

हितैषी; नाटककार, नाट्य समीक्षक। 5. डॉ. उषा देव; रीडर, माता सुंदरी कॉलेज, कथाकार। 6. डॉ. रेखा व्यास; सुप्रसिद्ध कवयित्री

सिंतबर, 2010

मुख्य अतिथि : डॉ. विजय; वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष एवं निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय।

अध्यक्ष : श्री निशिकांत ठाकुर; महाप्रबंधक, दैनिक जागरण संपादक

विशिष्ट अतिथि : श्री उदय प्रताप सिंह; प्रसिद्ध कवि

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. श्रीमती शांति अग्रवाल; वरिष्ठ गीतकार। 2. श्री अशोक खन्ना; कवि, पत्रकार, संचालक, भारतीय एशियाई साहित्य अकादमी। 3. डॉ. धर्मवीर; उपन्यासकार, समालोचक, विचारक। 4. डॉ. सूरजमणि स्टेला; (शिक्षाविद्), हिंदी सेवी। 5. श्री अनिल वर्मा मीत; कवि गजलकार। 6. श्रीमती सविता चड्ढा; साहित्यकार। 7. श्रीमती कनुप्रिया; मीडियाकर्मी। 8. श्रीमती रमा पांडे; मीडियाकर्मी।

12 सिंतबर, 2011

मुख्य अतिथि : न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

अध्यक्षता : डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी; साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष।

विशिष्ट अतिथि : डॉ. नरेंद्र मोहन; प्रतिष्ठित साहित्यकार

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. सुमित्रा कुलकर्णी; महात्मा गांधी की पौत्री एवं लेखिका। 2. डॉ. अमर सिंह वधान; सुविख्यात साहित्यकार। 3. डॉ. रश्मि मल्होत्रा; सुविख्यात साहित्यकार। 4. डॉ. गोविंद व्यास, हिंदी भवन के संचालक

मीडिया सम्मान : 1. डॉ. अमर नाथ अमर; दिल्ली दूरदर्शन। 2. डॉ. मणिमाला, निदेशक, गांधी शांति प्रतिष्ठान

25 सिंतबर, 2012

मुख्य अतिथि : न्यायमूर्ति श्रीमती सुधा मिश्रा; उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश

अध्यक्षता : डॉ. नामवर सिंह; सुविख्यात विद्वान समालोचक साहित्यकार।

विशिष्ट अतिथि : डॉ. मैनेजर पांडे; सुविख्यात समालोचक, विद्वान साहित्यकार।

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. श्रीमती नासिरा शर्मा; सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार। 2. सुरेंद्र तिवारी; साहित्यकार। 3. श्री बालस्वरूप राही; सुविख्यात साहित्यकार। 4. सरोजा व्यास; साहित्यकार। 5. श्री विश्वनाथ; कवि एवं हिंदी सेवी।

मीडियाकर्मी सम्मान : 1. श्री पीयूष पांडे; 2. श्रीमती रचना निगम।

18 अक्तूबर, 2013

मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष : पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह शशि; सुविख्यात साहित्यकार।

विशिष्ट अतिथि : डॉ. अर्चना वर्मा; सुविख्यात साहित्यकार, श्री महेशचंद शर्मा; पूर्व मेयर, दिल्ली

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. डॉ. शेरजंग गर्ग; प्रतिष्ठित साहित्यकार। 2. डॉ. शरदा वर्मा; हिंदी सेवी। 3. डॉ. प्रवेश सक्सेना; प्रतिष्ठित साहित्यकार। 4. श्री बालेंदु दाधीच; हिंदी प्रौद्योगिकी-विज्ञ

मीडियाकर्मी : 1. श्रीमती समीना अली; 2. श्री सन्तोष भारतीय।

21 नवंबर, 2014

मुख्य अतिथि : डॉ. केसरी लाल वर्मा; अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग एवं निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय

अध्यक्ष : श्रीमती चंद्रकांता; प्रतिष्ठित साहित्यकार

विशिष्ट अतिथि : प्रो. रामेश्वर राय; एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदू कॉलेज

राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान : 1. डॉ. उमाकांत खुबालकर; विख्यात साहित्यकार। 2. श्रीमती ममता किरण; कवियित्री। 3. श्रीमती सतोष बंसल; कवियित्री। 4. श्री मदन साहनी; लेखक

मीडियाकर्मी : 1. डॉ. कुँवर बेचैन; 2. श्रीमती विमल इस्सर

❑

रेनू नूर

विधि भारती परिषद् की प्रमुख उपलब्धियाँ

प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने सम्मुख घटित होने वाली सभी घटनाओं से प्रभावित होता रहा है। उसे सदा ही अपने आस-पास की समस्याओं और सुविधाओं का आभास होता ही रहता है। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनंदिन में अनेक बातों का आभास करता है जिसमें कुछ बातें सुखप्रद तो कुछ बातें दुखप्रद होती हैं लेकिन जब अभावों के चलते दुखदायिनी घटनाएँ धीरे-धीरे विकराल होने लगती हैं तो एक संवेदनशील व्यक्ति का संवेदनशील हृदय आहत होकर कुछ ऐसा कार्य करने की ओर प्रवृत्त होता है जो समाज में, समाज के सभी वर्गों के हितों हेतु उनको जागरुक बनाने और उनके सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका की संपादक श्रीमती सन्तोष खन्ना जी भी समाज की इन्हीं समस्याओं को देखते-समझते हुए 'महिला विधि भारती' पत्रिका के प्रकाशन हेतु प्रेरित हुईं। लोक सभा में कार्यरत रहते हुए उन्होंने 'विधि भारती परिषद्' की नींव रखी जिसका मूल उद्देश्य देश की महिलाओं और दलित वर्गों को उनके अधिकारों से अवगत कराकर उन्हें सशक्त करना और समाज में क़ानूनी जागृति लाने का प्रयास करना था। यह कार्य हिंदी-भाषा में किया जाना ज़्यादा प्रभावकारी था क्योंकि अंग्रेज़ी में लिखे क़ानूनों से अधिकांश लोग अनभिज्ञ ही रह जाते हैं अतः इस पत्रिका की भाषा मूलतः हिंदी ही रखी गई। काफ़ी शोधात्मक प्रयासों के बाद इसके संविधान और उद्देश्यों का निर्माण किया गया। तत्कालीन सत्र न्यायाधीश श्री प्रेम कुमार के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् उनके अमूल्य सुझावों के संदर्भ में उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

विधि भारती परिषद् की अध्यक्ष के रूप में डॉ. सरोजनी महिषी को चुना गया जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की केबीनेट में विधि मंत्री रही थी और जिन्हें बाद में हिंदी सेवाओं के लिए 'हिंदी रत्न' से भी सम्मानित किया गया था। उन्हीं के नाम पर स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया में 'विधि भारती परिषद्' का एक बचत खाता खोला गया और उन्हीं दिनों अर्थात् 1993 के दिसंबर में संस्था के पंजीकरण की कार्यवाही पूरी की गई।

इस त्रैमासिक पत्रिका का पहला प्रवेशांक अक्तूबर-दिसंबर, 1994 था जिसका लोकार्पण 14 नवंबर, 1994 को नई दिल्ली में विट्ठल भाई पटेल हाउस, कांस्टीट्यूशन क्लब में किया गया। इस प्रवेशांक के लोकार्पण कार्यक्रम मे विशिष्ट अतिथि तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज बने। इस लोकार्पण पर संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप, प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री यशपाल जैन, परिषद् की अध्यक्षा डॉ. सरोजनी महिषी, डॉ. गार्गी गुप्त और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री प्रेम कुमार माटिया उपस्थित थे और कार्यक्रम का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन रीडर एवं साहित्यकार डॉ. विमलेश कांति वर्मा ने किया था। इस लोकार्पण के अवसर पर 'विधि भारती परिषद्' की संस्थापिका-सचिव एवं महिला विधि भारती पत्रिका की संस्थापक-संपादक सन्तोष खन्ना ने कहा कि ''क़ानून केवल क़ानूनविदों के सरोकार का विषय नहीं है बल्कि उसे आम आदमी तक पहुँचाना चाहिए।''

विधि भारती परिषद् न केवल त्रैमासिक पत्रिका 'महिला विधि भारती' का निरंतर प्रकाशन करती है बल्कि

यह समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सेमिनारों का आयोजन भी करती है। '''विधि भारती परिषद्' ने सर्वप्रथम 1996 को जून में 'महिलाए और पर्यावरण' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस के कांस्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हाल में किया था जिसका उद्घाटन 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती मोहिनी गिरी ने किया था। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा ने की थी।''

'महिला विधि भारती' का पहला विशेषांक 'महिला सशक्तिकरण विशेषांक' नाम से अंक 12 (जुलाई-सितंबर, 1997) में प्रकाशित किया गया था। इस विशेषांक में मुरैना की संस्था शांति विकास एवं सांस्कृतिक एकता परिषद् के जीवाजी विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास एवं स्थानीय स्वशासन पर एक शोध सेमिनार के चयनित शोध आलेख प्रकाशित किए गए थे और इसमें डॉ. गिरजा व्यास, प्रो. रीटा वर्मा, वीणा वर्मा जैसी कुछ महिला सांसदों के विशेष रूप से लिए गए इस विषय पर साक्षात्कार प्रकाशित किए गए थे।

विधि भारती परिषद ने सर्वोत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना करने वाले, विधि और न्याय के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान दे कर देशवासियों के समक्ष अपने आचरण से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाली भारत की प्रतिष्ठित अनुभूतियों हेतु 'विधि भारती' सम्मान का शुभारंभ भी किया और 16 मार्च, 2001 को 'विधि भारती सम्मान' हेतु नामों का सर्वप्रथम चयन किया गया। 'विधि भारती सम्मान' की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अब इस सम्मान का नाम संशोधित करके 'राष्ट्रीय विधि भारती सम्मान' रखा गया है।

विधि भारती परिषद ने संसदीय हिंदी परिषद के तत्वावधान में 'राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान' वर्ष 2003 में शुरू किया। इस संबंध में 12 सितंबर, 2003 को जिस संगोष्ठी का आयोजन किया गया उसकी विशेष बात यह थी कि संसदीय हिंदी परिषद् ने विधि भारती परिषद् और परिचय साहित्य परिषद् के साथ मिलकर इसे आयोजित किया था।

विधि भारती परिषद् अपने सतत् प्रयासों से पिछले 25 वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रही है। इसकी त्रैमासिक पत्रिकाएँ यहाँ लोगों को क़ानूनों से परिचित करवाती है, वहीं उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों से भी उनका साक्षात्कार करवाती है। विधि भारती परिषद् द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान ख्याति प्राप्त हैं और यह समाज में अपने अभूतपूर्व कार्यों से अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस करती है। विभिन्न संगोष्ठियों और सेमिनारों में यह पुस्तकों का लोकार्पण करती है और समाज को पठनीय सामग्री उपलब्ध कराती है।

इस पत्रिका के विद्वान लेखकगणों के लेख-आलेख इतने सरल और सुगम्य होते हैं कि एक पाठ से ही लेख और लेखक का भाव स्पष्ट हो जाता है तथा महत्त्वपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाती है। अब इसके 101 अंक प्रकाशित हो चुके हैं तो इस पत्रिका की महत्ता और लोक प्रसार को स्व-सिद्ध कर देता है। इस पत्रिका को इतनी लोकप्रियता प्राप्त कराने का श्रेय इसके सहृदय पाठकगणों को जाता है जिन्होंने इसके महत्व को समझा।

आज पूरे भारत के विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि में इस पत्रिका की पहुँच है और हम तो यह उम्मीद रखते हैं कि यह पत्रिका और अधिक प्रचारित-प्रसारित हो जिससे अधिक-से-अधिक लोग अपने अधिकारों को जाने और कर्त्तव्यों का निर्वहन कर समाज तथा देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाएँ।

राष्ट्रभाषा उत्सव कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होता है। संसदीय हिंदी परिषद् ने विधि भारती परिषद् के साथ मिल कर हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हर वर्ष हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष विषय पर चर्चा के साथ-साथ हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को 'राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान' से सम्मानित किया, लगभग दो दशक के दौरान संसदीय हिंदी परिषद् के साथ मिल कर 'विधि भारती परिषद्' ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपना बहुमूल्य, सार्थक और रचनात्मक योगदान दिया है।

❑

डॉ. प्रवेश सक्सेना

सन्तोष खन्ना : एक बहुआयामी व्यक्तित्व

सन्तोष खन्ना एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। नाम में ज़रूर 'सन्तोष' है पर कर्म क्षेत्र में नहीं, इसीलिए उनका जीवन विविध क्रिया-कलापों की रंग-स्थली तथा अनेक गतिविधियों का क्षेत्र रहा है। उर्दू का शब्द 'हरफनमौला' उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शिक्षा-दिक्षा एवं भाषा ज्ञान, शिक्षा की दृष्टि से देखें तो हिंदी-अंग्रेज़ी में एम.ए. और 'लॉ' के साथ संवैधानिक विधि, संसदीय संस्थागत-व्यवहारगत डिप्लोमा और साथ ही आपने 'प्रबंधन' में भी एक कोर्स किया है।

शिक्षा की इस बहुमुखी पृष्ठभूमि में शिक्षा की इस बहुमुखी पृष्ठभूमि में बहुभाषाविद् होना स्वाभाविक ही था। अतः उन्हें हिंदी-अंग्रेज़ी पर पूर्ण अधिकार के साथ मातृभाषा पंजाबी का भी ज्ञान है।

कर्त्तव्य के क्षेत्र : आप प्रशासन और अध्यापन दोनों में सक्रिय रही हैं। लोक सभा, ऑल इंडिया रेडियो तथा राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रशासनिक पद पर कार्यरत् रहीं। इसके बाद 'जिला उपभोक्ता फोरम' (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में पाँच वर्ष तक न्यायाधीश को महत्वपूर्ण पद पर रहीं और न्याय के क्षेत्र में सेवाएँ और देश की सेवा की।

इतने प्रशासनिक दायित्वों के साथ-साथ अध्यापन करना विलक्षण लगता है। भारतीय अनुवाद परिषद् में 'वाक्सेतु अनुवाद पाठ्यक्रम 1989 में आरंभ किया गया था। सन्तोष खन्ना जी उस पाठ्यक्रम में आरंभ से अध्यापन कर रही हैं और भारतीय अनुवाद परिषद् में आप स्थायी संकाय अध्यापक हैं। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन विश्वविद्यालय में वे लंबे अरसे से काउंसलर हैं और वे मानव अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और अधिकार, श्रमिक क़ानून तथा अनुवाद जैसे विषय भी पढ़ाती हैं। यही नहीं, हिंदी अकादमी में अनुवाद कोर्स तथा इंटरनेशनल रोमा कल्चरल यूनिवर्सिटी एवं रिसर्च फाउंडेशन में सामाजिक कार्य डिप्लोमा के लिए मानव अधिकार की कक्षाएँ भी लेती हैं।

लेखन कार्य, अनुवाद कार्य : इतने प्रशासनिक एवं अध्यापन के दायित्वों के साथ कोई कैसे लेखन के लिए समय निकाल सकता है? पर मूलतः एक रचनात्मक व्यक्ति की सर्जनात्मक ऊर्जा उससे असाधारण अमिट कार्य करवा ही लेती है। यही कारण है, उनका लेखन भी व्यापक रहा है। मौलिक एवं अनूदित रचनाएँ सभी विधाओं में उन्होंने रची हैं। मौलिक लेखन की बात करें तो तीन कविता-संग्रह, उपन्यास 'रोशनी', 'सेतु के आर-पार' (नाटक) सहित तीन नाटक-संग्रह भी प्रकाशित हैं। 'संत जोन' अनूदित (नाटक) है। इसके साथ-साथ 'अनुवाद' तथा 'क़ानून संबंधी' पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं।

हिंदी अंग्रेजी : दोनों ही भाषाओं में कानून संबंधी महत्वपूर्ण लेखन उनकी विशेषता रही है। लेखन के क्षेत्र में मौलिक लेखन के साथ-साथ बहुत से ग्रंथों के अनुवाद तो किए ही हैं। समय-समय पर गोष्ठियों, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में बहुत से शोध-पत्र आपने पढ़े हैं। उनके लेख, कविता, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। अनेक साहित्यक पुस्तकों की समीक्षाएँ भी लिखीं और प्रकाशित की हैं।

संपादन कार्य : उनके द्वारा संपादित ग्रंथों की भी विपुल संख्या विधि भारती परिषद् तथा 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका की संस्थापक सन्तोष खन्ना के कर्म क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1993 में 'विधि भारती परिषद्' की संस्थापना, जिसके महासचिव पद का संभार वे आज तक निरंतर संपन्न कर रही हैं। हाल में इस पत्रिका का 100-101वाँ संविधान विशेषांक प्रकाशित हुआ है। आप प्रारंभ से इसकी प्रधान-संपादक रही हैं। इन दोनों महनीय कार्यों से उनकी प्रसिद्धि देश भर की विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुँची है। उनकी पत्रिका ने देश भर के क़ानूनविदों तथा साहित्यकारों को एक मंच प्रदान किया है।

पुरस्कार एवं सम्मान : 25 से अधिक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित सन्तोष खन्ना ने स्वयं भी कई राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना की है जिसमें से निम्न प्रमुख हैं --

(1) राष्ट्रीय विधि भारती सम्मान
(2) विधि भारती पुस्तक पुरस्कार
(3) राष्ट्र भारती सम्मान

देश भर के कई प्रतिष्ठित विधिवेत्ता तथा साहित्यकार इन पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भी आपने अपने पति के नाम से 'नरेंद्र देवश्री पुरस्कार' शुरू किए हैं।

विधि भारती परिषद् के प्रकाशन : विधि भारती परिषद् के अंतर्गत 35 पुस्तकों के प्रकाशन, संपादन का श्रम-साध्य कार्य भी आपने किया है।

संगोष्ठियों का आयोजन : विधि भारती परिषद् के अनेक सेमिनारों का अयोजन, संचालन और प्रबंधन का भी आपने दायित्व बखूबी निभाया है। पिछले लगभग दो दशकों से भारत की संसद के केंद्रीय कक्ष में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी/राष्ट्रभाषा गौरव सम्मानों का अत्यंत कुशलतापूर्वक आयोजन आपके संरक्षकत्व में ही किया जाता रहा है। इस प्रकार, देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार में संलग्न श्रीमती सन्तोष खन्ना के राष्ट्रभाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजन से हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान को और वैविध्य प्रदान किया है।

रेडियो, दूरदर्शन पर प्रस्तुतियाँ : एक रचनात्मक व्यक्ति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। वह उसके विभिन्न कार्यकलापों में अनंत रूप से व्यक्त होती है। रेडियो-टेलीविज़न में भेंटवार्ताओं एवं साक्षात्कार के साथ कई नाटकों में अभिनय भी आपने किया है।

मृदुल, प्रसन्न व्यक्तित्व : एक बहुरंगी व्यक्ति हो और कहीं-न-कहीं मानसिक दबाव या तनाब से न गुजरे, यह प्रायः संभव नहीं होता। सन्तोष खन्ना को मैंने पिछले दस वर्षों के अपने परिचयकाल में कभी तनावों या चिंताओं से घिरा नहीं देखा। सदैव उनके मुख पर सरल मृदु मुस्कान ही विराजित देखी है। भाव यह है कि वे अत्यंत स्निग्ध हैं, मानवीय गुणों से युक्त हैं। उनके सभी परिचितजन मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि वे एक बहुत अच्छी अतिथेय भी हैं। उनके घर कभी चले जाएँ, अपने हाथों से जल देना, चाय बनाकर पिलाना, यहाँ तक कि भोजन भी प्रेमपूर्वक करवाती हैं।

मैं सन्तोष खन्ना का अभिनंदन करती हूँ। जीवन के नवम दशक में चल रहीं सन्तोष खन्ना आज भी अपने कार्यों को लेकर गंभीर हैं, प्रतिबद्ध हैं तथा उत्साहपूर्वक अपनी योजनाओं को पूर्ण करने में लगी हैं। उनके जीवन का मूल मंत्र है कर्मठता, साकार सोच और कुछ नया रचनात्मक कर गुजरने की ललक जो उन्हें विविध मोर्चों पर अग्रसरित करने के लिए उन्हें अदम्य साहस और ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी सकारात्मक सोच, उनकी रचनात्मक ऊर्जा हम सभी को प्रेरित करती रहती है। आप शतायु हों और निरंतर स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।

❑

सन्तोष बंसल

मील का पत्थर

विधि भारती परिषद् की स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर यानी 'रजत जयंती' के उपलक्ष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ और इस संस्था की सफलता और उपलब्धियों की इतनी लंबी यात्रा के लिए इसके संयोजकों और सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई!

वैसे जब हम किसी व्यक्ति या संस्था के अनवरत प्रयास का लेखा-जोखा करते हैं तो सबसे पहले उसके उद्देश्यों की ओर दृष्टि जाती है। वह समूह उन उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल हुआ है? उसके आकलन पर ही उसका महत्त्व और योगदान सिद्ध होता है। इस प्रयास में इस संस्था की संस्थापिका पूर्ण रूप से सफल रही हैं और पूर्ण निष्ठा और समर्पण से इस साहित्य कर्मकुंड में लगातार लगी हुई है। निरंतर प्रज्वलित इस यज्ञ की लौ में वह प्रत्येक स्तर पर आहुति प्रदान कर रही हैं और उम्मीद है कि साहित्य जगत में यह ज्योति सदैव जलती रहेगी। यह संस्था देश के नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और अन्य कमज़ोर वर्गों में उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने और चेतना फैलाने का कार्य करती है। इसकी संस्थापक महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक उत्थान एवं सशक्तिकरण की दिशा में विशेष रूप से प्रयासरत हैं। इसके साथ वे बाल-श्रम और संरक्षण तथा कमज़ोर वर्ग से संबंधित नए क़ानूनों के लिए सुझाव एवं सामाजिक न्याय और क़ानून में सुधार लाने के लिए भी संकल्पित हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सेमिनारों का आयोजन किया जाता रहा है, जिनमें इनसे संबंधित मुद्दे और पहलुओं पर विद्वानों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और उन पर विमर्श किया जाता है। इन्हीं कार्यक्रमों में जीवन में सर्वोत्कृष्ठ मानव मूल्यों की स्थापना के लिए प्रतिष्ठित विभूतियों को 'विधि भारती सम्मान' प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विधि और न्याय साहित्य के मौलिक ग्रंथों को भी 'विधि भारती राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार' से पुरस्कृत किया जाता है।

इन सबके अतिरिक्त संविधान और क़ानून विषयक साहित्य का प्रचार-प्रसार करने हेतु 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन नियमित किया जाता रहा है, जिसमें वैधानिक और साहित्यिक लेखों को प्रकाशित किया जाता है, फिर चाहे वह न्यायपालिका द्वारा पारित कोई निर्णय हो या कार्यपालिका द्वारा पास किया गया कोई नया क़ानून। इस पत्रिका के माध्यम से 'महिला सुरक्षा का प्रश्न एवं क़ानून' और 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017' इत्यादि तत्कालीन मुद्दों पर लेख निकले हैं। जैसे जुलाई-सितंबर 2018 के अंक में 'धारा 497 हटाने का अर्थ' विषय पर रचनाकारों की लिखित राय माँगी गई, तो मैं भी इस विषय पर लिखने को प्रेरित हुई। इसके अतिरिक्त चाहे वह समलैंगिकता और सेरोगेसी जैसा जटिल मुद्दा हो या फिर बाल यौन शोषण तथा लैंगिक उत्पीड़न का ज्वलंत मसला? इस पत्रिका में सभी सामाजिक समस्याओं के पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ है। नए वर्ष में प्रकाशित पत्रिका का सौवाँ अंक 'संविधान विशेषांक' इस साहित्यिक यात्रा का 'मील का पत्थर' है। इस पत्रिका

के माध्यम से न केवल विधि या क़ानूनों से संबंधित जानकारी मिलती है बल्कि इनसे संबंधित रचनात्मक एवं सर्जनात्मक साहित्य की सभी विधाओं को भी अहमियत देते हुए प्रकाशित किया जाता है। इन रचनाओं में जहाँ आधुनिक या समसामयिक संदर्भ जुड़े होते हैं, वहीं नए क़ानूनों की जाँच-पड़ताल के साथ पुराने क़ानूनों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता भी जाँची जाती है। वक्त के बदलाव के साथ जिंदगी में 'सोशल मीडिया' की पैठ और 'इंटरनेट' की ज़रूरत और सुरक्षा को भी क़ानून और नियमों के दायरे में देखा-परखा गया है।

यधपि यह पत्रिका द्विभाषिक है, किंतु विधि साहित्य का अंग्रेज़ी से ज़्यादा हिंदी भाषा में महत्त्वपूर्ण अवदान है, क्योंकि हिंदी भाषा में क़ानून अथवा 'लॉ' जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर बहुत कम पत्रिकाएँ हैं। विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी और अंग्रेज़ी) पत्रिका होते हुए भी 'विधि भारती' पत्रिका को हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि विधि या क़ानून के क्षेत्र में हिंदी भाषा की इस पत्रिका ने हिंदी भाषियों को नित नई जानकारियाँ उपलब्ध कराई और उन लोगो को समसामयिक सरोकारों से अवगत कराते हुए उनकी विधिवत् जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त, विधि भारती परिषद् द्वारा हिंदी-इंग्लिश के रचनाकारों की बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें उपन्यास, कहानी, नाटक और कविता-संग्रह के साथ उपभोक्ता एवं पर्यावरण संरक्षण क़ानून तथा संविधान और मानवाधिकारों से संबंधित किताबें भी शामिल हैं। यह संस्था हिंदी दिवस पर पिछले कई वर्षों से अन्य संस्थाओं के सहयोग से संसद भवन में 'राष्ट्र भाषा उत्सव' कार्यक्रम आयोजित करती रही है, जिसमें हिंदी रचनाकारों को 'राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान' प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में विधि और साहित्य क्षेत्र के विद्वानों को आमंत्रित करके सम्मान के साथ उनके विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिलवाएँ जाते हैं तथा विशिष्ट क्षेत्र में उनके योगदान का उल्लेख भी किया जाता है जिसके लिए संस्था ने समान उद्देश्यों एवं विचारधाराओं वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से परस्पर तालमेल तथा सहयोग बनाए रखा है। वास्तव में उपरोक्त सब कार्यक्रमों का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक विधि में सुधार लाने की दृष्टि से अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिसके लिए अंततः एक बार फिर इस संस्था को साधुवाद देना चाहूँगी।

❑

आपके विचार

डॉ. बिभा त्रिपाठी

मैडम प्रणाम

आज अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको हृदय से आभार।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रधान संपादक डॉक्टर सन्तोष खन्ना एवं संपादक डॉ. उषा देव के दिशा-निर्देशन में प्रकाशित विधि चेतना की द्विभाषिक त्रैमासिक पत्रिका महिला विधि भारती ने अपने प्रकाशन के 101 संस्करण पूरे कर लिए हैं। जैसा कि इस पत्रिका के नाम से स्पष्ट होता है कि यह पत्रिका भारतीय जनमानस के मन में विधिक चेतना को जागृत करने का एक महती उद्देश्य पूरा करती है। वर्तमान में यह पत्रिका केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकाशित हो रही है और इसमें पूरे भारतवर्ष के विधिक जगत के जाने-माने लोगों के लेख लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। विधि भारती परिषद् विधि के ज्ञान को हिंदी भाषा के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका लाभ न सिर्फ विधि के विद्यार्थियों को मिलता है वरन् नवीनतम विधिक मुद्दों पर समाज भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाता है और विधिक ज्ञान से स्वयं को समृद्ध कर पाता है।

अपने विचार व्यक्त करते समय मैं डॉक्टर सन्तोष खन्ना जी के व्यक्तित्व के बारे में दो लाइन अवश्य लिखना चाहूँगी और यह मेरा उनके प्रति नितांत निजी अनुभव आश्रित मत होगा क्योंकि जबसे मेरा उनसे परिचय हुआ उन्होंने लगातार मुझे लिखते रहने को प्रेरित किया। न सिर्फ लेख वरन् लेखों को संग्रहित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की उनकी प्रेरणा के फलस्वरुप आज मैं अपनी दो अन्य किताबों का प्रकाशन करवा चुकी हूँ। स्पष्ट है कि ऐसी ही प्रेरणा वह अपने से जुड़े सभी लोगों को देती रहती है और जीवन की क्षणभंगुरता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का उनका यह निवेदन कोई भी अस्वीकार नहीं कर पाता। विधि भारती परिषद की स्थापना कर आपने न सिर्फ अपने नाम को एक अमिट छाप दिलाई वरन् पत्रिका के स्थाई और सुनिश्चित भविष्य को भी रेखांकित किया है आपके इस प्रयास के लिए हम सब हृदय से आभारी हैं और यह शुभकामना देते हैं कि आप यूँ ही अनवरत् पत्रिका का प्रकाशन करती रहे और लोगों को जीवन में यादगार योगदान देने के लिए प्रेरित करती रहे।

प्रोफेसर बिभा त्रिपाठी

विधि संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

e-mail id : bibhamanojtripathi@rediffmail.com, bibha.tripathi@bhu.ac.in

Mobile : 9451587252, 8004929733, 6392388508

माँ भारती को प्रतिबिंबित करता और वहाँ की विधि को अपने में समेटे विधि भारती जर्नल जिस तरह से भारतीय परंपरा और संस्कृति की धूरी महिला के जीवन को सही अर्थों में सभी के सामने लाने के लिए पिछले 25 वर्षों से

जिस तरह शोध पत्रों और कहानी, कविता, लेख के माध्यम से एक सार्थक प्रयास सुश्री डॉ. सन्तोष खन्ना जी के बौद्धिक ज्ञान के प्रकाश में कर रहा है वो आने वाले समय में महिला के लिए एक ज्योति पुँज की तरह स्थापित होगा। आज जब विधि भारती परिषद् 'सिल्वर जुबली' वर्ष को मना रहा है तो यह निश्चित है कि पिछले 25 वर्षों में अपने 100 अंकों के साथ यह शोध जर्नल अपने उद्देश्य और प्रासंगिकता में पूर्णतया सफल रहा है और इसको कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बौद्धिक विमर्श वाले लोगों के बीच एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो चुका है जिसमें आने वाले समय में निरंतर वृद्धि होती रहेगी और आने वाले समय में महिला के प्रति चेतना को जागृत करने वाला यह जर्नल शैक्षिक जगत का प्रकाश पुँज बन कर बौद्धिक संपदा को ज़्यादा आलोकित करेगा।

डॉ. आलोक चांटिया
अध्यक्ष अखिल भारतीय अधिकार संगठन
एन.डी.एफ. लखनऊ
e-mail : alokchantia@gmail.com

मैं आभारी हूँ कि मुझे आपके संपादन में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'महिला विधि भारती' का जुलाई-दिसंबर, 2017 का 'चुनाव संयुक्तांक' प्राप्त हुआ। मैं इस अंक की प्रशंसा इसलिए मुक्त कंठ से करना चाहता हूँ कि आपने संभवतः पत्रकारिता के इतिहास में 'पहली बार' ऐसा सार्थक प्रयास किया है। चुनाव लोकतंत्र का आधार है, इसलिए चुनावों के विषय में अधिकाधिक लोगों को जागरुक किया जाना मेरी दृष्टि में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूजा है।

आपने दो खंडों में चुनाव से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियों से युक्त आलेख प्रकाशित किए। प्रथम खंड में 'चुनाव' से संबंधित सुंदर आलेख बहुत लाभदायक और ज्ञानवर्धक हैं! संविधान के प्रकांड वेत्ता डॉ. सुभाष कश्यप का आलेख 'निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक दल', डॉ. दिनेश बाबू गौतम का आलेख 'भारतीय चुनाव प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन' (ईवीएम के विशेष संदर्भ में) और डॉ. सन्तोष खन्ना का आलेख 'भारत का चुनाव आयोग' सचमुच बेजोड़ और प्रामाणिक जानकारियों से परिपूर्ण हैं!

दूसरे खंड की उपयोगिता तो निस्संदेह बहुत अधिक कही जा सकती है, क्योंकि आपने भारत की आत्मा 'हिंदी' को संभवतः प्रथम बार 'चुनाव' संबंधी विमर्श का विषय बनाया है! मेरा आलेख 'लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करती हिंदी' आपने पत्रिका में सम्मिलित किया, इसे मैं हिंदी का सम्मान मानता हूँ! डॉ. शिखा कौशिक, सुनील भूटानी, संतोष बंसल और डॉ. उमाकांत खुबालकर के आलेख तो यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत की 'राष्ट्रभाषा' केवल हिंदी ही है! मैं आपको बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि चारों ओर अंग्रेज़ी के वातावरण में आपने भारत की आत्मा 'हिंदी' की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि की है!

डॉ. योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरुण', डी.लिट.
पूर्व प्राचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
74/3, न्यू नेहरू नगर, रूड़की-247667

❑

यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आपकी प्रतिष्ठित त्रैमासिक पत्रिका 'महिला विधि भारती' के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार विधि संबंधी सामग्री को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने वाली केवल यही एक पत्रिका है। इस पर हम सबको गर्व है। वास्तव में लोकतंत्र में हर नागरिक की स्वाधीनता इसी बात पर निर्भर है कि उसे न्याय अपनी भाषा में ही मिले। भारत बहुभाषी देश है लेकिन इसमें सबसे

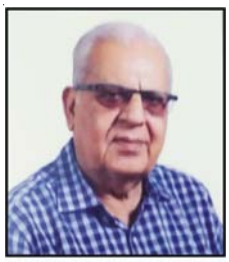

प्रो. के.के. गोस्वामी

अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है जिसे भारत के संविधान में राजभाषा के पद पर गौरवान्वित किया गया है। देवनागरी लिपि में यह भाषा अब राष्ट्रभाषा के पद को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। लेकिन विडंबना यह है कि अभी भी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की समूची कार्यवाही अंग्रेज़ी में करने की व्यवस्था है। लेकिन भारतीय जनता अधिनियमों आदि के अनूदित पाठ को प्राधिकृत पाठ के स्थान पर मूल पाठ के रूप में प्राप्त करना चाहती है। उसकी आकांक्षा न्यायालयों में अंग्रेज़ी की अपेक्षा अपनी भाषा हिंदी में ही निर्णय पाने की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'महिला विधि भारती' निष्ठापूर्वक प्रयासरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके संपादकत्व में पत्रिका का यह भागीरथ प्रयास अवश्य ही सफल होगा। मुझे इस प्रतिष्ठित पत्रिका की प्रगति, उन्नति, संवर्धन और सफलता के लिए शुभ कामनाएँ देते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि 'महिला विधि भारती' दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र करे।

प्रो. (डॉ.) कृष्ण कुमार गोस्वामी
1764, औट्रम लाइन्स, डॉ. मुखर्जी नगर , (किंग्ज़्वे केंप), दिल्ली-110009
फोन : 011-45651396, **मोबाइल :** 0-9971553740
e-mail : kkgoswami1942@gmail.com

डॉ. निलिमा सिंह

विधि भारती परिषद् की स्थापना तथा महिला विधि भारती के प्रकाशन के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। महिला विधि भारती मेरा ज्ञानवर्धन एवं सूचना बढ़ोत्तरी का कार्य एक दशक से अधिक समय से कर रही है। यह शोध पत्रिका वास्तव में एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रतिष्ठित विद्वानों, साहित्यकारों एवं रचनाकारों की लेखनी से लाभान्वित होने का अवसर मिला। विविध क़ानूनों की सरल व्याख्या एवं विश्लेषण सहित विविध राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं के संबंध में सारगर्भित लेख 'महिला विधि भारती' पत्रिका की पूँजी है। इसके विविध गुणवत्तायुक्त विशेषांक सामान्य पाठक से लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं के लिए लाभप्रद है। आज के युग में अति न्यूनतम सदस्यता शुल्क में न केवल अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति वरन् प्रकाशन तथा सदस्यों तक पहुँच की निरंतरता इसे प्रशंसनीय बनाती है। 'महिला विधि भारती' की संपादिका डॉ. सन्तोष खन्ना मैडम का ज्ञान, अनुभव तथा कठोर परिश्रम पत्रिका के विविध अंकों में परिलक्षित होता है। पत्रिका के प्रकाशित अंकों की शतकीय उपलब्धि का श्रेय भी आपको जाता है। महिला विधि भारती के 100-101वें अंक के प्रकाशन की शुभकामनाएँ तथा कामना करती हूँ कि पत्रिका का प्रकाशन अनेक शतक पूरे करे तथा नित नई ऊँचाइयों को प्राप्त करे।

डॉ. नीलिमा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग
राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय
(संघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय), मालवीय नगर, प्रयागराज
e-mail : Dr. Neelima Singh <neelimasingh-96@gmail.com

डॉ. ममता चौरसिया

'महिला विधि भारती' पत्रिका आदरणीय श्रीमती सन्तोष खन्ना जी द्वारा साधना-स्वरूप अनवरत् कई वर्षों से महिलाओं और देश के अन्य वर्गों के उत्कर्ष के बहाने समाजोत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। आज जिस तरह से पूरे समाज में महिलाओं के प्रति हिंसक रवैया आए दिन देखने को मिल रहा है, ऐसे में 'महिला विधि भारती' पत्रिका महिलाओं को उनके अपने क़ानूनी अधिकारों का पाठ पढ़ाती ही नहीं, बल्कि उन्हें सतर्क भी करती है। चुनौतियों से दो-दो हाथ करने की दिशा में यह पत्रिका उन्हें शक्ति-साधन संपन्न बनाती रही है। इसके साथ ही समय-समय पर विशेषांकों द्वारा महिलाओं की पूर्व स्थिति, उनकी जिजीविषा की अदम्य लालसा का मूल्यांकन भी करती रही है। इसके लिए श्रीमती सन्तोष खन्ना जी को हार्दिक बधाई।

डॉ. ममता चौरसिया
(सहायक प्राध्यापक) हिंदी विभाग, कालिंदी कॉलेज,
पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली
e-mail : mamatagyanoo@gmail.com

विधि भारती परिषद् द्वारा प्रकाशित 'महिला विधि भारती' शोध पत्रिका एक उच्च स्तरीय शोध पत्रिका है जो महिलाओं को समर्पित है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है। महिला विधि भारती निरंतर 25 वर्षों से सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक करती आ रही है।

महिला विधि भारती 'साहित्य समाज का दर्पण है' इस उक्ति को पूर्ण रूप से चरितार्थ करती हुई निरंतर सामाजिक समस्याओं पर विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है। महिला विधि भारती सरल एवं सहज ही शोध के माध्यम से सामाजिक चेतना एवं दायित्व बोध को निरंतर जाग्रत करती रही है एवं पठन-पाठन के पथ को आलोकित कर रही है।

मुझे अपने विचार साझा करने, साहित्य और शोध के क्षेत्र में निरंतर एक दीप-ज्योति के समान पथ आलोकित करने हेतु कोटिशः साधुवाद।

दिनांक : 13/04/2020

– डॉ. निशा केवलिया शर्मा
विभागाध्यक्ष, विधि अध्ययन एवं अध्यापन संस्थान
सेज विश्वविद्यालय इंदौर (मध्य प्रदेश)

डॉ. अनुपमा यादव

महिला विधि भारती के प्रकाशन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आपको बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएँ। इस पत्रिका की आजीवन सदस्य होने के नाते नियमित लेखन के माध्यम से मैं लंबे समय से इस पत्रिका से जुड़ी रही हूँ। आपकी यह शोध पत्रिका समसामयिक विषयों के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी देने में न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी एवं लाभप्रद रही है। आपके द्वारा समय-समय पर जो विशेषांक निकाले गए वे महत्त्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित जानकारी एक साथ देने में काफ़ी सहायक रहे हैं।

इस पत्रिका के प्रति आत्मिक लगाव होने के कारण मेरा एक सुझाव यह है कि यू.

जी.सी. की मान्यता प्राप्त शोध पत्रिकाओं में इसे सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए जिससे कि इस पत्रिका का भविष्य उज्जवल हो सके। रजत जयंती के शुभ अवसर पर एक बार पुनः आपको और आपकी पूरी संपादकीय टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ।

डॉ अनुपमा यादव
प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल,
भोपाल (मध्य प्रदेश)

डॉ. शकुंतला कालरा

शुभ कामनाएँ विधि-भारती परिषद् संस्थापना और इसकी त्रैमासिक पत्रिका 'महिला विधि-भारती' के प्रकाशन के 25 वर्ष पूरे होने पर इसकी यशस्विनी संपादिका को बहुत-बहुत बधाई। संविधान और विभिन्न प्रकार के कानूनों के विविध पक्षों की गहन जानकारी प्रदान करती हुई यह पत्रिका पाठकों को साहित्य की विविध विधाओं के अलौकिक आस्वाद से भी तृप्त करती है। विधि के साथ साहित्य को समन्वित कर इसे जो एक सुंदर प्रारूप दिया है वह निश्चय ही संपादन-कौशल का परिचायक है। इसके लिए यह पत्रिका न केवल पठनीय रही है वरन् संग्रहणीय भी बन गई है। विधि-भारती परिषद् और 'महिला विधि-भारती' के सुंदर और उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना के साथ!

डॉ. शकुंतला कालरा
एसोसिएट प्रोफेसर, मैत्रेयी कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
संपर्क : एन.डी.-57, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
मोबाइल : 9958455392, 9625999798

महिला विधि भारती त्रैमासिक पत्रिका के प्रमुख सौ लेखक

1. डॉ. सुभाष कश्यप, लोक सभा के पूर्व महासचिव एवं प्रतिष्ठित संविधान विशेषज्ञ
2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व गृह मंत्री एवं उप-प्रधान मंत्री, भारत सरकार
3. प्रो. देवदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डी.ए.वी. पी. जी. कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. भगवान दास, प्राचार्य, शासकीय स्वशासी उत्कृष्ठता कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
5. प्रो. महेंद्र पाल सिंह, प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. डॉ. मीनाक्षी स्वामी, प्रोफेसर, माता जीजाबाई शासकीय पी.जी. कॉलेज, इंदौर
7. श्री यशपाल जैन, प्रतिष्ठित साहित्यकार, दिल्ली
8. डॉ (श्रीमती) राजेश जैन, प्रोफेसर एवं विशेष कार्य अधिकारी, उच्च शिक्षा संभाग, सागर
9. डॉ. अशोक कुमार अवस्थी, डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय
10. डॉ. राजेश कुमार सिंह, डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय
11. डॉ. एस.एस. दास, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर जूरिडिकल स्टडीज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम
12. श्री अरविंद जैन, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय
13. सुश्री शालिनी कौशिक, अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश
14. प्रो. (डॉ.) कृष्ण कुमार गोस्वामी, पूर्व प्रोफेसर एवं क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान
15. प्रो. आर.बी. दूबे, प्रोफेसर, बाबा साहब अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ
16. प्रो. (डॉ.) पूरनचंद टंडन, प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
17. डॉ. नीता बोरा, प्रोफेसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
18. डॉ. समीक्षा गोधरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा
19. डॉ. गिरिजा व्यास, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार
20. डॉ. रीटा वर्मा, तत्कालीन संसद सदस्य, लोक सभा
21. डॉ. वीणा वर्मा, तत्कालीन संसद सदस्य, लोक सभा
22. प्रो. जवाहरलाल कौल, प्रो. विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
23. डॉ. उषा टंडन, प्रभारी, विधि संकाय केंद्र-1, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
24. डॉ. प्रतिभा चौधरी, आई.पी.ए. इंदौर
25. प्रो. एम.पी. मोदी, शासकीय पी.जी. कॉलेज, मुरैना
26. प्रो. डी.के. सिंह, प्राचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर
27. श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, संपादक, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली
28. डॉ. हरीश कुमार सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
29. डॉ. लोतिका सरकार, प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

30. डॉ. मीना पथनी, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा
31. डॉ. कला मुनेत, प्रिंसिपल, विधि विभाग, श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर
32. श्री राम शर्मा, उप-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
33. डॉ. सुदर्शन वर्मा, डीन एवं विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
34. डॉ. (श्रीमती) शिल्पा सेठ, असिस्टेंट प्रोफेसर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
35. डॉ. शकुंतला कालरा, एसोसिएट प्रोफेसर, मैत्रेयी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
36. डॉ. चंदन बाला, डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
37. डॉ. शोभा सक्सेना, विधि विभाग, लोक सिटी विश्वविद्यालय, भोपाल
38. डॉ. सूरत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
39. डॉ. के.एस. भट्टी, रजिस्ट्रार, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट एवं अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
40. श्री जी.आर. गुप्ता, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली
41. डॉ. के.पी.एस. महलवार, चेयर प्रो. प्रोफेशनल एथेक्सि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
42. श्री पी.एम. बक्शी, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
43. डॉ. कंवलजीत सिंह, डीन ऑफ लीगल स्टडीज, हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला
44. न्यायाधीश जे.एस. वर्मा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
45. डॉ. ओम प्रकाश केजरीवाल, सदस्य, केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं प्रकाशन विभाग के पूर्व महानिदेशक
46. श्री वी.पी. कालरा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, साउथ दिल्ली
47. डॉ. सोनिया शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
48. डॉ. विजयश्री बौद्धा, विधि विभाग, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
49. श्री. पवन चौधरी, अधिवक्ता, दिल्ली, उच्चतम न्यायालय
50. प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना, विभागाध्यक्ष, मानव अधिकार विभाग, बाबा साहेब अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
51. न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
52. न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
53. न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी, भारत के मुख्य न्यायाधीश
54. डॉ. ताहिर महमूद, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
55. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
56. न्यायमूर्ति पी.एस. सफीर, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
57. श्रीमती गीता मुखर्जी, संसद सदस्य, लोक सभा
58. प्रिया हिंगोरानी, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय
59. श्रीमती सन्तोष खन्ना, संसदीय अधिकारी एवं सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
60. डॉ. बलदेव वंशी, प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार
61. डॉ. पुष्पलता तनेजा, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार
62. डॉ. श्याम सिंह शशि, प्रकाशन विभाग के महानिदेशक एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार
63. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति
64. डॉ. उषा देव, एसोसिएट प्रोफेसर, माता सुंदरी कॉलेज एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
65. डॉ. तसलीमा नसरीन, साहित्यकार
66. डॉ. अर्चना त्रिपाठी, संपादक, भाषा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय
67. श्री सुभाष सेतिया, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार

68. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री
69. डॉ. उर्मिल वत्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
70. डॉ. निरूपमा अशोक, प्रिंसिपल, भगवानदास आर्य कन्या विश्वविद्यालय, पी.जी. कॉलेजख लखीमपुर, खीरा, उत्तर प्रदेश
71. प्रो. बिभा त्रिपाठी, विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
72. डॉ. रिंकू गंगवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ कॉलेज
73. डॉ. रमा देवी, पूर्व राज्यपाल, कर्नाटक राज्य
74. डॉ. विनोद कुमार बागोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
75. डॉ. कविता ढुल्ल, प्रोफेसर, विधि संकाय, महऋषि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
76. देवनारायण मीणा, रिसर्च स्कोलर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
77. संतोष बंसल, प्रसिद्ध लेखिका
78. सत्यम चौरसिया, अधिवक्ता, भोपाल
79. डॉ. वेद प्रकाश, संकाय सदस्य, दिल्ली
80. डॉ. जयश्री जायसवाल, विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
81. डॉ. अंजली दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ कॉलेज, उत्तर प्रदेश
82. डॉ. निशा दुबे, पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
83. डॉ. मुकेश कुमार मालवीय, विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस
84. डॉ. अनुपमा पंडित, विधि संकाय, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
85. डॉ. अंजू खन्ना, प्रोफेसर, विधि संकाय, महाऋषि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
86. डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
87. प्रो. वृंद सेन गुप्ता, प्रोफेसर, शासकीय टी.सी.एल. पी.जी. कॉलेज, समाजशास्त्र, छत्तीसगढ़
88. डॉ. निशा केवलिया, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, सेज विश्वविद्यालय, इंदौर
89. डॉ. सूफिया अहमद, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
90. डॉ. बी.पी. ओझा, प्रोफेसर, कानपुर लॉ कॉलेज, कानपुर
91. प्रो. (डॉ.) जे.पी. यादव, प्रिंसिपल, डाइरेक्टर, यू.आई. एल.एस. चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
92. प्रो. सिद्धनाथ, डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
93. डॉ. प्रवेश सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
94. डॉ. दिविक रमेश, प्रिंसिपल, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
95. डॉ. राजेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ, कानपुर
96. डॉ. प्रमोद मलिक, सहायक प्रोफेसर, वी.पी.एस. वुमैन यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा
97. डॉ. नीलिमा सिंह, राजऋषि टंडन महाविद्यालय, इलाहाबाद
98. डॉ. कालिंदी, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय
99. डॉ. शीतल प्रसाद मीना, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
100. डॉ. फरहत खान, प्राचार्य, रेनेसां विधि महाविद्यालय, इंदौर

❑

विधि भारती परिषद् के 25 वर्ष की यात्रा में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रमुख सौ अतिथिगण

1. माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी, लोक सभा स्पीकर, लोक सभा
2. माननीय डॉ. महेश शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार
3. पद्म विभूषण न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार
4. पद्म विभूषण न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
5. पद्म विभूषण न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
6. पद्मभूषण डॉ. सुभाष कश्यप, लोक सभा के पूर्व महासचिव, लोक सभा
7. न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
8. पद्म विभूषण माननीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी, पूर्व राज्यपाल, कर्नाटक राज्य
9. डॉ. वी.एस. रमादेवी, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त एवं पूर्व राज्यपाल, कर्नाटक राज्य
10. पद्म भूषण श्री लक्ष्मीमल सिंघवी, सांसद एवं यू. के. के पूर्व उच्चायुक्त
11. न्यायमूर्ति अरविंद सावंत, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
12. डॉ. सरोजनी महिषी, पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री, भारत सरकार
13. डॉ. साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के मुख्य मंत्री, दिल्ली
14. श्रीमती मोहिनी गिरी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
15. न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
16. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के सदस्य
17. न्यायमूर्ति श्री पी.वी. जीवन रेड्डी, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
18. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, दिल्ली उपभोक्ता आयोग, दिल्ली राज्य
19. प्रो. लोतिका सरकार, प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
20. प्रो. उषा टंडन, केंद्र प्रभारी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
21. न्यायमूर्ति श्री शिवराज पाटिल, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
22. डॉ. पूनम प्रधान सक्सेना, प्रोफेसर, लॉ सेंटर-II, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं तत्पश्चात् वी.सी., नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, जोधपुर
23. न्यायमूर्ति श्रीमती लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश

24. प्रोफेसर (डॉ.) अवनीश कुमार, अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग एवं निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार
25. पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह शशि, प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं चांसलर, रोमा विश्वविद्यालय
26. प्रो. किरण गुप्ता, विभागाध्यक्ष एवं डीन, विधि केंद्र 2, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
27. न्यायमूर्ति मंजू गोयल, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्चतम न्यायालय
28. डॉ. पूरनचंद टंडन, प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
29. श्री अरविंद जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
30. श्री अजमेर सिंह काजल, प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31. डॉ. रोहिणी अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, महाऋषि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक
32. डॉ. मुक्ता, हिंदी साहित्यकार, आचार्य रामचंद्र शुक्लपीठ, वाराणसी
33. डॉ. हरीश रावत, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं तत्पश्चात् मुख्य मंत्री, उत्तरांचल राज्य
34. डॉ. महीप सिंह, प्रतिष्ठित साहित्यकार
35. श्री विश्वनाथ, राजपाल एंड संस तथा प्रतिष्ठित कवि
36. श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, उप-महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो
37. पद्मश्री दीनानाथ मल्होत्रा, प्रतिष्ठित प्रकाशक एवं लेखक
38. उर्मिल सत्यभूषण, प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं अध्यक्ष, परिचय साहित्य परिषद्, नई दिल्ली
39. डॉ. हरीश कुमार सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
40. श्री वी.पी. कालरा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दक्षिण दिल्ली एवं पूर्व जिला जज, उत्तर प्रदेश
41. डॉ. कुमुद शर्मा, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
42. श्री राजकुमार सैनी, निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार
43. डॉ. शकुंतला कालरा, पूर्व रीडर, मैत्रेयी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, एवं प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार
44. डॉ. उषा देव, पूर्व रीडर, माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार
45. डॉ. दिविक रमेश, प्रिंसिपल, मोती लाल नेहरू कॉलेज
46. डॉ. गिरिश गांधी, कंद्रीय सूचना आयुक्त, दिल्ली
47. श्री चंद्र शेखर आश्री, अधिवक्ता एवं साहित्यकार
48. श्री अशोक खन्ना, संस्थापक निदेशक, भारत-एशियाई साहित्य अकादमी
49. श्रीमती सत्या बहिन, पूर्व संसद सदस्य
50. डॉ. सूरत सिंह, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
51. श्री जैमिनी कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली
52. डॉ. राजेश जैन, प्रोफेसर, सागर जिला, मध्य प्रदेश
53. डॉ. प्रेमलता, सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली
54. श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, संपादक, विधि मंत्रालय, भारत सरकार
55. डॉ. हरस्वरूप, उप-राज्यपाल, पांडेचेरी
56. डॉ. प्रवेश सक्सेना, पूर्व प्रोफेसर, जाकिर हुसैन कॉलेज, नई दिल्ली
57. डॉ. पुष्पलता तनेजा, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय
58. श्रीमती देवलीना केजरीवाल, लेखिका
59. श्रीमती मंजू चौधरी, उप-सचिव, लोक सभा सचिवालय
60. श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, निदेशक, लोक सभा सचिवालय
61. डॉ. सुधेश, विभागाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
62. डॉ. सुभाष सेतिया, उप-सचिव, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
63. डॉ. के.एस. भट्टी, पूर्व रजिस्ट्रार, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट

64. श्री प्रेम कुमार, जज, दिल्ली
65. डॉ. राजाराम यादव, राजभाषा अधिकारी, दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन
66. डॉ. रेखा व्यास, दिल्ली दूरदर्शन
67. डॉ. संतोष बंसल, प्रतिष्ठित लेखिका
68. श्रीमती सिमी जैन, नगर निगम काउंसलर
69. डॉ. चारू वली खन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग
70. प्रो. नमिता पांडेय, वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
71. डॉ. गिरीश त्यागी, दिल्ली मेडीकल काउंसिल के सचिव
72. डॉ. सुनील तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
73. प्रो. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव 'परिचयदास', सचिव हिंदी अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली
74. डॉ. वी.के. कोहली, सचिव, दिल्ली मेडीकल एसोसिएशन
75. डॉ. हरीश गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली मेडीकल एसोसिएशन
76. डॉ. आशु खन्ना, डीन, महेंद्र एकेडेमी
77. डॉ. धर्मपाल, वी.सी. गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
78. श्रीमती सतनाम कौर, प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
79. श्रीमती करुणा अरविंद चौधरी, संगीतकार
80. डॉ. प्रमोद मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग, बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत
81. डॉ. उमाकांत खुबालकर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के उप-सचिव एवं साहित्यकार
82. डॉ. अनुरागेंद्र निगम, निदेशक, आई.ए.एस. मिशन
83. डॉ. गार्गी गुप्त, संस्थापक, भारतीय अनुवाद परिषद्
84. डॉ. पूनम माटिया, प्रतिष्ठित कवियित्री
85. श्री विवेक मिश्र, प्रतिष्ठित कहानीकार
86. श्री प्रेमचंद सहजवाला, प्रतिष्ठित लेखक
87. श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, उप-सचिव, केंद्रीय हिंदी समिति
88. डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर
89. पद्मश्री डॉ. जगदीश गुप्त, संपादक, भाषा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय
90. डॉ. राजकुमार, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, बी.ए.यू. विश्वविद्यालय
91. डॉ. राजीव शुक्ला, उप-महानिदेशक, आकाशवाणी
92. डॉ. निशा केवलिया शर्मा, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, सेज, विश्वविद्यालय, इंदौर
93. डॉ. साधना गुप्ता, प्राध्यापक
94. डॉ. मंजुला दास, प्रिंसिपल, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
95. डॉ. जगदीश चंद्र बत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
96. डॉ. रवि शर्मा, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
97. डॉ. सविता शर्मा, प्रोफेसर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
98. डॉ. राजीव खन्ना, कंसलटेंट सर्जन, एम.जी.एस., अस्पताल, नई दिल्ली
99. डॉ. सपना, सहायक प्राध्यापक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, महिला विश्वविद्यालय, दिल्ली
100. डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा, संयुक्त प्रतिष्ठित लेखक एवं उप-सचिव, विधि मंत्रालय

❑

विधि भारती परिषद् के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

1. अनुवाद के नये परिप्रेक्ष्य, लेखक : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 500/- रुपए
2. हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार, सं. : सन्तोष खन्ना, 2016, मूल्य : 450/- रुपए
3. सामाजिक-विधिक सरोकारों की संस्कृति, लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2012, मूल्य : 77/- रुपए
4. इतिहास बनता समय, लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2012, मूल्य : 300/- रुपए
5. 'क्या पाया? क्या खोया?' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 200/- रुपए
6. रोशनी, (उपन्यास), लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2013, मूल्य : 410/- रुपए
7. 'संग्राम शेष है' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 250/- रुपए
8. 21वीं शती में नारी : क़ानून और सरोकार, मूल्य : 350/- रुपए
9. 'क्या मैं ग़लत थी?' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 200/- रुपए
10. 21वीं शती में मानव अधिकार : दशा और दिशा, मूल्य : 250/- रुपए
11. भारत का संविधान : अनुचिंतन के नये क्षितिज, मूल्य : 250/- रुपए (उपलब्ध नहीं है)
12. भारतीय क़ानूनों का समाजशास्त्र, सन्तोष खन्ना, मूल्य : 500/- रुपए (विधि, न्याय मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत)
13. Dimensions of Environmental Law, Ed. Santosh Khanna, Price : 400/–Rs.
14. Reappraisal of the Constitution, Ed. Santosh Khanna, Price : 350/-Rs.
15. Human Rights Today, Ed. Santosh Khanna, Price : 500/–Rs.
16. The Consumer Protection Law and the Rights of Consumers
    Ed. Santosh Khanna, Price : 400/–Rs.
17. स्मृतियाँ (कहानी-संग्रह) लेखक : अख्तरुल हनीफ, विधि भारती परिषद्, मूल्य : 100/-रुपए
18. उपभोक्ता संरक्षण क़ानून और न्याय, मूल्य : 250/- रुपए
19. 'साक्षी' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 60/- रुपए
20. 'भावी कविता' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 120/- रुपए
21. 'संत जोन', (नाट्यानुवाद), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 245/- रुपए
22. पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण क़ानून, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 200/- रुपए
23. 'तुम कहो तो!' (मौलिक नाटक) नाटककार : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 125/- रुपए
24. 'कजरी' (कथा-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 175/- रुपए
25. 'द्रौपदी जि ंदा है' (कथा-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 150/- रुपए
26. 'खुशी के पल' (कथा-संग्रह) डॉ. सरस्वती बाली, मूल्य : 150/- रुपए (हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत)
27. सूचना का अधिकार अधिनियम : कार्यान्वयन और चुनौतियाँ, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
28. 'अब की लड़का नहीं' (कहानी-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 250/- रुपए
29. 'आज का दुर्वासा!' (कहानी-संग्रह), लेखिका : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
30. 'सन्धि-पत्र' (कहानी-संग्रह), लेखिका : डॉ. उषा देव, 2011, मूल्य : 300/- रुपए
31. 'भारत की संसद और सामाजिक सरोकार', सं. सन्तोष खन्ना, 2011, मूल्य : 350/- रुपए
32. 'सब सुंदर है!' (कहानी-संग्रह), लेखिका : डॉ. उषा देव, 2012, मूल्य : 300/- रुपए
33. Birbhadra Karkidholi : The Flight of a Skylark, Ed. Prof. Om Raz, 2017, 300/-- Rs.
34. 'समय का सच' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
35. भारत में चुनाव, हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
36. सेतु के आर-पार, (नाटक) नाटककार : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 300/- रुपए
37. भारत का संविधान : नए परिप्रेक्ष्य, 2020, मूल्य : 500/- रुपए

पुस्तकें मिलने का पता : **विधि भारती परिषद्**
बी.एच/48 (पूर्वी), शालीमार बाग, दिल्ली-110088
टेलीफोन : 011-27491549, **मोबाइल** : 9899651872, 9899651272